

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
स्थानीय निकाय  
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश सरकार  
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-4

fo"k; l ph		
	dfMdk Øekad	i "B Øekad
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
Hkkx v % iapk; r jkt l lFkk, a		
v/; k; , d % iapk; r jkt l lFkkvka dh dk; ; z kkyh] ftEenkjh iz kkyh , oa foRrh; ifrofnr epnka ij fogakoyksdu		
प्रस्तावना	1.1	1
पंचायत राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना	1.2	2
पंचायत राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	3
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.4	3
लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया	1.5	5
निधियों के स्रोत	1.6	5
पंचायत राज संस्थाओं के बजटीय आवंटन एवं व्यय	1.7	6
लेखांकन व्यवस्था	1.8	6
बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किया जाना	1.9	7
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना	1.10	8
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों को जारी करना एवं उपयोग किया जाना	1.11	8
v/; k; nks % fu"i knu ys[ kki jh{kk		
सामाजिक लेखापरीक्षा योजना	2.1	13
पंचायत राज संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	2.2	27
v/; k; rhu % yunu ys[ kki jh{kk		
लेखापरीक्षा के परिपेक्ष्य में वसूली	3.1.1	39
Hkkx c % uxjh; LFkkuh; fudk;		
v/; k; pkj % uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh dk; ; z kkyh ftEenkjh iz kkyh , oa foRrh; ifrofnr epnka ij fogakoyksdu		
प्रस्तावना	4.1	41
नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना	4.2	41
नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	4.3	42
लेखापरीक्षा व्यवस्था	4.4	42
लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया	4.5	43
निधियों के स्रोत	4.6	44
नगरीय स्थानीय निकायों के बजटीय आवंटन एवं व्यय	4.7	45
लेखांकन व्यवस्था	4.8	45

	dfMdk Øekad	i "B Øekad
बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किया जाना	4.9	46
कर राजस्व/गैर कर राजस्व की वसूली न होना	4.10	47
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना	4.11	47
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों को जारी करना एवं उपयोग किया जाना	4.12	48
v/; k; i kp % fu"i knu ys[kki jh{kk		
एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	5.1	51
नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानदण्ड	5.2	68
v/; k; Ng % yunu ys[kki jh{kk		
मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण	6.1.1	97
जोखिम और लागत उपनियम के अधीन अतिरिक्त लागत की वसूली न होना	6.1.2	97
पानी के मीटरों के संस्थापन पर निरर्थक व्यय	6.2.1	98

i f j f' k"V		i "B Øekd
परिशिष्ट – 1.1	राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को कार्यों के हस्तांतरण	101
परिशिष्ट – 1.2	2014-15 के दौरान नमूना जांच की गई पंचायत राज संस्थाओं की सूची	102
परिशिष्ट – 1.3	पंचायत राज संस्थाओं में बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं करना	105
परिशिष्ट – 1.4	असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण	107
परिशिष्ट – 1.5	पंचायत राज संस्थाओं को तेरहवें वित्त आयोग अनुदान विलम्ब से जारी करने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर ब्याज का वित्तीय भार	109
परिशिष्ट – 2.1	चयनित ग्राम पंचायतों का विवरण	111
परिशिष्ट – 2.2	ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रतिहस्ताक्षर नहीं किए गए ग्राम पंचायतों की सूची	113
परिशिष्ट – 2.3	सैम्पल्स का कवरेज	114
परिशिष्ट – 2.4	बजट अनुमान तैयार करने एवं अनुमोदन में विलम्ब	115
परिशिष्ट – 2.5	अनुमानित बजट एवं आय-व्यय के वास्तविक आंकड़ों में अंतर	115
परिशिष्ट – 2.6	31 मार्च 2015 की स्थिति में रोकड़बही एवं बैंक पासबुक /विवरण के अंतिम शेषों में अंतर	116
परिशिष्ट – 2.7	31 मार्च 2015 की स्थिति में असमायोजित अग्रिम	116
परिशिष्ट – 2.8	स्थानीय निधि संपरीक्षा की लंबित कंडिकाएं	117
परिशिष्ट – 4.1	राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण	118
परिशिष्ट – 4.2	2014-15 के दौरान नमूना जांच की गई नगरीय स्थानीय निकायों की सूची	119
परिशिष्ट – 4.3	नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं करना	120
परिशिष्ट – 4.4	असंग्रहित कर राजस्व (सम्पत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरीय विकास उपकर और प्रदर्शन शुल्क)	121
परिशिष्ट – 4.5	असंग्रहित किराया एवं प्रीमियम का विवरण	124
परिशिष्ट – 4.6	गैर कर राजस्व (जल प्रभार) की वसूली न करने का विवरण	125
परिशिष्ट – 4.7	असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण	127
परिशिष्ट – 4.8	नगरीय स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग अनुदान विलम्ब से जारी करने से राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज	128

i f j f' k"V		i "B Øekad
परिशिष्ट – 5.1	नगरीय स्थानीय निकायों में क्रियान्वित एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम परियोजनाओं का विवरण	129
परिशिष्ट – 5.2	अपूर्ण अधोसंरचना कार्यों को दर्शाता विवरण पत्रक	131
परिशिष्ट – 5.3	केन्द्रीय सहायता कम जारी करने का विवरण पत्रक	132
परिशिष्ट – 5.4	राज्यांश के कम जारी करने का विवरण पत्रक	133
परिशिष्ट – 5.5	समर्पित आवासीय इकाईयों का विवरण	134
परिशिष्ट – 5.6	शहरी गरीबी निधि का प्रावधान	135

यह प्रतिवेदन मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

प्रतिवेदन में राज्य के पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के साथ सम्बंधित विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं ।

प्रतिवेदन में 2014-15 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए प्रकरणों के साथ-साथ उन प्रकरणों को जो पूर्व वर्षों में प्रकाश में आए थे लेकिन विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके, आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है ।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।

*विहंगावलोकन*

इस प्रतिवेदन में छह अध्याय हैं । पहला और चौथा अध्याय क्रमशः पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते हैं । दूसरे और पांचवें अध्याय में पंचायत राज संस्थाओं पर दो वृहत कंडिकायें तथा नगरीय स्थानीय निकायों पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं । तीसरे और छठवें अध्याय में चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें, एक पंचायत राज संस्थाओं पर और तीन नगरीय स्थानीय निकायों पर हैं । इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण निष्कर्षों के सारांश प्रस्तुत हैं ।

### अध्याय एक: पंचायत राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों पर विहंगावलोकन

- तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजनीय निधि पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए । तथापि, 2014-15 के दौरान पंचायत राज संस्थाओं को ₹ 435.67 करोड़ कम हस्तांतरित किए गए थे ।

(कंडिका 1.6)

- राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को 2010-11 के दौरान ₹ 6,817.14 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 18,947.92 करोड़ की निधियां आवंटित की । तथापि, पंचायत राज संस्थाएं सम्पूर्ण आवंटित अनुदान व्यय नहीं कर सकी तथा राजस्व शीर्ष में बहुत अधिक अव्ययित शेष होने से 2010-15 की अवधि के दौरान बचतें छह से 30 प्रतिशत के मध्य रहीं ।

(कंडिका 1.7)

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को पंचायत राज संस्थाओं को अंतरित करने में अत्यधिक देरी हुई । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के ₹ 36.69 करोड़, जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किए गए थे, से अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किए ।

(कंडिका 1.11.2 एवं 1.11.3)

### अध्याय दो: निष्पादन लेखापरीक्षा

#### सामाजिक लेखापरीक्षा योजना

सामाजिक लेखापरीक्षा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लाया गया । तत्पश्चात् मध्य प्रदेश शासन ने सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई "मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति" की स्थापना की । म. प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति, सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्रों को तैयार करने, मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों के बीच उनके अधिकारों एवं हकों के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्राथमिक स्टैकहोल्डर्स द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को सुगम बनाने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी थी ।

2014-15 के दौरान राज्य के 14 जिलों के 15 ब्लॉकों की 931 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गयी । "सामाजिक लेखापरीक्षा योजना" के कार्यान्वयन की अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नानुसार पाया गया:



- मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन को सुगम बनाने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर स्रोत व्यक्तियों की उपयुक्त संख्या को चिन्हित करेगा। मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा स्रोत व्यक्तियों के 5,346 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव दिया गया (जून 2013)। तथापि, यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास अभी तक विचाराधीन था। पर्याप्त मानवशक्ति की अनुपलब्धता होने से राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा का कवरेज प्रभावित हुआ।

¶Mdk 2-1-7-1½

- लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 की धारा 3(1) के अनुसार राज्य सरकार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की छह माह में कम-से-कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन कराने में सहयोग करेगी। तथापि, 2012-13 से 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन में 98 प्रतिशत की कमी थी जैसा कि आवश्यक 1,37,678 के विरुद्ध केवल 2,674 सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन किया जा सका।

¶Mdk 2-1-8-2½

- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गुणवत्ता नियंत्रण में कमियां थीं। म. प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन के लिए ग्राम सामाजिक एनिमेटर्स नियमावली एवं सामाजिक लेखापरीक्षा प्रपत्र जारी किए थे। तथापि, नमूना जांच की गई 50 ग्राम पंचायतों में से केवल दो ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के लिए निर्धारित प्रपत्रों को सही तरीके से भरा गया था जबकि 48 अन्य ग्राम पंचायतों में प्रपत्रों को या तो सही तरीके से भरा नहीं गया या भरा ही नहीं गया था। परिणामस्वरूप, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रपत्रों में सम्मिलित निर्धारित सत्यापन कार्रवाई के निष्कर्षों को शामिल नहीं किया गया था।

¶Mdk 2-1-8-3½

- लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 एवं मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अंतर्गत शासन द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई या तो सुनिश्चित नहीं की जा रही थी या विलम्ब से सुनिश्चित की गई थी।

¶Mdk 2-1-9-1 , oa 2-1-9-2½

ipk; r jkt l lFkkvka ea vkarfjd fu; a.k iz.kkyh

दो जिलों, छिंदवाड़ा (अनुसूचित जिला) तथा इंदौर (गैर अनुसूचित जिला) का चयन पंचायत राज संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लेखापरीक्षा हेतु किया गया था, जिनमें निम्नलिखित देखा गया:

- बजटीय नियंत्रण, जो राशियों के अनुचित उपयोग को रोकने का महत्वपूर्ण साधन है, कमजोर था। जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा बजट अनुमान को तैयार करने एवं अनुमोदित करने में विलम्ब हुआ। नमूना जांच की गई पांच जनपद पंचायतों तथा 139 ग्राम पंचायतों द्वारा बजट अनुमान तैयार नहीं किए गए।

¶Mdk 2-2-4-1] 2-2-6-1 , oa 2-2-8-1½

- जिला पंचायत छिंदवाडा, 12 जनपद पंचायतों तथा 139 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों द्वारा बैंक समाधान नहीं किया गया था जिसने उनके नकद प्रबंधन पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाया ।

¶Mdk 2-2-4-3] 2-2-6-2 , oa 2-2-8-2½

- दस जनपद पंचायतों में राशि ₹ 35.96 लाख के अग्रिम विगत एक वर्ष से लेकर 32 वर्ष की अवधि से वसूली हेतु लंबित थे ।

¶Mdk 2-2-6-3½

- नमूना जांच की गई किसी भी 139 ग्राम पंचायतों द्वारा परिसम्पत्ति पंजी तथा भंडार पंजी का संधारण नहीं किया गया ।

¶Mdk 2-2-9-1½

v/; k; rhu% yunu ys[ kki jh{kk

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर, द्वारा फर्म से सीड ग्रेडिंग मशीन की अधिप्राप्ति के आपूर्ति आदेश के विरुद्ध, पर्याप्त सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी आदि सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना, फर्म को ₹ 11 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया । फर्म द्वारा छह वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की गई । बाद में, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर फर्म से ₹ 11 लाख की वसूली की गई ।

¶Mdk 3-1-1½

v/; k; pkj% uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh dk; i z kkyh] ftEenkjh iz kkyh , oa foRrh; ifrofnr epnka ij fogakoykdu

- राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों को 2010–11 के दौरान ₹ 3,900.36 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 6,751.81 करोड़ निधियां आवंटित की गईं । तथापि, नगरीय स्थानीय निकाय सम्पूर्ण आवंटित अनुदान व्यय नहीं कर सके तथा राजस्व शीर्ष में बहुत अधिक अव्ययित शेष होने से 2010–15 की अवधि के दौरान बचतें नौ से 22 प्रतिशत के मध्य रहीं ।

¶Mdk 4-7½

- नमूना जांच की गई 91 नगरीय स्थानीय निकायों में से 70 नगरीय स्थानीय निकायों ने मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुसार उपचय आधार पर लेखांकन प्रणाली को नहीं अपनाया ।

¶Mdk 4-8-1½

v/; k; i kp % fu"i knu ys[ kki jh{kk

, dhid'r vkokl , oa efyu cLrh fodkl dk; De

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम एक केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार/नगरीय स्थानीय निकायों/पैरास्टटेल के मध्य निधियों का विभाजन 80:20 के अनुपात में है । एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य चिन्हित शहरी क्षेत्र में मलिन बस्ती के वासियों को पर्याप्त आश्रय एवं बुनियादी अधोसंरचना सुविधायें मुहैया कराते हुए स्वस्थ एवं शहरी पर्यावरण के साथ मलिन बस्ती के समग्र विकास के लिए प्रयास करना है ।

मध्य प्रदेश में, राज्य के 53 शहरों में दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य 56 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम परियोजनायें अनुमोदित की गई थीं। मध्य प्रदेश शासन ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया था (दिसम्बर 2005)। राज्य में एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुए:

- केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत आई.एच.एस.डी.पी. का कार्यान्वयन पूर्ण किए जाने की समय सीमा से पिछड़ गया था। 56 परियोजनाओं में से छह परियोजनाएं उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने एवं हितग्राहियों की उदासीनता के कारण प्रारम्भ नहीं की जा सकीं। शेष 50 परियोजनाओं में से मात्र 15 परियोजनाएं मार्च 2015 तक पूर्ण की जा सकीं। आगे पाया गया कि 35 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं (46 प्रतिशत), जो दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 के मध्य स्वीकृत की गई थी, उन्हें 12 से 24 माह की निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना था। इस प्रकार इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्षों की समाप्ति के उपरान्त भी परियोजनाएं अपूर्ण रहीं।

¶¶¶¶¶ 5-1-6½

- 56 परियोजनाओं में स्वीकृत कुल 22,998 आवासीय इकाईयों में से 31 परियोजनाओं की 9,203 आवासीय इकाईयों (40 प्रतिशत) को समर्पित किया गया था एवं 42 परियोजनाओं में मात्र 8,766 आवासीय इकाईयों (38 प्रतिशत) को मार्च 2015 की स्थिति में पूर्ण किया जा सका। इन पूर्ण आवासीय इकाईयों में से 3,227 आवासीय इकाईयां हितग्राहियों को आवंटित की गई थीं।

¶¶¶¶¶ 5-1-6½

- आवासीय इकाईयों के हितग्राही अंश की गणना करते समय सर्वप्रथम शहरी गरीबों के आर्थिक सामर्थ्य पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए था। तथापि, सात नमूना जांच की गई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण आवासीय इकाईयों की प्रति इकाई लागत में ₹ 36,000 से ₹ 2.49 लाख की वृद्धि हुई परिणामस्वरूप हितग्राही अंश में भी वृद्धि हुई।

¶¶¶¶¶ 5-1-9½

- केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति के निर्देशों के अनुसार गरीबों के लिए आवासों एवं अधोसंरचना सुविधाओं में निष्पादन गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व देना चाहिए था। तथापि, नमूना जांच की गई परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच/निर्मित आवासीय इकाईयों के संयुक्त परीक्षण में निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के पालन में कमी होना परिलक्षित हुआ।

¶¶¶¶¶ 5-1-10½

- परियोजनाओं का अनुवीक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि परियोजना की त्रैमासिक समीक्षा हेतु वर्ष 2006-15 की अवधि में, राज्य स्तरीय समन्वय समिति निर्धारित 36 बैठकों के विरुद्ध 4 बैठकें ही आयोजित कर सकी। आगे, वर्ष 2008-2012 एवं 2013-2015 के दौरान कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई थी। हितग्राहियों की समितियां गठित नहीं होने के कारण आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी।

¶¶¶¶¶ 5-1-14-1 , oa 5-1-14-4½

^uxjh; LFkkuh; fudk; ea l ok Lrj ekun.M^ ij fu"iknu ys[kki jh{kk

सेवा प्रदाय में जवाबदेही लाने हेतु मानदण्ड एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके महत्व को समझते हुए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूलभूत नगरीय सेवाओं जैसे जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के संबंध में निष्पादन के अनुवीक्षण के लिए मानकों की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु एक सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका जारी की गई थी। तेरहवें वित्त आयोग ने नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान के आवंटन के लिए सेवा स्तर मानदण्डों को एक शर्त के रूप में सम्मिलित किया था।

राज्य में कुल 378 नगरीय स्थानीय निकायों में से 114 नगरीय स्थानीय निकायों (16 नगरपालिक निगम एवं 98 नगरपालिका परिषद्) में सेवा स्तर मानदण्ड, मार्च 2015 तक अधिसूचित किए गए थे। 2011-15 की अवधि के लिए सेवा स्तर मानदण्डों के संदर्भ में नगरीय सेवाओं की निष्पादन प्रबंधन की जांच चार नगरीय स्थानीय निकायों (भोपाल, देवास, जुन्नारदेव एवं करेली) में की गई जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- नमूना जांच की गई चार नगरीय स्थानीय निकायों ने 2010-11 एवं 2014-15 के मध्य चार मूलभूत सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के प्रदाय, पर ₹ 473.16 करोड़ व्यय किए जिसमें तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के ₹ 80.44 करोड़ तथा नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य स्रोतों से ₹ 392.72 करोड़ के व्यय सम्मिलित था।

¶dfMdk 5-2-5½

- नगरीय स्थानीय निकायों को सेवा संकेतक आंकड़े जैसे उपभोक्ताओं को प्रदाय परिशोधित जल की मात्रा, परीक्षण हेतु लिए गए जल के नमूनों की संख्या, उत्सर्जित, पृथक्कृत एवं निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं जल भराव घटनाओं की संख्या, एकत्रित करना था। तथापि, इन आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु कोई प्रणाली संस्थापित नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक आंकड़ों के स्थान पर राज्य राजपत्र में लक्ष्य एवं उपलब्धियों के अनुमानित आंकड़े अधिसूचित किए गए थे।

¶dfMdk 5-2-6½

- नमूना जांच किए गए चार नगरीय स्थानीय निकायों के सेवा क्षेत्रों में जल कनेक्शनों का कवरेज केवल 50 प्रतिशत तक था। भोपाल नगरपालिक निगम 70 वार्डों के 305 सेवा क्षेत्रों में से 77 सेवा क्षेत्रों में जल प्रदाय एक दिन छोड़कर कर रहा था। निर्धारित मानदंड 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के विरुद्ध नमूना जांच की गई अन्य तीन नगरीय स्थानीय निकायों में जल प्रदाय 34 से 53 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मध्य था।

¶dfMdk 5-2-8] 5-2-12] 5-2-16 , oa 5-2-20½

- नमूना जांच किए गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में शौचालयों का कवरेज मानदण्ड (100 प्रतिशत) के अनुरूप नहीं था। दो नगरीय स्थानीय निकायों (जुन्नारदेव एवं करेली) में मलजल निकासी तंत्र विद्यमान नहीं था जबकि भोपाल में मलजल निकासी तंत्र का कवरेज केवल 38 प्रतिशत तथा देवास में 10 प्रतिशत था।

¶dfMdk 5-2-9] 5-2-13] 5-2-17 , oa 5-2-21½

- नमूना जांच किए गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं वैज्ञानिक पद्धति से निपटान नहीं किया गया था। नगरीय

ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निपटान के लिए कोई भूमि भरण स्थल विकसित नहीं किया गया था ।

¶Mdk 5-2-10] 5-2-14] 5-2-18 , oa 5-2-22½

- नमूना जांच की गई किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों ने सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – वर्षा जल निकास तंत्र का कवरेज, के विरुद्ध सही उपलब्धि प्रतिवेदित नहीं की थी ।

¶Mdk 5-2-11] 5-2-14] 5-2-19 , oa 5-2-23½

- राज्य स्तर एवं नगरीय निकाय स्तर दोनों पर सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु अनुवीक्षण प्रणाली की उपलब्धता नहीं पाई गई । विभागीय स्तर पर प्रतिवेदित किए गए निष्पादन संकेतकों की नगरीय स्थानीय निकायों के प्रबंधन स्तर (महापौर/आयुक्त) पर कभी भी समीक्षा नहीं की गई थी ।

¶Mdk 5-2-24½

v/; k; Ng% yunu ys[ kki j h{kk

- मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क कम आरोपित करने के कारण शासन राशि ₹ 34.04 लाख के राजस्व से वंचित रहा ।

¶Mdk 6-1-1½

- नगर परिषद, कानड़ द्वारा कार्य के पुनः आवंटन करने से राशि ₹ 7.68 लाख अतिरिक्त व्यय किया गया जो जोखिम और लागत उपनियम के अधीन पूर्व ठेकेदार से वसूल नहीं किया गया ।

¶Mdk 6-1-2½

- ग्वालियर नगरपालिक निगम द्वारा गैर घरेलु उपभोक्ताओं हेतु संस्थापित पानी के मीटरों पर राशि ₹ 24.46 लाख का व्यय किया गया जो निरर्थक रहा क्योंकि ग्वालियर नगरपालिक निगम ने संस्थापित किए गए पानी के मीटरों में दर्ज खपत के आधार पर प्रभार लगाने के स्थान पर जल खपत के देयक निर्धारित प्रभार के आधार पर तैयार करना जारी रखा ।

¶Mdk 6-2-1½

**भाग – अ**  
**पंचायत राज संस्थाएं**

## अध्याय – एक

पंचायत राज संस्थाओं की  
कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं  
वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों पर  
विहंगावलोकन

v/; k; , d

i p k; r j k t | 1 F k k v k a d h d k; 7 z k k y h | f t E e n k j h i z k k y h , o a f o R r h;  
i f r o f n r e p n k a i j f o g a k o y k d u

j k T; e a i p k; r j k t | 1 F k k v k a d h d k; 7 z k k y h i j f o g a k o y k d u

1-1 i L r k o u k

आधारिक स्तर पर स्वायत्तता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों की पहचान एवं कार्यान्वयन में आम जनता को सम्मिलित करने हेतु संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 प्रख्यापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधान सभा, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगी जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं:

- (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना; एवं
- (ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को, जो उन्हें सौंपी जाये, जिसके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, को क्रियान्वित करना।

संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के प्रावधानों के अनुसार राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा :

- (क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुये, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उदग्रहीत, संग्रहित और विनियोजित करने के लिये किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा;
- (ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को समनुदेशित कर सकेगा;
- (ग) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिये उपबंध कर सकेगा; एवं
- (घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिये ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिये भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किये जायें।

फलस्वरूप, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 द्वारा राज्य में निम्नानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाएं प्रणाली स्थापित की गई हैं:

- जिला स्तर पर जिला पंचायत
- ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

मार्च 2015 तक राज्य में 51 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें और 22,823 ग्राम पंचायतें हैं।



राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य की मूलभूत जनसांख्यिकी जानकारी नीचे दी गई है:

fooj.k	bdkbl	e/; insk	vf[ky Hkkjr
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में अंश	प्रतिशत	6	—
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	5.26	83.30
ग्रामीण जनसंख्या का अंश	प्रतिशत	72.37	68.84
साक्षरता दर	प्रतिशत	69.32	74.04
लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां)	अनुपात	931 / 1000	940 / 1000


॥॥॥ % tux.kuk vkadMs 2011%

## 1-2 i pk; r jkt | LFkkvks dh | xBukRed | j puk

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय 3 के अनुसार सभी पंचायत राज संस्थाएं राज्य प्राधिकारियों में निहित अनुवीक्षण शक्तियों के अधीन नियमों एवं अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत हस्तांतरित कार्यों के निर्वहन के लिए सुस्पष्ट कानूनी प्राधिकारी हैं ।

पंचायत राज व्यवस्थाओं को पंचायत राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तर पर उचित रूप से क्रियान्वित करने हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उत्तरदायी है ।

### i pk; r jkt | LFkkvks dh | xBukRed | j puk



जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों का विवरण निम्नानुसार है:

ftyk i pk; r vks tuin i pk; r dh LFkk; h   fefr; ka क) सामान्य प्रशासन समिति ख) कृषि समिति ग) शिक्षा समिति घ) संचार तथा संकर्म समिति ङ) सहकारिता और उद्योग समिति
--

xke i pk; r dh LFkk; h   fefr; ka क) सामान्य प्रशासन समिति ख) निर्माण तथा विकास समिति ग) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति
---

### 1-3 पंचायत राज संस्थाओं के कार्यप्रणाली पर विहंगावलोकन

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 29 कार्य (संविधान की 11 वीं अनुसूची में वर्णित) पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये जाने थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया (जनवरी 2016) कि राज्य सरकार द्वारा 29 कार्य पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए, तथापि उक्त आशय की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई थी। यह भी अवगत कराया गया था कि निधियों एवं अमलों का हस्तांतरण किया जाना था।

1.3.1 जिले स्तर पर जिला पंचायत पंचायत का प्रथम स्तर है। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 52 के अनुसार जिला पंचायत पर पंचायतों अथवा कार्यकारी अभिकरणों के माध्यम से कार्य, योजनाओं एवं परियोजनाओं को उनकी निधि के स्रोत पर विचार किए बिना पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये कार्य को कराने का दायित्व है।

जिला पंचायतें, जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करने एवं ऐसी योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह जनपद पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन तथा केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों को जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में पुनः आवंटित करना सुनिश्चित करेगी।

1.3.2 जनपद पंचायतें ब्लॉक स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। जनपद पंचायत अपने कार्यक्षेत्र में सामुदायिक विकास ब्लॉक या अनुसूचित जनजाति विकास ब्लॉक के प्रशासन पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करती हैं। राज्य शासन द्वारा ऐसे ब्लॉक को सौंपे गए कार्य एवं योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार जनपद पंचायत के अधीक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण के अन्तर्गत किया जाता है।

आगे, म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 50 के अधीन जनपद पंचायत का यह भी दायित्व है कि समस्त ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के संबंध में वार्षिक योजनाओं पर विचार करे और उसे समेकित करे तथा समेकित योजना को जिला पंचायत को प्रस्तुत करे।

1.3.3 ग्राम पंचायत, आधार स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं का अंतिम स्तर है, का दायित्व है कि किसी विधि द्वारा उसे सौंपी गई या केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपी गई योजनाओं, कार्य, परियोजनाओं, के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 49 (क) के अनुसार ग्राम पंचायतों का पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और उसे जनपद पंचायत की योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना, दायित्व है।

### 1-4 राज्य शासन ने पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को नियुक्त किया (नवम्बर 2001) और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अन्तर्गत कार्य करेगा।

राज्य शासन ने पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को नियुक्त किया (नवम्बर 2001) और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अन्तर्गत कार्य करेगा। तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मानक निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखाओं की ऐसी नमूना जांच और उन पर टिप्पणी करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक (सप्लीमेंट) करने का

अधिकार होगा, जहां तक वह उचित समझे। आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके प्रतिनिधि, अपने विवेक से लेखापरीक्षा परिणाम को राज्य विधान सभा को प्रतिवेदित करने का अधिकार रखते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा राज्य में स्थानीय निकायों के विनियोग लेखाओं के परीक्षण करने के लिए स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति का गठन किया है (मार्च 2015)। स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति विधान सभा पटल पर रखी गयी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

- Hkkj rh; ys[kk ,oa ys[kki jh{kk foHkkx }kjk inRRk rduhdh ekxh'klu ,oa l gk; rk

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 की धारा 152 में पंचायत राज संस्थाओं को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं :

- स्थानीय निधि संपरीक्षक पंचायत राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा और उसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की ओर अग्रेषित करेगा।
- स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा पंचायत राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया और लेखापरीक्षा क्रियाविधि, राज्य द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों और परिनियम तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा चयनित स्थानीय निकायों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रणाली में सुधार के सुझाव हेतु अग्रेषित की जाएगी।

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा 2013-14 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार कर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की ओर अग्रेषित की गई थी। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ने महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा समय-समय पर सुझाई गई क्रियाविधि एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया। निरीक्षण प्रतिवेदनों को जांचने हेतु महालेखाकार (सा. एवं सा.क्ष.ले.प.) की ओर अग्रेषित किया गया था।

- LFkkuh; fudk; ka ij ys[kki jh{kk ifronu

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लेखित है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, साथ-ही-साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तदनुसार, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया, इसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की पंचायतों पर वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु भेजेंगे।

वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को मई 2015 में राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया था। अनुस्मारकों (जुलाई 2015 एवं दिसम्बर 2015) को जारी करने के उपरान्त भी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2015)। राज्य शासन द्वारा

सूचित किया गया (जुलाई 2015) कि संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रतीक्षित था ।

**1-5** *यसूक्कीजहक्कवह; फ़डर; काइजिफ़रफ़े; क*

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने हेतु महालेखाकार (सा.एवं सा.क्षे.ले.प.), मध्य प्रदेश के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किए गए थे । तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं के अनुसार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन पर आगे की कार्रवाई करनी थी । तथापि, मार्च 2015 की स्थिति में 4,448 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 23,855 कंडिकाएं 2014-15 के दौरान जारी 425 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 3,148 कंडिकाओं सहित, निराकरण हेतु लंबित थीं, विवरण रक्यडक 1-1 में दिया गया है:

रक्यडक&1-1%ेकपल 2015 धलFLफ़र एयफ़र फ़ुजहक्क.क इफ़्रनुका , ओदफ़मडक्का धलFLफ़र

I - Ø	Øk"z	i kj fhkd 'k'sk , oa o"z ds nkj ku l fefyr				o"z ds nkj ku fujkdr		vfre 'k'sk	
		fujh- ifr- dk ik- 'k'sk	tksh xbz fu-iz	dfmDkvka dk ik- 'k'sk	Tksh xbz dfmDk, a	fu-iz dh l a; k	dfmDkvka dh l a; k	fu-iz dh l a; k	dfmDkvka dh l a; k
1	2010-11 तक	2,234	—	11,607	—	5	159	2,229	11,448
2	2011-12	2,229	798	11,448	4,198	6	357	3,021	15,289
3	2012-13	3,021	573	15,289	3,290	0	126	3,594	18,453
4	2013-14	3,594	500	18,453	3,516	0	74	4,094	21,895
5	2014-15	4,094	425	21,895	3,148	71	1,188	4,448	23,855

FLफ़र%ेगक्यसूक्कीजहक्कवह; फ़डर, ओदक-फ़स्यसि-½े-इज }कजक लडफ़र एक्ल द कडक; क इफ़्रनुक

**fOrRh; ifrofnr epns**

**1-6 fuf/k; ka ds l kr**

पंचायत राज संस्थाओं को निधियों के मुख्यतः दो स्रोत अर्थात् शासकीय अनुदान एवं स्वयं का कर राजस्व है । शासकीय अनुदान में सम्मिलित है:

- भारत के 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये अनुदान; एवं
- तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य शासन द्वारा पिछले वर्ष के विभाजनीय कर राजस्व के चार प्रतिशत का हस्तांतरण ।

तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन द्वारा चार प्रतिशत विभाजनीय निधि<sup>1</sup> पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए । वर्ष 2014-15 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरण नीचे रक्यडक 1-2 में दर्शाया गया है:

<sup>1</sup> विभाजनीय निधि: पूर्व वर्ष का कुल कर राजस्व – करों के संग्रहण पर किए गए व्यय का 10 प्रतिशत – पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गए राजस्व

rkfydk & 1-2 % ipk; r jkt l LFkkvka dks fuf/k; ka dk gLrkj.k

₹ djkm+e%

o"z	jkt; 'kkl u dh foHkkTkuh; fuf/k	gLrkj.k ; kx; fuf/k	okLrfod gLrkfjr fuf/k	de gLrkfjr fuf/k
2014-15	25,678.61	1,027.14	591.47	435.67

₹ fofr foHkkx , oa ipk; r jkt l pkyuky; }kjk inRr l puk%

इस प्रकार rkfydk 1-2 से यह देखा जा सकता है कि वित्त विभाग ने 2014-15 के दौरान पंचायत राज संस्थाओं को राशि ₹ 435.67 करोड़ कम हस्तांतरित की। वित्त विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को कम राशि जारी करने के कारण सूचित नहीं किए गए (दिसम्बर 2015)।

1-7 ipk; r jkt l LFkkvka ds ctVh; vkoà/u , oa 0; ;

राज्य शासन द्वारा राज्य बजट से विगत पांच वित्तीय वर्षों में पंचायत राज संस्थाओं को आवंटित निधियों (राज्य के कर राजस्व का अंश एवं योजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान) को rkfydk 1-3 में दिया गया है:

rkfydk&1-3 % ipk; r jkt LkLFkkvka dh ikflr , oa 0; ; dks n'kkus okyk fooj.k i=d

₹ djkm+e%

o"z	l gk; rk vuqku			okLrfod 0; ;			v0; f; r fuf/k ¼&7½	v0; f; r fuf/k dk ifr'kr
	jktLo	i thxr	dy	jktLo	i thxr	dy		
2010-11	6,585.74	231.40	6,817.14	5,678.75	198.65	5,877.40	939.74	14
2011-12	7,670.04	241.08	7,911.12	6,697.87	365.29	7,063.16	847.96	11
2012-13	8,948.74	345.78	9,294.52	8,385.85	345.30	8,731.15	563.37	6
2013-14	10,752.72	213.70	10,966.42	9,151.26	91.10	9,242.36	1,724.06	16
2014-15	18,871.32	76.60	18,947.92	13,209.32	12.66	13,221.98	5,725.94	30
; kx	52]828-56	1]108-56	53]937-12	43]123-05	1]013-00	44]136-05	9]801-07	

₹ fofu; kx ys[ks vuqku l a 15] 52] 62 , oa 74%

जैसा कि rkfydk 1-3 से स्पष्ट है कि पंचायत राज संस्थाओं को वर्ष 2014-15 के दौरान वर्ष 2010-11 की तुलना में अनुदान आवंटन में 178 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तथापि, पंचायत राज संस्थाएं सम्पूर्ण आवंटित अनुदान व्यय नहीं कर सकी तथा राजस्व शीर्ष में बहुत अधिक अव्ययित शेष होने से 2010-15 की अवधि के दौरान बचतें छह से 30 प्रतिशत के मध्य रहीं।

1-8 ys[kkadu 0; oLFkk

1-8-1 Hkkjr ds fu; a-d , oa egkys[kki jh{kd }kjk fu/kkFjr izi = ea ys[kkvka dk l akkj.k

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं पंचायत राज मंत्रालय (भारत सरकार) ने आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति के अनुरूप लेखांकन रूपरेखा एवं संहिताकरण पद्धति को विकसित किया जिसे 1 अप्रैल 2010 से प्रारम्भ किया जाना था। मध्य प्रदेश शासन ने आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति को (प्राप्ति एवं अदायगी लेखे, समेकित सार पंजी, समाधान पत्रक, प्राप्ति और अदायगी पत्रक, चल संपत्ति पंजी, अचल संपत्ति पंजी, वस्तु सूची पंजी, मांग एवं संग्रहण पंजी इत्यादि) अगस्त 2010 से अपनाया।

हमारे द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 356 पंचायत राज संस्थाओं में 1-2½ की लेखापरीक्षा की गयी। किसी भी नमूना जांच की गई पंचायत राज संस्थाओं (35 जिला पंचायतें, 92 जनपद पंचायतें एवं 229 ग्राम पंचायतें) ने लेखाओं का संधारण

आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति के प्रपत्रों के अनुसार नहीं किया। तथापि, उनके लेखे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रचलित लेखा नियम के अनुसार ही संधारित किये जा रहे थे।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2015) पंचायत राज संचालनालय द्वारा बताया गया कि पंचायत राज संस्थाओं में आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति लागू करने हेतु समवर्ती ऑनलाईन लेखांकन पद्धति (पंचायत दर्पण) प्रारंभ किया गया था।

तथ्य यह है कि किसी भी नमूना जांच की गई पंचायत राज संस्थाओं ने लेखों का संधारण आदर्श पंचायत लेखांकन पद्धति प्रपत्रों में नहीं किया।

### 1-8-2 *ipk; r jkt l lFkkvka dk okf"kd ctV*

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पंचायत वार्षिक बजट तैयार करेगी। बजट प्रस्तुतीकरण के लिये समय अनुसूची भी निर्धारित थी।

हमने पाया कि 356 नमूना जांच की गई पंचायत राज संस्थाओं में से केवल 18 पंचायत राज संस्थाओं<sup>2</sup> द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार बजट तैयार किया गया था। आगे, 129 पंचायत राज संस्थाओं (5 जिला पंचायत, 25 जनपद पंचायत एवं 99 ग्राम पंचायत) ने वार्षिक बजट तैयार नहीं किया एवं 185 पंचायत राज संस्थाओं (18 जिला पंचायत, 4 जनपद पंचायत एवं 126 ग्राम पंचायत) ने सुसंगत अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत नहीं की। शेष 24 पंचायत राज संस्थाओं (2 जिला पंचायत, 18 जनपद पंचायत एवं 4 ग्राम पंचायत) ने बजट तैयार करना अवगत कराया परन्तु लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया, जैसा कि rkfydk 1-4 में दर्शाया गया है:

### rkfydk&1-4%okf"kd ctV r\$ kj fd; s tkus dh lFkfr

<i>ipk; r jkt l lFkk; a</i>	<i>ueuk tkp dh xbz ipk; r jkt l lFkkvka dh l a; k</i>	<i>l Ecfu/kr ipk; r jkt l lFkkvka }kj k ctV vupknu ds fy, vuq ifpr l e;</i>	<i>ipk; r jkt l lFkkvka dh l a; k ftUgkaus ctV r\$ kj ugha fd; k</i>	<i>ipk; r jkt l lFkkvka dh l a; k ftUgkaus ctV foy&amp;k l s r\$ kj fd; k</i>
जिला पंचायत	35	20 जनवरी	05	10 (10 से 540 दिन)
जनपद पंचायत	92	30 जनवरी	25	07 (28 से 333 दिन)
ग्राम पंचायत	229	21 फरवरी	99	—

*(Lkkr%ueuk tkp dh xbz ipk; r jkt l lFkkvka l s l d f y r tkudkj h)*

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पंचायत राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक बजट तैयार करने के नियमों का पालन नहीं किया गया।

### 1-9 *cf d l ek/kku foofj.k i =d r\$ kj ugha fd; k tkuk*

रोकड़बही के शेष तथा बैंक खाते के शेष के मध्य किसी अंतर हेतु मासिक आधार पर समाधान का प्रावधान मध्य प्रदेश पंचायत लेखा नियम में है।

356 पंचायत राज संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि 44 पंचायत राज संस्थाओं द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया। इन 44 पंचायत राज संस्थाओं के रोकड़ बही एवं बैंक बुक के शेषों में मार्च 2014 की स्थिति में

<sup>2</sup> जिला पंचायत – देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, मन्दसौर, सिवनी एवं शहडोल; जनपद पंचायत— आलोट, आष्टा, बाड़ी, चितरंगी, खाचरौद, लांजी, सीधी एवं विजयराघवगढ़

1-3 के विवरण अनुसार असमाधानित अन्तर था । आगे, 106 पंचायत राज संस्थाओं<sup>3</sup> द्वारा सुसंगत सूचना/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए । अंतरों का समाधान विवरण तैयार नहीं किए जाने से निधियों के दुरुपयोग का जोखिम था ।

सम्बन्धित जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा बताया गया (2014-15) कि रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों के अंतर का समाधान किया जाएगा ।

**1-10 लेखापरीक्षा अंतरों का विवरण**

मध्य प्रदेश जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 52 एवं मध्य प्रदेश जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 49 के अनुसार उस व्यक्ति की, जिसने अग्रिम लिया है, यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसा व्यय करने के तुरन्त पश्चात उस प्रयोजन के लिए किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करे, ऐसा न होने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि उसके अगले वेतन या अन्य देय राशियों में से काटी जाएगी ।

356 पंचायत राज संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि 49 पंचायत राज संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 1990-91 से राशि ₹ 4.02 करोड़ के अस्थायी अग्रिम प्रदान किए थे जो 31 मार्च 2014 तक लंबित थे । विवरण 1-4 में दर्शाया गया है । 50 पंचायत राज संस्थाओं (6 जिला पंचायत, 17 जनपद पंचायत एवं 27 ग्राम पंचायत) में कोई अस्थायी अग्रिम लंबित नहीं था जबकि शेष 257 पंचायत राज संस्थाओं द्वारा अभिलेख/सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए ।

सम्बन्धित पंचायत राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सचिवों द्वारा अवगत कराया गया (2014-15) कि अग्रिमों की वसूली की जाएगी ।

**1-11 अग्रिमों का विवरण**

तेरहवें वित्त आयोग के सहायता अनुदान राज्यों को मुख्यतः दो रूपों यथा सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, में जारी किए गए थे । इसके अतिरिक्त, निष्पादन से सम्बन्धित अनुदान (सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान) भी 2011-12 से उसके जारी होने हेतु निर्धारित शर्तों के पालन होने पर राज्यों को जारी की गई थी । 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य के अंतर्गत विभिन्न पंचायत राज संस्थाओं के मध्य आवंटन सम्बन्धित राज्यों द्वारा किए जाने थे । मध्य प्रदेश को जारी अनुदान एवं तत्पश्चात इनको पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित करना 1-5 में दर्शाया गया है:

1-5 में दर्शाया गया है: (₹ करोड़ में)

13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान	13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत सामान्य निष्पादन अनुदान	13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	कुल
2,689.89	112.79	1,424.15	79.00	4,305.83
2,352.50	119.25	1,403.55	78.58	3,953.88
37.39	6.46	20.60	0.42	65.87
2,355.15	98.87	1,403.55	66.89	3,924.46

(13वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत सामान्य मूल अनुदान, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान)

<sup>3</sup> जिला पंचायत-12, जनपद पंचायत-25 एवं ग्राम पंचायत-69

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने 2010-15 के दौरान राज्य को पंचायत राज संस्थाओं हेतु 13वें वित्त आयोग अनुदान की पात्रता ₹ 4,305.83 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3,953.88 करोड़ जारी किए । इस प्रकार राज्य को तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 351.95 करोड़ कम जारी किया गया ।

1-11-1 130a foRr vk; ksx ds vUrxr jkT; I jdkj }kjk 'krk dh i frl

13वें वित्त आयोग के दिशानिर्देश की कंडिका 10.161 में उल्लेखित शर्तों के पालन के उपरान्त ही राज्य सामान्य निष्पादन अनुदान के अपने आवंटन के आहरण हेतु पात्र था । राज्य द्वारा शर्तों के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :

'krk	jkT; I jdkj }kjk dh x; h dkj bkbz
पंचायतें, जहां निर्वाचित संस्था विद्यमान है, सामान्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होगी ।	पंचायतों के चुनाव 2015 में हुए थे ।
पूर्व आहरित किश्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही अनुदान की आगामी किश्त जारी की जाएगी ।	पंचायत राज संस्थाओं को जारी 13वें वित्त आयोग के अनुदान के आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे ।
पंचायत राज संस्थाओं के सभी पंचायतों के लिए आदर्श पंचायत लेखांकन प्रणाली के अनुरूप लेखाओं के संधारण के लिए लेखांकन प्रणाली को अपनाना ।	राज्य सरकार अगस्त 2010 में आदर्श पंचायत लेखांकन प्रणाली अपनाने हेतु सहमत हुई । परन्तु नमूना जांच किए गए समस्त जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों ने उनके लेखे आदर्श पंचायत लेखांकन प्रणाली के अनुसार संधारित नहीं किए थे ।
सभी स्तरों की पंचायत राज संस्थाओं में लेखापरीक्षा प्रणाली लागू करना । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन साथ-ही-साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।	म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 जुलाई 2011 में संशोधित के अनुसार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पंचायत पर वार्षिक प्रतिवेदन के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु 2013-14 का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया (दिसम्बर 2015) ।
स्थानीय निकायों के अमलों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार एवं कुव्यवस्था संबन्धी शिकायतों की जांच हेतु स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल व्यवस्था स्थापित किया जाना ।	मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1981 लागू था एवं स्थानीय निकायों के समस्त अमला इस अधिनियम के अधीन है ।
पंचायत राज संस्थाओं के समस्त स्तरों में निधि के हस्तांतरण हेतु ई-बैंकिंग प्रणाली स्थापित करना ।	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग के समस्त अनुदानों का हस्तांतरण ई-बैंकिंग के माध्यम से किया



'kr	jkt; l jdkj }kjk dh x; h dkj bkbz
	गया था ।
संविधान के अनुच्छेद 243 आई(2) के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करना ।	पूर्व में ही गठित कर दिया गया था एवं वर्तमान में तृतीय राज्य वित्त आयोग कार्यरत था ।
समस्त स्थानीय निकायों को सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों पर संपत्तिकर लगाने का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए एवं इस कार्य हेतु उत्पन्न कठिनाईयों को दूर किया जाना चाहिए ।	म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 77 द्वारा ग्राम पंचायतों को सम्पत्ति कर अधिरोपित करने का अधिकार है । राज्य की कुल 22,823 ग्राम पंचायतों में से केवल 1,036 ग्राम पंचायतों (4.54 प्रतिशत) ने कर आरोपित एवं संग्रहित किया (जुलाई 2015) ।

1-11-2 i pk; r jkt l fkkvka dks 13oa foRr vk; ksx ds vumku foyEc l s tkjh djus ds QyLo: i C; kt dh jkf'k ₹ 15-04 djkm+ de tkjh djuk

13वें वित्त आयोग की दिशानिर्देश की कंडिका 4.2 के अनुसार 13वें वित्त आयोग के अनुदान केन्द्र सरकार से प्राप्त दिनांक से 10 दिन के भीतर पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए जाने थे । किसी भी विलंब की स्थिति में, राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की बैंक दर से ब्याज सहित अनुदान जारी करेगी, यह 2010-11 की द्वितीय किश्त से लागू की जाएगी ।

हमने देखा कि दिशानिर्देशों के अनुसार 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का हस्तान्तरण पंचायत राज संस्थाओं को समयसीमा में नहीं किया गया था । राज्य के वित्त विभाग ने पंचायत राज संस्थाओं को 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलम्ब से जारी करने हेतु ब्याज ₹ 11.58 करोड़<sup>4</sup> स्वीकृत किया । हमने पाया कि ब्याज के भुगतान हेतु स्वीकृत ₹ 11.58 करोड़ में से ₹ 5.30 करोड़ पंचायत राज संचालनालय के बैंक खाते में रखे 13वें वित्त आयोग के अनुदान पर ब्याज के रूप में जमा प्राप्त राशि थी । इस प्रकार राज्य सरकार को 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलम्ब से जारी करने के कारण राशि ₹ 6.28 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा ।

हमने आगे देखा कि 2010-15 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 1,015.61 करोड़ एक माह से 288 दिनों के विलम्ब के साथ पंचायत राज संस्थाओं को जारी किए गए थे  $\frac{1}{2}$  1-5½ । 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलम्ब से जारी करने पर ब्याज के भुगतान के लिए वित्त विभाग द्वारा अपनाई गई 9 प्रतिशत ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए पंचायत राज संस्थाओं को भुगतान योग्य ब्याज ₹ 26.62 करोड़ की गणना की गई थी । इस प्रकार, 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलम्ब से जारी करने के कारण पंचायत राज संस्थाओं को भुगतान योग्य ब्याज राशि ₹ 15.04 करोड़<sup>5</sup> कम जारी की गई ।

इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 2015), आयुक्त पंचायत राज संचालनालय ने बताया कि वित्त विभाग से प्राप्त ब्याज राशि ग्राम पंचायतों को जारी कर दी गयी थी ।

<sup>4</sup> दिनांक 13.07.2013 को ₹ 0.36 करोड़ एवं दिनांक 14.07.2014 को ₹ 11.22 करोड़

<sup>5</sup> भुगतान की गई ब्याज (₹ 11.58 करोड़) एवं वास्तविक भुगतान योग्य ब्याज (₹ 26.62 करोड़) का अंतर

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि 13वें वित्त आयोग के अनुदानों को विलम्ब से जारी करने के कारण पंचायत राज संस्थाओं को जारी ब्याज 13वें वित्त आयोग के दिशानिर्देश में दिये मानकों के अनुरूप नहीं था ।

### 1-11-3 I kekl; fu"i knu vuṅku dk 0; i orṽ

सामान्य वित्तीय नियम 212(1) के अनुसार सहायता अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं को इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होता है कि अनुदान राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया है जिस उद्देश्य हेतु वह स्वीकृत हुई थी । 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य योजना जारी की गई (अगस्त 2010) जिनमें कार्यों की प्राथमिकता वर्णित थी यथा ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों की परिसम्पतियों का रखरखाव एवं अधोसंरचना का विकास, पेयजल की व्यवस्था एवं जल प्रदाय योजना तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में मूलभूत सुविधा में वृद्धि करना था ।

पंचायत राज संचालनालय के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि सामान्य मूल अनुदान ₹ 321.44 करोड़ एवं सामान्य निष्पादन अनुदान ₹ 214.85 करोड़ की प्रथम किस्त राज्य को जारी की गई थी (क्रमशः अगस्त 2013 एवं मार्च 2014) । इन अनुदानों में से सामान्य निष्पादन अनुदान ₹ 36.07 करोड़<sup>6</sup> पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अधीन प्रशिक्षण आयोजन हेतु जारी किया गया । हमने आगे देखा कि जिला पंचायत नरसिंहपुर ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ₹ 0.62 करोड़ सामान्य निष्पादन अनुदान व्यय किए (अगस्त 2015) ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी कार्य योजना में, 13वें वित्त आयोग के अनुदान से प्रशिक्षण एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के वेतन भुगतान हेतु व्यय करने का प्रावधान नहीं था । इस प्रकार, 13वें वित्त आयोग के अनुदान ₹ 36.69 करोड़, जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किए गए थे, उस उद्देश्य के विपरीत अन्य प्रयोजन हेतु व्ययवर्तित किए गए ।

इसे इंगित किये जाने पर आयुक्त पंचायत राज संचालनालय द्वारा बताया गया (जुलाई 2015) कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना में निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण संचालक, ग्रामीण विकास विभाग संस्थान, जबलपुर को 13वें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए गए थे जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर ने दिसम्बर 2015 तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 13वें वित्त आयोग के अनुदान राशि का व्ययवर्तन स्वीकृत प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में किया गया एवं आगे यह असमायोजित रहा ।

<sup>6</sup> चैक क्रमांक 588623 दिनांक 18.3.14 (₹ 16.07 करोड़) एवं चैक क्रमांक 689382 दिनांक 9.6.14 (₹ 20 करोड़)

*v/; k; & nks*

*fu"i knu ys[kki jh{kk*

*2-1 I kekftd ys[kki jh{kk ; kst uk*

*2-2 i p k; r j k t I d F k k v k a e a  
v k a f j d f u; a . k i z k k y h*

v/; k; nk% fu"i knu ys[ kki jh{kk

i pk; r , oa xkeh.k fodkl foHkx

2-1 I kekftd ys[ kki jh{kk ; kstuk

dk; 7 kyu I kjkd k

सामाजिक लेखापरीक्षा को कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन और इसके परिणामों का सत्यापन प्राथमिक स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय भागीदारी के साथ समुदाय द्वारा करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सामाजिक लेखापरीक्षा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लेखापरीक्षा योजना नियम, 2011 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लाया गया। तत्पश्चात्, मध्य प्रदेश शासन ने सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई "मध्य प्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति" की स्थापना की।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति, सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्रों को तैयार करने, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के बीच उनके अधिकारों एवं हकों के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्राथमिक स्टेकहोल्डर्स द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को सुगम बनाने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण के लिये उत्तरदायी थी।

2014-15 के दौरान राज्य के 14 जिलों में 15 ब्लॉकों की 931 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गयी। "सामाजिक लेखापरीक्षा योजना" के कार्यान्वयन की अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नानुसार पाया गया :

I kekftd ys[ kki jh{kk ds fy; s forrh; 0; oLFkk

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश (अप्रैल 2013) अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत कुल वार्षिक व्यय का एक प्रतिशत सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना पर लागत को पूरा करने एवं मनरेगा कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन के लिये उपयोग किया जाना था। तथापि, वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये मनरेगा योजना के अंतर्गत राशि ₹ 51.69 करोड़ उद्दिष्ट की जानी थी जबकि म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को केवल ₹ 6.45 करोड़ जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन एवं सुदृढीकरण के लिए पंचायत राज संचालनालय से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राशि ₹ 5.18 करोड़ भी प्राप्त हुए।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये केवल ₹ 0.47 करोड़ का उपयोग कर सकी एवं इसके द्वारा मनरेगा योजना निधि की अप्रयुक्त राशि ₹ 4.00 करोड़ मनरेगा परिषद को मार्च 2014 में वापिस कर दी गई। अधीनस्थ स्तर पर अमले की अनुपलब्धता एवं सामाजिक लेखापरीक्षा कवरेज के लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण निधि का उपयोग कम हुआ था।

%dfMdk 2-1-6½

i Hkkoh Lkekftd ys[ kki jh{kk bdkbZ dh LFkki uk

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन को सुगम बनाने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर स्रोत व्यक्तियों की उपयुक्त संख्या को चिन्हित करेगी। म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा स्रोत व्यक्तियों के 5,346 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव दिया गया (जून 2013)। तथापि, यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास अभी तक विचाराधीन था। पर्याप्त मानवशक्ति की अनुपलब्धता होने से राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा का कवरेज प्रभावित हुआ।

%dfMdk 2-1-7-1½

*I kekftd ys[kkijh{kk dk vk; kstu*

॥ लेखापरीक्षा योजना नियम, 2011 की धारा 3(1) के अनुसार राज्य सरकार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की छह माह में कम-से-कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन कराने में सहयोग करेगी। तथापि, 2012-13 से 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन में 98 प्रतिशत की कमी थी जैसा कि आवश्यक 1,37,678 के विरुद्ध केवल 2,674 सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन किया जा सका।

॥dfMdk 2-1-8-2॥

॥ सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गुणवत्ता नियंत्रण में कमियाँ थी। म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन के लिए ग्राम सामाजिक एनिमेटर्स नियमावली एवं सामाजिक लेखापरीक्षा प्रपत्र जारी किए थे। तथापि, नमूना जांच की गई 50 ग्राम पंचायतों में से केवल दो ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के लिए निर्धारित प्रपत्रों को सही तरीके से भरा गया था जबकि 48 अन्य ग्राम पंचायतों में प्रपत्रों को या तो सही तरीके से भरा नहीं गया या भरा ही नहीं गया था। परिणामस्वरूप, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रपत्रों में सम्मिलित निर्धारित सत्यापन कार्रवाई के निष्कर्षों को शामिल नहीं किया गया था।

॥dfMdk 2-1-8-3॥

॥ मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की संपूर्ण कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी एवं इसे बिना संपादन के डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.नरेगा.एनआईसी.इन वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तथापि, नमूना जांच की गई 50 ग्राम पंचायतों में से 43 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा ग्रामसभा की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गयी थी। सात ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई परन्तु इसे वेबसाइट में अपलोड नहीं किया गया था।

॥ dfMdk 2-1-8-5॥

*I kekftd ys[kkijh{kk ifronuka ij vuprh{dkj bkbll*

● लेखापरीक्षा योजना नियम, 2011 एवं मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अन्तर्गत शासन द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई या तो सुनिश्चित नहीं की जा रही थी या विलम्ब से सुनिश्चित की गई थी।

॥dfMdk 2-1-9-1 , oa 2-1-9-2॥

*2-1-1 iLrkouk*

सामाजिक लेखापरीक्षा को कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन और इसके परिणामों का सत्यापन प्राथमिक स्टैकहोल्डर्स की सक्रिय भागीदारी के साथ समुदाय द्वारा करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सामाजिक लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने, लोगों को उनकी जरूरतें एवं शिकायतों को व्यक्त करने के लिये सामूहिक मंच जैसे सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा उपलब्ध कराना तथा भ्रष्टाचार रोकते हुए और कार्यान्वयन में सुधार के द्वारा योजना को सुदृढ़ बनाना, सम्मिलित है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लेखापरीक्षा योजना नियम, 2011 के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में लाया गया। राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन को सुगम बनाने के लिये, एक स्वतंत्र संस्था, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, की स्थापना करे। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्रों को तैयार करने, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के बीच उनके अधिकारों एवं हकों के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्राथमिक स्टैकहोल्डर्स द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को सुगम बनाने के लिये ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण के लिये उत्तरदायी है। मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन के लिये कार्यान्वयन अभिकरणों के द्वारा सभी अभिलेख सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु, सत्यापन की कार्रवाई के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा का बुलाया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा को मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जबाबदेही के सिद्धांतों का अनुपालन, मजदूरों के अधिकारों एवं हकों की पूर्ति एवं निधियों के उचित उपयोग की समीक्षा करना भी आवश्यक है। ग्राम सभा को निष्कर्षों पर विचार करना होता है और कार्यान्वयन अभिकरणों को ग्राम सभा में प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर जवाब देना होता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर समयसीमा में सुधारात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित करता है।

### 2-1-2 सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया

अपर मुख्य सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के राज्य स्तर पर प्रधान हैं, जो मनरेगा सहित ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (जो मनरेगा परिषद के नाम से भी जानी जाती है) राज्य स्तर पर मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं नियमित अनुवीक्षण के लिए उत्तरदायी है। जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जिले में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

राज्य में एक स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई “म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति” स्थापित की गई है (जनवरी 2013) जो कि म.प्र. राज्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है। संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति के प्रधान हैं जो कि इसके संपूर्ण क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायी हैं।

### 2-1-3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि क्या :

- राज्य में एक प्रभावी एवं स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई विद्यमान थी ;
- सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए योजना, अभिलेखों की उपलब्धता, प्रतिवेदनों के प्रेषण एवं अनुवर्ती कार्यवाही जैसे पर्याप्त सहायता तंत्र उपलब्ध कराए थे; एवं
- 2014-15 के दौरान की गई सामाजिक लेखापरीक्षा, नियमों एवं विनियमों के अनुसार पर्याप्त एवं प्रभावी थी तथा इसमें जिला कार्यक्रम समन्वयक और अन्य शासकीय अमले द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन एवं सहायता की गई थी।

### 2-1-4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मानदण्डों पर आधारित थी :

- मनरेगा अधिनियम, 2005 के सुसंगत प्रावधान, मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013;
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लेखापरीक्षा योजना नियम, 2011, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी सामाजिक लेखापरीक्षा नियमावली तथा निर्देश; एवं
- राज्य सरकार एवं म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा जारी सुसंगत नियम, विनियम, परिपत्र एवं नियमावली ।

#### 2-1-5 य[ kki jh{kk dk; [ks= , oa dk; fof/k

2014-15 के दौरान राज्य के 14 जिलों में 15 ब्लॉकों की 931 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गयी । इनमें से 50 ग्राम पंचायतों का, जो आठ जिलों के आठ ब्लॉकों के अंतर्गत थीं, का चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन बिना प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुये अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु किया गया था जिसका विवरण i f j f ' k " V 2-1 में दिया गया है ।

प्रवेश सम्मेलन 03 जून 2015 को अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि के बारे में चर्चा की गयी । मई 2015 से जुलाई 2015 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चयनित आठ जिले, आठ ब्लॉकों एवं 50 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी ।

निर्गम सम्मेलन 08 सितम्बर 2015 को अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु आयोजित किया गया । म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति के उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है ।


#### य[ kki jh{kk fu" d " k z

लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई वर्ष के प्रारंभ में ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु वार्षिक कैलेंडर बनाएगी एवं कैलेंडर की एक प्रति आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को भेजी जाएंगी । सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन को सुगम बनाने के लिए ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर उपयुक्त स्रोत व्यक्तियों को चिन्हित, प्रशिक्षण एवं तैनाती के लिए उत्तरदायी है ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने सात सदस्यीय ग्राम संपरीक्षा समिति, जो कि ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन के लिए जिम्मेदार होगी, की स्थापना के लिये निर्देश जारी किए (जनवरी 2014)। जिला स्रोत व्यक्तियों द्वारा चिन्हित ग्राम सामाजिक एनिमेटर, सामाजिक लेखापरीक्षा करने में ग्राम संपरीक्षा समिति की सहायता करेंगे । प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसकी ओर से अन्य अधिकारी/कर्मचारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध करा दिए गए हैं ।

2012-13 से 2014-15 के दौरान राज्य के 25 जिलों में 40 ब्लॉकों में एक अवसर पर 2,674 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी एवं वार्षिक कवरेज 0.18 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत के मध्य था, विवरण मानचित्र में दर्शाया गया है:





2-1-6 सामाजिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत राज्य/संघ क्षेत्रों में

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश (अप्रैल 2013) अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत कुल वार्षिक व्यय का एक प्रतिशत सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना पर लागत को पूरा करने एवं मनरेगा कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए उपयोग किया जाना था।

हमने पाया कि वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय का एक प्रतिशत, ₹ 51.69 करोड़ उद्दिष्ट किया जाना था। इसके विरुद्ध, मनरेगा परिषद् ने मनरेगा निधि के ₹ 6.45 करोड़ ही म. प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन एवं सुदृढीकरण हेतु पंचायत राज संचालनालय से ₹ 5.18 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार, मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए उद्दिष्ट निधि म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को जारी नहीं की गई थी।

हमने आगे यह पाया कि म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये केवल ₹ 0.47 करोड़ का ही उपयोग कर सकी एवं इसके द्वारा मनरेगा निधि की अप्रयुक्त राशि ₹ 4.00 करोड़, मार्च 2014 में मनरेगा परिषद् को वापस कर दिए।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि अधीनस्थ स्तर पर अमले की अनुपलब्धता के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन केवल चयनित ब्लॉकों में किये जाने के कारण निधि का उपयोग कम रहा। उनके द्वारा आगे बताया गया कि मुख्य कार्मिकों की नियुक्ति के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय में वृद्धि होगी।



2-1-7 i Hkkoh I kekftd ys[kki jh{kk bdkbz dh LFkki uk

2-1-7-1 I kekftd ys[kki jh{kk ds fy; s i; kDr ekuo'kDr dh vuq yC/krk

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के कंडिका 13.2.2 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन को सुगम बनाने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/ ग्राम स्तर पर स्रोत व्यक्तियों की उपयुक्त संख्या को चिन्हित करेगी ।

हमने देखा कि संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने अपने क्रियाकलाप के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन का प्रस्ताव किया (जून 2013) । आगे, अधीनस्थ स्तर पर भी राज्य स्रोत व्यक्तियों के 20, जिला स्रोत व्यक्तियों के 100, ब्लॉक स्रोत व्यक्तियों के 626 और ग्राम सामाजिक एनीमेटर के 4,600 पदों की आवश्यकता का प्रस्ताव दिया ।

राज्यों को सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन में सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विशेष परियोजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु जो कि वर्ष 2017 तक परिचालन में रहेगी, निर्णय लिया (जून 2014) । इसके अधीन, राज्य एवं जिला स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा में लगाये गये स्रोत व्यक्तियों की लागत की प्रतिपूर्ति राज्य को की जाएगी । ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विशेष परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिये राज्य स्तर पर 11 पदों (एक संचालक एवं दस सामाजिक लेखापरीक्षा विशेषज्ञ) और जिला स्रोत व्यक्तियों के 82 पदों के प्रावधान को सूचित किया था । इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति समयबद्ध तरीके से सितम्बर 2014 तक पूर्ण की जानी थी ।

हमने पाया कि राज्य/जिला स्तर पर इन पदों के विरुद्ध सामाजिक लेखापरीक्षा स्रोत व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की गई थी (सितम्बर 2015) । आगे, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति के लिये प्रस्तावित 14 पदों को भी सृजित नहीं किया गया क्योंकि प्रस्ताव वित्त विभाग के पास लंबित था । तथापि, हमने देखा कि सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए 2012-13 से 2014-15 के दौरान 666 ग्राम सामाजिक एनिमेटर की तैनाती मानदेय आधार पर की गई थी ।

इस प्रकार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के लिए पर्याप्त मानवशक्ति की नियुक्ति/तैनाती नहीं की गई थी जिसके कारण राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा कवरेज प्रभावित हुआ जिसकी चर्चा कंडिका 2.1.8.2 में की गई है ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि पदों की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अधीन विचाराधीन था । आगे, उनके द्वारा स्वीकार किया कि राज्य एवं अधीनस्थ स्तर के अमले के अभाव में मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी ।

तथ्य यह है कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के सुचारु रूप से संचालन के लिए कार्मिकों की समयबद्ध नियुक्ति नहीं की गई थी ।

vuq kd k

राज्य शासन द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त स्रोत व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए ।

2-1-7-2 I kekftd ys[kki jh{kk bdkbz ds fy, i wkd kfyd I pkyd dh fu; fDr ugha dh xbz

मनरेगा को क्रियान्वित करने वाले विभाग से सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने हेतु, सामाजिक लेखापरीक्षा नियमावली के अध्याय तीन के पैरा 1(सी)

के अनुसार संचालक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, संचालक के पूर्ण प्रभार में होना चाहिए एवं वह राज्य में मनरेगा के कार्यान्वयन में सम्मिलित शासकीय अधिकारी नहीं होना चाहिए ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति के अभिलेखों की जांच में पाया गया (जून 2015) कि जुलाई 2012 से नवम्बर 2014 तक वहां एक पूर्णकालिक संचालक था । तथापि, दिसम्बर 2014 से फरवरी 2015 के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा के पास संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति का अतिरिक्त प्रभार था । उसके पश्चात् संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, के पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था (अप्रैल 2015) परन्तु आवेदित उम्मीदवार इसके योग्य नहीं पाए गए । इसलिए अगस्त 2015 में पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति इसके स्वतंत्र क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित थी और मनरेगा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की संचालक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के रूप में पदस्थापना किया जाना सामाजिक लेखापरीक्षा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था । इसने कार्यकारी से लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत का भी उल्लंघन किया ।

### 2-1-7-3 *खे / हक दि / करक दि फुलक*

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के पैरा 13.4.3(i) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर उपयुक्त स्रोत व्यक्तियों को चिन्हित करने, प्रशिक्षण देने एवं तैनाती द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए ग्राम सभा की क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी । म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा जारी व्ही.एस.ए. नियमावली के अनुसार ग्राम सामाजिक एनिमेटर्स के लिए आवश्यक था कि वह ग्राम संपरीक्षा समिति को प्रशिक्षण दे और सामाजिक लेखापरीक्षा के सारांशित निष्कर्षों को निर्धारित प्रपत्रों में भरने में सहायता प्रदान करे ।

हमने पाया कि 15 ब्लॉकों (931 ग्राम पंचायतों) में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन के लिए 2014-15 के दौरान 245 ग्राम सामाजिक एनिमेटर्स को प्रशिक्षित किया गया था । तथापि, 50 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों के सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच में पाया गया कि केवल दो ग्राम पंचायतों (खुलसान एवं चोपना) में सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए निर्धारित प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरा गया जबकि 48 अन्य ग्राम पंचायतों में प्रपत्रों को या तो सही ढंग से नहीं भरा गया या भरा ही नहीं गया था । इस प्रकार, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा अधीनस्थ स्तर पर पर्याप्त क्षमता निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जा सका जिसने सामाजिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि ग्राम सामाजिक एनिमेटर्स को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रपत्रों को भरने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई थी । इनके द्वारा आगे बताया कि प्रपत्रों को भरने के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी देने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे ।

**वृद्धि**

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा विभिन्न स्रोत व्यक्तियों को उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए ग्राम सभा की पर्याप्त क्षमता निर्माण को सुनिश्चित किया जाए ।

**2-1-8 लेखापरीक्षा के लिए संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति**

**2-1-8-1 लेखापरीक्षा के लिए संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति**

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.3.1 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक छह माह में कम-से-कम एक सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के लिये वर्ष के प्रारम्भ में वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगी । सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कैलेंडर की प्रति भेजी जाएगी ।

e-ई जेटी;  
लेखापरीक्षा  
लेखापरीक्षा के लिए  
संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति  
द्वारा जारी की गई थी।

हमने पाया कि संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार नहीं किया । तथापि, संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने जिला कार्यक्रम समन्वयक को विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से समय अवधि, जिसमें वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की जानी थी, की सूचना दी गई थी ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि सामाजिक लेखापरीक्षा चयनित ब्लॉक में किए जाने के कारण उनके द्वारा वार्षिक कैलेंडर तैयार नहीं किया गया ।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक कैलेंडर तैयार करना था एवं कम-से-कम चयनित ब्लॉकों के लिए कैलेंडर तैयार करवाया जा सकता था ।

**2-1-8-2 लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 की धारा 3(1) के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की छह माह में कम-से-कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन कराने में सहयोग करेगी ।**

लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 की धारा 3(1) के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की छह माह में कम-से-कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन कराने में सहयोग करेगी ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा की गई सामाजिक लेखापरीक्षा आंकड़ों की जांच में पाया गया कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा निर्धारित आवृत्ति में नहीं की गई थी, विवरण रकम 2-1 में दर्शाया गया है:

रकम 2-1 में दर्शाया गया है

क्र.सं.	वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई	विवरण	विवरण
1	2012&13	23]010	46]020	81%0-18½	45]939%99-82½
2	2013&14	23]006	46]012	1]662%3-6½	44]350%96-40½
3	2014&15	22]823	45]646	931%2-04½	44]715%97-96½
	; kx	68]839	1]37]678	2]674	1]35]004%98-06½

(लेखापरीक्षा के लिए संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा जारी की गई थी)

2012&13 l s  
2014&15 ds  
nkj ku  
l kekft d  
ys[ kki jh{kk ds  
dojst ea 98  
ifr'kr dh  
deh Fkh A

2-1 से स्पष्ट है कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा का कवरेज, की जाने वाली आवश्यक सामाजिक लेखापरीक्षा का 0.18 प्रतिशत एवं 3.6 प्रतिशत के मध्य था । आगे, 2013-14 में 1,662 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी जो कि 2014-15 में घटकर 931 ग्राम पंचायत रह गई थी ।

हमने आगे पाया कि ग्राम पंचायतों में वर्ष में दो के स्थान पर केवल एक ही सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी जो कि लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था ।

इस ओर इंगित किए जाने पर संचालक, म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (जून 2015) कि आवश्यक स्रोत व्यक्तियों की कमी एवं पंचायत चुनाव होने के कारण वर्ष 2014-15 के दौरान कम संख्या में ग्राम पंचायतों को सामाजिक लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था । म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने आगे बताया (सितम्बर 2015) कि पदों के अनुमोदन के लिये गम्भीर प्रयास किए जा रहे थे ।

तथापि, संचालक लेखापरीक्षा की आवृत्ति, जो कि बहुत ही कम थी, को बढ़ाने हेतु क्या आयोजना बना रहे थे, के बारे में मौन थे ।

### 2-1-8-3 l kekft d ys[ kki jh{kk ifronu dh xq koRrk fu; a. k

लेखापरीक्षा की योजना नियम 2011 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिये सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्र, संसाधन सामग्री, दिशानिर्देश एवं नियमावली तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा । हमने देखा कि म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु व्ही.एस.ए. नियमावली एवं सामाजिक लेखापरीक्षा प्रपत्र जारी किए थे । 50 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जांच में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रपत्र में सम्मिलित अपेक्षित सत्यापन कार्रवाई के निष्कर्षों को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया था, विवरण निम्नानुसार है:

#### • l kekft d ys[ kki jh{kk ifronu i i = dks Hkj us ea dfe; ka

जैसा कि कंडिका 2.1.7.3 में चर्चा की गई है, लेखापरीक्षा में चयनित किए गए नमूनों में से केवल दो ग्राम पंचायतों (खुलसान एवं चोपना) में सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरा गया था जबकि 48 अन्य ग्राम पंचायतों में प्रपत्रों को या तो सही तरीके से नहीं भरा गया था या भरे ही नहीं गए थे ।

#### • i fj; kst uk LFkyka ds Hkkf rd l R; ki u dk ifronu

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.4.3(vi) में विनिर्दिष्ट है कि सामाजिक लेखापरीक्षा दल (संबंधित ग्राम सामाजिक एनिमेटर एवं ग्राम संपरीक्षा समिति सहित) मनरेगा योजनान्तर्गत परियोजना स्थलों का दौरा करेंगे तथा भौतिक रूप से सत्यापित करेंगे कि क्या पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों में निहित जानकारी से मेल खाती हैं । भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रपत्र में अभिलिखित किया जाना आवश्यक था ।

पूछे जाने पर दो ग्राम पंचायतों (बडगांव एवं बघोली) ने सूचित किया कि परियोजना स्थलों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था । नौ ग्राम पंचायतों<sup>1</sup> के सचिवों ने बताया कि परियोजना स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया था तथापि, भौतिक

<sup>1</sup> जिला छिन्दवाड़ा के जनपद पंचायत, तामिया के बांगई, बिजौरीपठार, चाखला, चोपना, डेलाखेड़ी, जामुनडोंगा, कुम्हड़ी, लोटिया, एवं मुत्तैर

सत्यापन प्रतिवेदन को न ही निर्धारित प्रपत्रों में भरा गया और न ही ग्राम सभा की कार्रवाई में दर्शाया गया । तथापि, हमने पाया कि शेष 39 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन का विवरण सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्रवाई/निर्धारित प्रपत्र में दर्शाया गया था ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि भौतिक एवं मौखिक सत्यापन भौतिक सत्यापन प्रपत्रों के आधार पर किए गए थे एवं इसे ग्राम सभा के दौरान पढ़ा गया था । उनके द्वारा आगे बताया गया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में इस प्रपत्र की एक प्रति रखने के लिए ग्राम पंचायतों के सचिवों को निर्देश जारी किए जाएंगे ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो ग्राम पंचायतों ने स्वीकार किया कि परियोजना स्थल का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त, नौ ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं पाए गए थे ।

- *t kkk dkkkkkj; ka dks Hkxrk dh x; h jkf'k dks n'kkUs okys fooj.k okyh nhokj ysfku dk vHkko*

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.3.4(vii) के अनुसार ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने को सुगम बनाने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा तैनात स्रोत व्यक्ति प्राथमिक स्टेकहोल्डर्स के साथ यह सत्यापित करेगा कि क्या सभी जॉब कार्डधारियों को भुगतान की गई राशि के विवरण का पंचायत कार्यालय की दीवार पर लेखन किया गया था ।

हमने देखा कि जॉब कार्डधारियों को भुगतान की गई राशि के विवरण को एक ग्राम पंचायत (बादलपार) की दीवार पर लेखन किया गया था जबकि नमूना जांच की गई 50 ग्राम पंचायतों में से 49 अन्य ग्राम पंचायतों की दीवारों पर, जॉब कार्डधारियों को भुगतान की गई राशि के विवरण का लेखन नहीं किया गया था । तथापि, संबंधित सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस तथ्य के बारे में टिप्पणी नहीं की गई थी ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि दीवार लेखन का कार्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जाना चाहिए तथा मनरेगा परिषद् को इस संबंध में विशिष्ट आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया जाएगा ।

तथ्य यह है कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सत्यता एवं गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित नहीं किया गया था जिसके कारण सामाजिक लेखापरीक्षा सत्यापन कार्रवाई की रिपोर्टिंग में कमियां पाई गईं ।

*vuq kd k*

ग्राम संपरीक्षा समिति एवं ग्राम सामाजिक एनिमेटर अपने निष्कर्षों को निर्धारित सामाजिक लेखापरीक्षा प्रपत्र में यथार्थता एवं सम्पूर्णता के साथ प्रतिवेदित करे, को सुनिश्चित करने के लिए म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र विकसित करना चाहिए ।

*2-1-8-4 I kekftd ysfkkijhkk xtel Hkk dh v/; {krk fn'kkfunz k ds i ko/kkuka ds vuq i u fd; k tkuk*

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.3.5 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा आयोजित की जाएगी । बैठक की अध्यक्षता, वरिष्ठ ग्रामीण, जो कि पंचायत या किसी क्रियान्वयन अभिकरण का भाग न हो, के द्वारा की जाएगी ।

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच के दौरान हमने पाया कि 50 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में से पांच<sup>2</sup> ग्राम पंचायतों के ग्राम सभा की अध्यक्षता या तो ग्राम पंचायत के सरपंच या भृत्य द्वारा की गई थी । यह मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रावधानों के विपरीत था क्योंकि सरपंच/भृत्य के पंचायत का भाग होने के कारण, सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने स्वीकार किया (सितम्बर 2015) कि कुछ ग्राम पंचायतों में पंचायत राज संस्था के सदस्य द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की अध्यक्षता की गई थी । भविष्य में ऐसी स्थिति को दूर करना सुनिश्चित किया जाएगा ।

वृद्ध क

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभाओं की अध्यक्षता ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाए जो पंचायत या किसी क्रियान्वयन अभिकरण का हिस्सा न हो ताकि ग्राम सभा के दौरान सुस्पष्ट चर्चा सुगम हो सके ।

2-1-8-5 / केफ्टद य्स[क्कि जह{क्क xके / Hक्क dh ohfM; ks fj dkfM&

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.3.11 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की सम्पूर्ण कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी एवं इसे बिना सम्पादन के डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.नरेगा.एनआईसी.इन वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा । वीडियो रिकार्डिंग जिला कार्यक्रम समन्वयक की अभिरक्षा में भी रखी जाएगी । मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.3.5 प्रावधानित करता है कि निर्णयों एवं संकल्पों पर मतदान किया जाएगा । तथापि, असहमत राय को कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाना चाहिए ।

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच में पाया गया कि नमूना जांच की गई सभी 50 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिये ग्राम सभा बुलाई गई थी । सात ग्राम पंचायतों<sup>3</sup> में ग्राम सभा की कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग की गई थी किन्तु इसे वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.नरेगा.एनआईसी.इन) पर अपलोड नहीं किया गया था । तथापि, नमूना जांच की गई 50 ग्राम पंचायतों में से 43 ग्राम पंचायतों की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी ।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि ग्राम सभा की वीडियो रिकार्डिंग करने एवं इसे भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे । ग्राम सभा द्वारा पारित निर्णय एवं संकल्पों पर वोट करने के संबंध में, शासन ने उत्तर में बताया कि ग्राम सभा द्वारा पारित किए गए सभी निर्णय एवं संकल्पों को ग्राम सभा की कार्रवाईयों में उल्लेख करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

वृद्ध क

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्रवाईयों की वीडियो रिकॉर्डिंग एवं इसे मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए ।

Lkkeftd  
ys[क्कि जह{क्क xके  
/ Hक्क dh  
dkj bkbz dh  
ohfM; ks  
fj dkfM& 43  
xके i pk; rka ea  
ugh dh xbz  
Fkh A

<sup>2</sup> भौराघाट, बिजौरीपठार, धुसावानी, खुरमुन्डी एवं सिरसोद

<sup>3</sup> बादलपार, फतेहपुर (एमए), घोड़ादेही, जगनटोला (एम), मझगांव (एमए), नागरी एवं सिरसोद

2-1-8-6 I kekftd ys[kkijh{kk xke I Hkk dh dkj`bkb]

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.3.10 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान सभी मुद्दों को आवश्यक रूप से लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए तथा उठाए गए सभी मुद्दों के लिए साक्ष्य एकत्रित किए जाने चाहिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र (जनवरी 2014) के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्रवाई को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा नामित शासकीय अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाना होता है।

हमने देखा कि 19 ग्राम पंचायतों<sup>4</sup> की सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्रवाई को चर्चा किए गए मुद्दे के विवरण के साथ अभिलिखित नहीं किए गए थे। एक ग्राम पंचायत (मुत्तौर) में कार्रवाई को अभिलिखित नहीं किया गया था। जैसा कि कंडिका 2.1.8.5 में चर्चा की गई है, ग्राम सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किए जाने के कारण इन ग्राम सभाओं में मतदान हेतु रखे गए निर्णयों एवं संकल्पों की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्रवाई को अगली सामाजिक लेखापरीक्षा से अभिलिखित करने के लिए पूर्ण रूप से ध्यान देने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

2-1-8-7 ftyk dk; Øe I ello; d }kjk ukfer vf/kdkfj; kx dk vuq fLFkr jguk

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.3.6 में प्रावधानित है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि ग्राम सभाओं के सुचारु संचालन के लिए, इसका पर्यवेक्षण करेगा।

सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की जांच में पाया गया कि 50 ग्राम पंचायतों में से छह ग्राम पंचायतों<sup>5</sup> में नामित अधिकारी उपस्थित नहीं थे।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-1-8-8 v/; {kka }kjk I kekftd ys[kkijh{kk ifronuka ij ifrgLrk{kj u fd;k tkuk

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.3.12 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आवश्यक रूप से उसी विशेष सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। तथापि, हमने पाया कि 50 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में से 30 ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्राम सभाओं के अध्यक्षों द्वारा ifjf'k"V 2-2 के विवरण अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने बताया (सितम्बर 2015) कि भविष्य में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

<sup>4</sup> अरंडिया, बडगांव, भीकेवाड़ा, बिजौरीपठार, बोदा, चाखला, दौरियाखेड़ा, डेलाखेड़ी, धुसावानी, डोइफोडिया, डुडगांव बस्ती, जामुनडोंगा, खापासानी, खुलसान, कुम्हड़ी, कुर्सीढाना, लिगा, नागरी, सीताकामत

<sup>5</sup> अमावाही, बंदीबोदल कछार, भौराघाट, डोइफोडिया, खुरमुंडी एवं नागझिरी

2-1-9 I kekftd ys[kki jh{kk ifronuka ij vuprhz dkj bkbz

2-1-9-1 I kekftd ys[kki jh{kk fu"d"kkā ij dh xbz dkj bkbz ds ifronuka dks jkT; fo/kkul Hkk ea iLrq ugha fd; k x; k

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 की कंडिका 13.4.5 के अनुसार राज्य रोजगार गारंटी परिषद् राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन में, की गई कार्रवाई के प्रतिवेदनों को समाहित करेगी ।

इंगित किए जाने पर मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् ने बताया कि सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की स्थिति को वर्ष 2015-16 के आगामी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा । तथापि, सामाजिक लेखापरीक्षा पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किए गए तंत्र को लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था ।

सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति ने सूचित किया कि सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए मुद्दों को ग्राम सभा एवं जिला प्रशासन द्वारा समाधान कर दिया गया था । उनके द्वारा आगे यह भी सूचित किया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्कर्षों को वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल कराने के लिए मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को उपलब्ध कराया जाएगा ।

तथ्य यह है कि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के अंतर्गत प्रावधानित सामाजिक लेखापरीक्षा पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को राज्य विधान मण्डल के समक्ष नहीं रखा गया था ।

2-1-9-2 Hkkjr ds fu; a=d , oa egkys[kki jh{kd dks I kekftd ys[kki jh{kk ds fu"d"kkā ds I kjk k dks iLrq fd; k tkuk

लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 की धारा 3(2) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के दौरान की गई सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का सारांश राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा । तथापि, वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के सारांश को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था (फरवरी 2016) ।

vud ka k

लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 एवं मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुरूप सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर समय पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

2-1-10 fu"d"kkā ds I kjk k , oa vud ka k, a

- सामाजिक लेखापरीक्षा योजना का उद्देश्य मुख्यतः राज्य स्तर एवं अधीनस्थ स्तर पर मानव संसाधनों की भारी कमी के कारण पूर्ण नहीं हो सका । 2012-13 से 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा की निर्धारित आवृत्ति के विरुद्ध सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने में 98 प्रतिशत की कमी रही, जैसा कि आवश्यक 1,37,678 सामाजिक लेखापरीक्षा के विरुद्ध केवल 2,674 सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजत की गई थी ।

ys[kki jh{kk  
; kst uk fu; e  
2011 , oa eujsk  
i fj pkyu  
fn' kkfunz k 2013  
ds vllrxz  
I kekftd  
ys[kki jh{kk  
ifronuka ij  
vko'; d vuprhz  
dkj bkbz dks ; k  
rks I fuf' pr  
ugha fd; k x; k  
Fkk ; k foyEc I s  
I fuf' pr fd; k  
x; k Fkk A



Vuq kd k% राज्य शासन द्वारा म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति के प्रभावी संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त स्रोत व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए ।

- म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा अधीनस्थ स्तर पर क्षमता निर्माण सुनिश्चित नहीं की जा सकी जिसके कारण सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की गुणवत्ता प्रभावित हुई ।

Vuq kd k% म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा विभिन्न स्रोत व्यक्तियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देते हुए सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए ग्राम सभा की पर्याप्त क्षमता निर्माण को सुनिश्चित किया जाए ।

- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन न्यून था क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रपत्र में सम्मिलित अपेक्षित सत्यापन कार्रवाई के निष्कर्षों को सम्मिलित नहीं किया गया था । निर्धारित प्रपत्र या तो सही तरीके से नहीं भरे गये या भरे नहीं गए थे ।

Vuq kd k % ग्राम संपरीक्षा समिति एवं ग्राम सामाजिक एनिमेटर निर्धारित सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्रों में उनके निष्कर्षों को सही तरीके से प्रतिवेदित करे यह सुनिश्चित करने के लिए म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति को आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र विकसित करना चाहिए ।

- सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभाओं की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किये जाने के कुछ उदाहरण थे । आगे, सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग या तो नहीं की गयी या इसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया ।

Vuq kd k % म.प्र. राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ ग्रामीण व्यक्ति के द्वारा ही की जाए जो पंचायत या किसी कार्यान्वयन अभिकरण का भाग न हो । यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ।

- लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 एवं मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अन्तर्गत शासन द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई या तो सुनिश्चित नहीं की जा रही थी या विलम्ब से सुनिश्चित की गई थी ।

Vuq kd k % लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 एवं मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुरूप सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

i p k ; r , o a x k e h . k f o d k l f o H k k x

2-2 i p k ; r j k t l l F k k v k a e a v k a r f j d f u ; a . k i z k k y h

2-2-1 i l r k o u k

आंतरिक नियंत्रण सुशासन के लिए आवश्यक है । ये गतिविधियां तथा रोकथाम के तरीके हैं जो किसी संस्था के प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये अपनाये जाते हैं कि उसकी गतिविधियां योजना के अनुसार चल रही हैं । आंतरिक नियंत्रण, एक इकाई के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गयी, व्यापक और सतत प्रक्रिया है ।

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 8 के अनुसार पंचायत राज की तीन स्तरों पर ग्राम के लिये ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लिये जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत की स्थापना की गई है । इन पंचायत राज संस्थाओं को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विभिन्न कार्य हस्तांतरित किए गए हैं ।

ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है, जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है । सरपंच ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य तथा की गई कार्यवाही का पर्यवेक्षण एवं उस पर नियंत्रण रखता है । सरपंच पर ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों की समुचित अभिरक्षा एवं संधारण सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है । सरपंच ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा तथा भुगतानों के प्राधिकार, चैक जारी करने तथा धन वापसी के लिये भी उत्तरदायी है । राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सचिव की पदस्थापना की गई है । वह सभी रजिस्ट्रों और अभिलेखों को अधिनियम एवं नियम तथा उसके अधीन बनाये गए उपनियमों के तहत संधारित करता है ।

जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभा के समस्त ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचित क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः ब्लॉक के भीतर पड़ते हैं, निर्वाचित हुए हैं और ब्लॉक के प्रादेशिक क्षेत्र में सरपंचों का एक पंचमांश चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए आते हैं । प्रत्येक जनपद पंचायत का मुखिया अध्यक्ष होता है जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उनके बीच से ही चुना जाता है । अध्यक्ष, जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य और की गई कार्यवाही का पर्यवेक्षण तथा उस पर नियंत्रण रखता है । वह जनपद पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा तथा भुगतान के प्राधिकार, चैक जारी करने तथा धन वापसी के लिये उत्तरदायी है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का प्रशासनिक मुखिया होता है जिसकी सहायता के लिए विकास खण्ड अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और प्रशासनिक अमला होता है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के संकल्पों के कार्यान्वयन की कार्यवाही तथा जनपद पंचायतों की सभी क्रियाकलापों के निष्पादन का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण लिये उत्तरदायी है । वह जनपद पंचायत निधि से रकम के आहरण तथा संवितरण करने के लिए इस संबंध में बनाए गए वित्तीय नियमों के अनुसार प्राधिकृत है ।

जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य और उस जिले से निर्वाचित राज्य विधान सभा के सदस्य तथा जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं । प्रत्येक जिला पंचायत का मुखिया अध्यक्ष होता है जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उनके बीच में से ही चुना जाता है । अध्यक्ष जिला पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य और की गई कार्यवाही का पर्यवेक्षण तथा उस पर

नियंत्रण रखता है। वह जिला पंचायत निधि की सुरक्षित अभिरक्षा तथा भुगतान के प्राधिकार, चैक जारी करने तथा धन वापसी के लिये उत्तरदायी होता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का प्रशासनिक मुखिया है जिसकी सहायता के लिये परियोजना अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक यंत्री और प्रशासनिक अमला होता है। वह जिला पंचायत के संकल्पों के कार्यान्वयन की कार्यवाही एवं जिला पंचायत की सभी गतिविधियों के निष्पादन का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है। वह जिला पंचायत निधि से रकम के आहरण एवं संवितरण करने के लिए प्राधिकृत इस संबंध में बनाए गए वित्तीय नियमों के अनुसार है।

राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन पंचायत राज व्यवस्थाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु सभी त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को मार्गदर्शन देने हेतु उत्तरदायी है।

### 2-2-2 य[क्कि जह{क्क मन्स ;

पंचायत राज संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या :

- पंचायत राज संस्थाओं ने आंतरिक नियंत्रण हेतु निर्धारित सुसंगत अधिनियम, नियमों तथा विनियमों का उपयुक्त रूप से पालन किया है;
- अभिलेखों का सुचारु रूप से संधारण किया गया;
- निर्धारित आंतरिक नियंत्रण करने हेतु पर्याप्त प्रशासनिक नियंत्रण था; तथा
- आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से आंतरिक नियंत्रण संरचना की समीक्षा की गई तथा सुधारात्मक कदम उठाए गए।

### 2-2-3 य[क्कि जह{क्क द्क; [क्स=] द्क; [फो/क रफ्क एकि न.म

पंचायत राज संस्थाओं की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा हेतु दो जिलों, छिंदवाड़ा (अनुसूचित जिला)<sup>6</sup> तथा इन्दौर (गैर अनुसूचित जिला) का चयन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिंदवाड़ा तथा इन्दौर, इन दोनों जिलों की सभी जनपद पंचायतों (छिंदवाड़ा जिले की 11 जनपद पंचायत<sup>7</sup> तथा इन्दौर जिले की चार जनपद पंचायत<sup>8</sup>) के कार्यालयों को शामिल किया गया। प्रत्येक जनपद पंचायत के अन्तर्गत दस ग्राम पंचायतों का चयन "प्रोबेबिलिटी प्रपोर्शनल टू साइज सेम्पलिंग मेथड" के द्वारा किया था जिसमें आकार का आधार ग्राम पंचायतों को आवंटित निधि था। इस प्रकार 150 ग्राम पंचायतों का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया जिसका विवरण i f j f ' k " V 2-3 में दिया गया है। लेखापरीक्षा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए थी तथा मार्च से अगस्त 2015 के दौरान बाह्य लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष हेतु, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम; पंचायत लेखा नियम, 1997; एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लेखापरीक्षा के मानदण्ड थे।

<sup>6</sup> अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा मध्यप्रदेश राज्य) आदेश 2003 के द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जिले के रूप में अधिसूचित जिले

<sup>7</sup> अमरवाड़ा, बिछुआ, चौरई, छिंदवाड़ा, हरई, जुन्नारदेव, मोहखेड़, पांडुरना, परासिया, सौंसर तथा तामिया

<sup>8</sup> देपालपुर, महु, इन्दौर तथा सांवेर

प्रवेश सम्मेलन दिनांक 17 मार्च 2015 को अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदण्ड एवं लेखापरीक्षा क्षेत्र पर चर्चा हेतु किया गया । निर्गम सम्मेलन दिनांक 08 सितम्बर 2015 को अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के साथ किया गया । विभाग के उत्तर उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिए गए हैं ।

यस [kki jh {kk fu" d" k]

ftyk i pk; rks ea vkrfjd fu; a. k iz kkyh

जिला पंचायत, पंचायत राज संस्थाओं की सर्वोच्च संस्था के रूप में, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत की गतिविधियों को समन्वित करती है । मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 52 के अनुसार जिला पंचायत का कर्तव्य, जिले के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना और ऐसी योजना के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होगा । जिला पंचायत, जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण तथा उनका मार्गदर्शन, जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, समन्वय तथा समेकन सुनिश्चित करती है तथा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को पुनः आवंटित करती है । जिला पंचायत ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अभिकरणों के माध्यम से कार्य, योजनाओं तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है ।

दो जिला पंचायतों, छिंदवाड़ा तथा इन्दौर के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा में निम्नानुसार पाया गया कि:

2-2-4 l d xr vf/kfu; e] fu; eks rFkk fofu; eks ea fu/kk'j r vkrfjd fu; a. k i fØ; k dk vuq kyu

2-2-4-1 ctV vupekua dks r\$ kj djus vkfj vupekfnr djus ea foyEc

जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 के नियम 8 में वर्णित है कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विभिन्न स्थायी समितियों से आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में प्राप्त प्रस्तावों तथा जनपद पंचायतों को प्रस्तावित आवंटन का परीक्षण करने के पश्चात् प्रतिवर्ष 1 जनवरी या उसके पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जिला पंचायत के आय तथा व्यय का अनुमान तैयार करायेंगे । आगे, नियम 13 में वर्णित किया गया है कि जिला पंचायत 20 जनवरी तक बजट अनुमान पर विचार और अनुमोदन करेगी तथा अधिकतम 31 जनवरी तक उसे अनुमोदन के लिए संचालनालय, पंचायत राज को प्रस्तुत करेगी । जिला पंचायत से बजट अनुमान प्राप्त होने पर संचालनालय के लिए यह आवश्यक है कि वह बजट अनुमान का परीक्षण करे एवं अपना अनुमोदन 15 मार्च तक सूचित करे ।

अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि जिला पंचायत इन्दौर द्वारा बजट अनुमान समय से तैयार तथा अनुमोदित किए गए थे ।

जिला पंचायत छिंदवाड़ा में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों को संचालनालय, पंचायती राज को प्रस्तुत करने में i f j f ' k " V 2-4 में दिए गए विवरण अनुसार 57 से 329 दिन तक का विलम्ब हुआ । आगे, हमने पाया कि संचालनालय स्तर पर बजट अनुमानों के अनुमोदन में विलम्ब हुआ । संचालनालय पंचायत राज द्वारा वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए बजट अनुमानों का अनुमोदन दिसम्बर 2014 में, अर्थात् जिन वित्तीय वर्षों के ये बजट अनुमान थे उन संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के पश्चात्, किया था । इसके अतिरिक्त,

ftyk i pk; r  
fNnokMk }kjk  
ctV vupeku  
r\$ kj djus , oa  
vupekfnr djus  
ea 329 fnuka  
rd dk foyc  
gpkA

संचालनालय पंचायत राज द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान के अनुमोदित होने की सूचना 298 दिन के विलम्ब से दी गई ।

इस प्रकार, बजटीय नियंत्रण, जो राशियों के अनुचित उपयोग को रोकने का एक महत्वपूर्ण साधन है, कमजोर था । इसके अतिरिक्त, बजट अनुमान तैयार करने एवं अनुमोदन में विलम्ब जिला पंचायत स्तर पर नियोजन की कमी दर्शाता है ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि जिला पंचायतों को समय से बजट तैयार करने एवं अनुमोदित करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

*vuq kd k*

जिला पंचायतों के बजट अनुमानों को, जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 में निर्धारित समय सीमा के अंदर तैयार एवं अनुमोदित करना चाहिए ।

#### 2-2-4-2 *vokLrfod ctV vuqku r\$ kj djuk*

जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 के नियम 11 के अनुसार बजट अनुमान यथासंभव निकटतम तथा ठीक होना चाहिए । किसी अनुमान में बचत का होना आधिक्य की भांति ही एक वित्तीय अनियमितता है ।

जिला पंचायत छिंदवाड़ा एवं इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि बजट अनुमानों तथा वास्तविक आय-व्यय के आंकड़ों में बहुत अंतर था  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  जो अवास्तविक बजट तैयार करना दर्शाता है ।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, जिला पंचायत छिंदवाड़ा में वास्तविक आय में बजट अनुमानों से 21 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक अंतर था । इस अवधि के दौरान, अनुमानित व्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय के आंकड़ों में 32 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक अंतर था ।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, जिला पंचायत इन्दौर में बजट अनुमानों एवं वास्तविक आय के आंकड़ों में 9 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय के आंकड़ों में 13 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक अंतर था ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि जिला पंचायतों को उचित बजट अनुमान तैयार करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

#### 2-2-4-3 *cd l ek/kku i=d r\$ kj ugha fd; k tkuk*

जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 15 के अनुसार रोकड़बही दिन समाप्त होने पर प्रतिदिन बंद की जानी चाहिए और लेखापाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी या ऐसे व्यक्ति जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अंतिम शेष को हस्ताक्षरित करेगा । नियम 25 के अनुसार किसी भी उल्लिखित दिन बैंक रजिस्टर के संकलित शेषों को रोकड़बही के बैंक कालम में यथा दर्शित शेष से उसी दिन मिलान करना चाहिए । बैंक रजिस्टर में दिये हुए शेषों के समाधान का एक मासिक पत्रक तैयार किया जाना चाहिए । आगे, नियम 26 के अनुसार प्रतिवर्ष 30 सितम्बर और 31 मार्च को अंतिम शेष की स्थिति का बैंक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और जिसको उस दिनांक की पास बुक के शेषों से तुलना करना चाहिए तथा पूर्ववत शेष की स्थिति पर पहुंचने के लिए बैंक खाते का अर्धवार्षिक समाधान तैयार किया जाएगा ।

अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया गया । 31 मार्च 2015 की स्थिति में, जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा 29 बैंक खाते संधारित किए जा रहे

ftyk ipk; r  
fNnokMk }kj k  
cd l ek/kku  
i=d r\$ kj  
ughaf d; k  
x; k A

थे । इनमें से, एक बैंक खाते (जि.ग्रा.वि.प्रा.<sup>9</sup> योजना) के सम्बंध में बैंक पास बुक एवं रोकड़ बही के अंतिम शेष में अंतर था । जिला पंचायत छिंदवाड़ा की जि.ग्रा.वि.प्रा. योजना की रोकड़बही में अंतिम शेष ₹ 29.73 लाख था जबकि संबंधित बैंक पास बुक में अंतिम शेष ₹ 22.63 लाख था । बैंक समाधान पत्रक के अभाव में, रोकड़बही एवं बैंक पास बुक के अंतिम शेषों में ₹ 7.10 लाख के अंतर का कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका । इस प्रकार, जिला पंचायत छिंदवाड़ा का अपने वित्तीय प्रबंधन पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण था ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि सभी जिला पंचायतों को बैंक समाधान पत्रक तैयार करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे । उन्होंने आगे कहा कि रोकड़ बही की तुलना में बैंक में कम शेष होने के कारणों की जांच की जाएगी ।

वृत्तिका

जिला पंचायतों को, जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार बैंक समाधान पत्रक तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए ।

#### 2-2-4-4 विवरण के अनुसार

जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 49 के अनुसार जिला पंचायत का रोकड़िया या भंडार रक्षक या कोई अन्य कर्मचारी, जिसे नकदी या भंडार की अभिरक्षा सौंपी गई हो, न्यूनतम ₹ 10,000 या ऐसी उच्चतर रकम, जो जिला पंचायत द्वारा नियत की जाए, की प्रतिभूति देगा ।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जिला पंचायत छिंदवाड़ा एवं इन्दौर, दोनों में जिन व्यक्तियों को रोकड़ अथवा भण्डार का प्रभार दिया गया था, के द्वारा प्रतिभूति जमा नहीं की गई ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि सभी जिला पंचायतों को प्रतिभूति जमा प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

#### 2-2-5 विवरण के अनुसार

##### 2-2-5-1 विवरण के अनुसार

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 73(3) के अनुसार जिला पंचायतों के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार कर विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करे । संचालनालय पंचायत राज ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया था (जनवरी 2011) कि वे प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष 30 जून तक आयुक्त पंचायत राज को प्रस्तुत करें ।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में जिला पंचायत छिंदवाड़ा तथा इन्दौर द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि जिला पंचायतों को प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

##### 2-2-5-2 विवरण के अनुसार

जिला पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 61 के अनुसार सामान्य प्रशासन समिति द्वारा भंडार/डेड स्टॉक की सभी सामग्रियों का भौतिक सत्यापन, आवधिक आधार पर और एक वर्ष में कम-से-कम दो बार किया जाएगा । सत्यापन में पाई गई

वृत्तिका  
विवरण के अनुसार  
विवरण के अनुसार  
विवरण के अनुसार  
विवरण के अनुसार  
विवरण के अनुसार  
विवरण के अनुसार

<sup>9</sup> जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण

ftyk ipk; r  
fNanokMk  
}kjk  
Hk. Mkj @MM  
LVknd dk  
Hkkfrd  
l R; ki u ugha  
fd; k x; k A

कमी/आधिक्य, यदि कोई हो, को सत्यापन प्राधिकारी द्वारा विधिवत् तारीख और हस्ताक्षर सहित रजिस्टर में अभिलेखित किया जाएगा ।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा भण्डार/डेड स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नियमानुसार भण्डार के भौतिक सत्यापन हेतु एक अधिकारी को नामित करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

tuin ipk; rka ea vkarfjd fu; a. k iz kkyh

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 50 के अनुसार जनपद पंचायत के लिए आवश्यक है कि वह राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा, एवं अधिनियम द्वारा उसे सौंपी गई आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के संबंध में वार्षिक योजना तैयार करे । जनपद पंचायत का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह समस्त ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायत की वार्षिक योजना पर विचार करे और उसे समेकित करे तथा समेकित योजना को जिला पंचायत को प्रस्तुत करे । जनपद पंचायत अपने अधिकारिता के भीतर सामुदायिक विकास खंड या आदिमजाति विकास खंड के प्रशासन का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करती है । राज्य सरकार द्वारा ऐसे ब्लॉकों को सौंपे गए कार्य तथा योजनाओं का कार्यान्वयन, जनपद पंचायत के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाता है ।

छिंदवाड़ा जिले की 11 जनपद पंचायतों तथा इन्दौर जिले की चार जनपद पंचायतों की आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

2-2-6 l d xr vf/kfu; e] fu; eka rFkk fofu; eka ea fu/kkfr vkarfjd fu; a. k i fØ; k dk vuq kyu

2-2-6-1 ctV vupekuk dk r\$ kj u fd; k tkuk

जनपद पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 के नियम 11 के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विभिन्न स्थायी समितियों से आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात्, प्रतिवर्ष 10 जनवरी या उसके पूर्व, जनपद पंचायत का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान तैयार कराएगा और जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासनिक समिति के समक्ष रखेगा । आगे, नियम 16 के अनुसार जनपद पंचायत प्रत्येक वर्ष की 30 जनवरी से पहले बजट अनुमान पर विचार एवं अनुमोदन करेगी ।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि जनपद पंचायत देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान बजट अनुमान तैयार नहीं किए गए । हमने आगे पाया कि इन्दौर जिले की इन्दौर, महू तथा सांवेर जनपद पंचायतों तथा छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ जनपद पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में बजट अनुमान तैयार नहीं किए गए । इन जनपद पंचायतों द्वारा बजट अनुमान तैयार न करना, व्यय पर बजटीय नियंत्रण के अभाव के साथ-साथ नियोजन में कमी को दर्शाता है ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान तैयार करने हेतु पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके थे ।

वृत्तिका

जनपद पंचायतों के बजट अनुमान, जनपद पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 में निर्धारित समय सीमा में तैयार किए जाने चाहिए ।

### 2-2-6-2 छिंदवाड़ा जिले के जनपद पंचायतों के बजट अनुमान

जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 15 के अनुसार रोकड़बही दिन समाप्त होने पर प्रतिदिन बंद की जानी चाहिए और लेखापाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी या ऐसा व्यक्ति जो उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अंतिम शेष को हस्ताक्षरित करेगा । नियम 25 के अनुसार किसी भी उल्लिखित दिन बैंक रजिस्टर के संकलित शेषों को रोकड़ बही के बैंक कालम में यथा दर्शित शेष से उसी दिन मिलान करना चाहिए । बैंक रजिस्टर में दिये हुए शेषों के समाधान का एक मासिक पत्रक तैयार किया जाना चाहिए । आगे, नियम 26 में अपेक्षित है कि प्रतिवर्ष 30 सितम्बर और 31 मार्च को अंतिम शेष की स्थिति का बैंक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसका उस दिनांक की पास बुक के शेषों से तुलना करना चाहिए तथा पूर्ववत शेष की स्थिति पर पहुंचने के लिए बैंक खाते का अर्धवार्षिक समाधान तैयार किया जाएगा ।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि छिंदवाड़ा जिले की 11 जनपद पंचायतों में से नौ जनपद पंचायतों<sup>10</sup> तथा इन्दौर जिले की चार जनपद पंचायतों में से तीन जनपद पंचायतों<sup>11</sup> द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किए गए । इन 12 जनपद पंचायतों के रोकड़बही तथा बैंक खातों के अंतिम शेषों के अंतर का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है । हमने आगे पाया कि:

निम्नलिखित जनपद पंचायतों के बजट अनुमानों में अंतर का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है ।

- छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायतों अमरवाड़ा तथा पांडुर्णा में 31 मार्च 2015 की स्थिति में रोकड़बही शेषों की तुलना में बैंक खातों के शेषों में क्रमशः ₹ 84.99 लाख तथा ₹ 31.48 लाख कम थे । इसी प्रकार, इन्दौर जिले की जनपद पंचायत सांवेर में 31 मार्च 2015 की स्थिति में रोकड़बही के शेषों की तुलना में बैंक खाते के शेषों में ₹ 0.37 लाख कम थे ।
- जनपद पंचायत इन्दौर में, तीन बैंक खातों में उनसे संबंधित रोकड़बहियों की अपेक्षा, तालिका 2-2 में दिये विवरण के अनुसार, कम शेष थे:

तालिका 2-2: 31 मार्च 2015 की स्थिति में जनपद पंचायतों के बजट अनुमानों में अंतर का विवरण

क्र.सं.	जनपद पंचायत का नाम	बैंक खाते के शेषों में अंतर		अंतर (₹)
		रोकड़बही शेष	बैंक खाते के शेष	
1	एम.पी.एल.ए.डी. <sup>12</sup>	2,01,803	1,03,286	(-) 98,517
2	आंगनवाड़ी भवन	73,18,405	70,13,804	(-)3,04,601
3	पंचायत उपकर	4,09,958	4,09,804	(-)154

बैंक समाधान पत्रक के अभाव में रोकड़बही तथा बैंक पास बुक के अन्तिम शेषों में अंतर होने का कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सका । यह जनपद पंचायतों के उनके रोकड़ प्रबंधन पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है ।

<sup>10</sup> अमरवाड़ा, बिछुआ, चौरई, हरई, जुन्नारदेव, मोहखेड़, पांडुर्णा, साँसर तथा तामिया

<sup>11</sup> देपालपुर, इन्दौर तथा सांवेर

<sup>12</sup> सांसद सदस्य स्थानीय विकास क्षेत्र



निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि सभी जनपद पंचायतों को बैंक समाधान पत्रक तैयार करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे । जहां बैंक शेष रोकड़बही की तुलना में कम हैं, उन प्रकरणों की जांच की जाएगी ।

**वृत्तिका**

जनपद पंचायतों को जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार बैंक समाधान पत्रक तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए ।

**2-2-6-3 विवेक / एक; कस्तु उगा फद; क तक**

जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 49 के अनुसार उस व्यक्ति की, जिसने कोई अग्रिम लिया है, यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसा व्यय करने के पश्चात् उस प्रयोजन के लिये किए गए व्यय का विवरण तत्काल प्रस्तुत करे, ऐसा नहीं करने पर अग्रिम की सम्पूर्ण रकम उसके अगले वेतन या अन्य देय राशियों में से काटी जानी चाहिए । आगे, नियम 48 में वर्णित किया गया है कि किसी व्यक्ति को कोई भी अग्रिम तब तक नहीं दिये जाएंगे जब तक कि पूर्व में दिये गये अग्रिम पूर्ण रूप से वसूल/समायोजित नहीं हो गए हों ।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि छिंदवाड़ा जिले की नौ जनपद पंचायतों एवं इन्दौर जिले की एक जनपद पंचायत में राशि ₹ 35.96 लाख के अग्रिम की वसूली 2-7 में दिए गए विवरण के अनुसार विगत एक वर्ष से लेकर 32 वर्ष की अवधि से लम्बित थी ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि अग्रिमों के समायोजन हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे ।

**वृत्तिका**

जनपद पंचायतों द्वारा, जिस प्रयोजन हेतु अग्रिम दिया गया हो, उस पर व्यय होने के उपरांत, अग्रिमों का तुरन्त समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए ।

**2-2-6-4 विवेक / एक; कस्तु उगा फद; क तक**

जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 44 के अनुसार जनपद पंचायत के प्रत्येक कर्मचारी, जिसे नकदी या भंडार की अभिरक्षा सौंपी गई हो, ₹ 10,000 की प्रतिभूति जमा करेगा ।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि छिंदवाड़ा जिले की नौ जनपद पंचायतों<sup>13</sup> तथा इन्दौर जिले की सभी चार नमूना जांच की गई जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने, रोकड़ संभालने वाले व्यक्तियों से प्रतिभूति जमा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित नहीं किया था ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि सभी जनपद पंचायतों को प्रतिभूति राशि जमा कराने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

**2-2-7 विवेक / एक; कस्तु उगा फद; क तक**

**2-2-7-1 विवेक / एक; कस्तु उगा फद; क तक**

संचालनालय, पंचायत राज के निर्देश (फरवरी 2011), के अनुसार पंचायत समन्वयक अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की समीक्षा करे तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन जनपद पंचायतों को भेजना सुनिश्चित करे । उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि ग्राम पंचायतों द्वारा लेखे उचित रूप से

विवेक / एक; कस्तु उगा फद; क तक  
 ₹ 35-96 लाख  
 धीरे धीरे  
 फोर, द ओक  
 1 सय 32  
 ओक / सय फेर  
 फि A

<sup>13</sup> अमरवाड़ा, बिछुआ, छिंदवाड़ा, हरई, जुन्नारदेव, मोहखेड़, पांडुरना, परासिया तथा सौंसर

संधारित किए गए, बजट समय से तैयार किया गया एवं अनुमोदित कराया गया, बैंक समाधान तैयार किया गया था और भण्डार सामग्री का क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था इत्यादि । राज्य सरकार पंचायत समन्वयक अधिकारी के स्वीकृत पदों को भरने के लिए उत्तरदायी थी ।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि छिंदवाड़ा जिले की तीन जनपद पंचायतों<sup>14</sup> में पंचायत समन्वयक अधिकारियों के 35 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 13 पद (37 प्रतिशत) रिक्त थे ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि पंचायत समन्वयक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रगति में है तथा भविष्य में रिक्त पदों को भरा जाएगा ।

### 2-2-7-2 Hk. Mkj dk Hkkfrod I R; ki u

जनपद पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 58 के अनुसार सामान्य प्रशासन समिति द्वारा भंडार/डेड स्टॉक की सभी सामग्रियों का भौतिक सत्यापन आवधिक आधार पर और एक वर्ष में कम से कम दो बार किया जाएगा । सत्यापन में पाई गई कमी/आधिक्य, यदि कोई हो, को सत्यापन प्राधिकारी द्वारा विधिवत तारीख और हस्ताक्षर सहित रजिस्टर में अभिलेखित किया जाएगा ।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि छिंदवाड़ा जिले की नमूना जांच की गई 11 जनपद पंचायतों में से नौ जनपद पंचायतों<sup>15</sup> तथा इन्दौर जिले की चार जनपद पंचायतों में से किसी भी जनपद पंचायत द्वारा भण्डार/डेड स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नियमानुसार भण्डार के भौतिक सत्यापन हेतु एक अधिकारी को नामित करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

### xke i pk; rka ea vkarfjd fu; a. k iz kkyhs

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 49-अ के अनुसार यह ग्राम पंचायतों का कर्तव्य है कि पंचायत क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करें और उसे जनपद पंचायत को प्रस्तुत करें । ग्राम पंचायत को किसी विधि द्वारा सौंपी गई या केन्द्र या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा सौंपी गई ऐसी योजनाओं, कार्यों, परियोजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

छिंदवाड़ा तथा इन्दौर जिले की 15 चयनित जनपद पंचायतों की प्रत्येक 10 ग्राम पंचायतों का चयन लेखापरीक्षा हेतु किया गया । तथापि, 150 चयनित ग्राम पंचायतों में से, 139 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच की जा सकी । छिंदवाड़ा जिले की नौ ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि तीन ग्राम पंचायतों (साजवा, भालपानी तथा खमरा) के पूर्व सचिवों द्वारा वर्तमान सचिवों को अभिलेख नहीं सौंपे गए थे । छह ग्राम पंचायतों (चिचखेड़ा, मोहपानीमाल, पाथरी, सिलोटाकला, कढ़ैया तथा इटावा) में लेखापरीक्षा दल के पहुंचने पर ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला बंद पाया गया तथा सचिव अनुपस्थित थे । आगे, इन्दौर जिले की दो ग्राम पंचायतों (पालदा तथा बड़ा बांगड़दा) के नगर निगम इन्दौर में सम्मिलित होने के फलस्वरूप लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी ।

139 ग्राम पंचायतों के आंतरिक नियंत्रण की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया :

<sup>14</sup> हरई, जुन्नारदेव तथा मोहखेड़

<sup>15</sup> अमरवाड़ा, चौरई, छिंदवाड़ा, हरई, जुन्नारदेव, मोहखेड़, पांडुरना, सौंसर तथा तामिया

2-2-8 l d ær vf/kfu; e] fu; ek rFkk fofu; ek ea fu/kk}r vkarfjd fu; æ. k i fØ; k dk vuq kyu

2-2-8-1 ctV vupekuk dk r\$ kj ugha fd; k tkuk

मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 के नियम 5 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रतिवर्ष 21 फरवरी तक बजट अनुमान के प्रारूप पर विचार और अनुमोदन करे तथा प्रतिवर्ष फरवरी के अंतिम दिन तक जनपद पंचायत को प्रस्तुत करे । नियम 3 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक बजट प्रावधान और बजट में प्रस्तावित प्रावधानों को न्यायोचित ठहराने के कारणों को विस्तार से वर्णित करना चाहिए ।

हमने पाया कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान छिंदवाड़ा तथा इन्दौर जिले की 139 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी किसी भी वर्ष बजट अनुमान तैयार नहीं किया । ग्राम पंचायतों द्वारा बजट अनुमान तैयार न किया जाना ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना में कमी को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, इन ग्राम पंचायतों में निधियों के उपयोग पर बजटीय नियंत्रण में कमी थी ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान तैयार करने हेतु पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके थे ।

vuq kd k

जनपद पंचायतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम, 1997 के अनुसार निर्धारित समय सीमा में बजट अनुमान तैयार कर प्रस्तुत करें ।

2-2-8-2 cfd l ek/kku i=d r\$ kj u djuk rFkk jkdMegh dk vuifpr l dkkj. k

ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 24 के अनुसार सचिव तथा सरपंच सुनिश्चित करेंगे कि आवधिक आधार पर लेजर में प्रकट बैंक के शेषों का बैंक विवरण में दर्शाए शेषों से मिलान कर लिया है । यदि लेजर शेषों और बैंक विवरण के अनुसार शेषों में अंतर हो तो उसका समाधान किया जाएगा और सभी गुमशुदा प्रविष्टियां पंचायत के लेखाओं में दर्ज की जायेंगी । आगे, नियम 16 में वर्णित किया गया है कि रोकड़बही दिन प्रतिदिन के आधार पर लिखी जानी चाहिए और सप्ताह में कम-से-कम एक बार बंद की जानी चाहिए । अंतिम शेष रोकड़बही में अभिलेखित किए जाएंगे और सचिव/सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

हमने पाया कि 139 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी 2010-11 से 2014-15 के दौरान बैंक समाधान पत्रक नहीं तैयार किए थे । आगे, 139 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में से 80 ग्राम पंचायतों ने बताया कि बैंक पास बुक/स्टेटमेंट की प्रविष्टियों के आधार पर रोकड़बही लिखी गई थी जो कि ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 16 के विरुद्ध था । इस प्रकार ग्राम पंचायतों का उनके नकद प्रबंधन पर आंतरिक नियंत्रण कमजोर था ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि सभी ग्राम पंचायतों को बैंक समाधान पत्रक तैयार करने तथा रोकड़बही के उचित संधारण करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

vuq kd k

ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों को बैंक समाधान पत्रक तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए । रोकड़बही दिन-प्रतिदिन के आधार पर लिखी जानी चाहिए ।

139 ueuk  
tkp dh xbl  
fdl h Hkh  
xke i pk; r  
us 2010&11  
l s 2014&15  
ds nkj ku  
ctV vupekuk  
r\$ kj ugha  
fd; k A

ueuk tkp  
dh xbl xke  
i pk; rka }kj  
cfd l ek/kku  
i=d r\$ kj  
ughaf d; k  
x; k Fkk A

### 2-2-8-3 ifrHkr tek u djuk

ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 42 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रत्येक सचिव या सरपंच या किसी अन्य पंच या ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसे पंचायत की नकदी या भण्डार की अभिरक्षा सौंपी गई हो, या तो नकद या पंचायत को स्वीकार्य किसी व्यक्ति की गारंटी द्वारा न्यूनतम प्रतिभूति राशि ₹ 5,000 या उससे अधिक जो ग्राम पंचायत द्वारा नियत की जाए, देगा ।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 139 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी जिन व्यक्तियों को रोकड़ अथवा भण्डार का प्रभार दिया गया था, प्रतिभूति जमा नहीं की गई ।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर दिया कि सभी ग्राम पंचायतों को प्रतिभूति जमा प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

### 2-2-9 fu; k i ft; ka dk l akkj .k

#### 2-2-9-1 vko'; d vfhkys[ka dk l akkj .k u fd; k tkuk

ग्राम पंचायत (लेखा) नियम, 1999 के नियम 55 के अनुसार सभी अचल संपत्तियां चाहे वे ग्राम पंचायत द्वारा अर्जित हो या उसे अंतरित की गई हों, उन्हें अचल संपत्तियों के रजिस्टर फॉर्म जी.पी.-13 में अभिलेखित करना आवश्यक है । आगे, नियम 56 में वर्णित किया गया है कि ग्राम पंचायत के उपयोग हेतु व्यय योग्य एवं दिए जाने योग्य प्रकृति की और क्रय या अर्जित की गई साथ ही गैर उपभोग्य प्रकृति के डेड स्टॉक की सभी मदों के ब्यौरे डेड स्टॉक के रजिस्टर में फॉर्म जी.पी.-14 में अभिलेखित किए जाएंगे ।

हमने पाया कि 139 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी अचल सम्पत्तियों की पंजी तथा भण्डार पंजी का संधारण नहीं किया था । आवश्यक पंजियों का संधारण न करने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा अचल सम्पत्तियों तथा भण्डार/अन्य डेड स्टॉकों का परीक्षण नहीं किया जा सका ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि सभी ग्राम पंचायतों को भण्डार पंजी के संधारण हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे ।

#### vuq kd k

ग्राम पंचायतों को अचल सम्पत्तियों के अभिलेख तथा भण्डार पंजी का निर्धारित फॉर्म में संधारण सुनिश्चित करना चाहिए ।

### 2-2-10 LFkkuh; fuf/k ys[kki jh{kk dh vki fRr; ka i j vuprh[ dkj bkbz

मध्य प्रदेश पंचायत लेखापरीक्षा नियम, 1997 के नियम 3 के अनुसार पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रतिवर्ष की जाएगी । आगे, नियम 13 में वर्णित किया गया है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरपंच/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं को, जिन्हें प्रतिवेदन में बताया गया है, दूर करेगा और प्रतिवेदन को विस्तृत विचार विमर्श के लिए सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष रखेगा । प्रतिवेदन पर पंचायत द्वारा विचार कर लिए जाने के पश्चात् सरपंच/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुबंधित समय के अंदर त्रुटियों या अनियमितताओं का परिशोधन करने के लिए आगे और आवश्यक कार्रवाई करेगा किन्तु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर एवं लेखा संबंधी अभ्युक्तियों के अनुपालन पर लेखापरीक्षा प्राधिकारी को एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजेगा । राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को जिम्मेदारी सौंपी है ।

ueuuk tkp  
dh xbl xke  
i pk; rka us  
vpy  
l EifRr iath  
rFkk Hk. Mkj  
iath dk  
l akkj .k ugh  
fd; k A

LFkkuh; fuf/k  
ys[kki jh{kk  
dh 2]531  
dfMdk, a  
fujkdj .k grq  
yfEcr Fkh A

हमने पाया कि संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की अभ्युक्तियों के अनुपालन पर अनुवीक्षण अप्रभावी रहा । संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की लम्बित कंडिकाओं के विवरण से 1/4 f'k"V 2-8½ ज्ञात हुआ कि मार्च 2015 की स्थिति में जिला पंचायत छिंदवाड़ा तथा इन्दौर में 282 कंडिकाएं तथा इन दो जिलों की 11 जनपद पंचायतों<sup>16</sup> में 2,249 कंडिकाएं निराकरण हेतु लम्बित थीं । शेष चार जनपद पंचायतों<sup>17</sup> द्वारा लम्बित कंडिकाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया ।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने उत्तर दिया कि जिला पंचायतों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन तथा निराकरण हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे ।

**वृद्ध क**

पंचायत राज संस्थाओं को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की अभ्युक्तियों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

**2-2-11 वृद्ध क ds l kjkd k rFkk वृद्ध क k, a**

- बजटीय नियंत्रण, जो कि निधियों के अनुचित उपयोग को रोकने का महत्वपूर्ण साधन है, कमजोर था । जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा बजट अनुमान तैयार करने एवं अनुमोदित करने में विलम्ब हुआ । नमूना जांच की गई पांच जनपद पंचायतों तथा नमूना जांच की गई 139 ग्राम पंचायतों द्वारा बजट अनुमान तैयार नहीं किए गए थे ।

वृद्ध क k% संबंधित नियमों में वर्णित प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में बजट अनुमान तैयार एवं अनुमोदित करना चाहिए ।

- जिला पंचायत छिंदवाड़ा, 12 जनपद पंचायतों तथा 139 नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों द्वारा बैंक समाधान नहीं किया गया था जिसमें उनके नकद प्रबंधन पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाया ।

वृद्ध क k% संबंधित नियमों के प्रावधानानुसार पंचायत राज संस्थाओं को बैंक समाधान पत्रक तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए ।

- दस जनपद पंचायतों में राशि ₹ 35.96 लाख के अग्रिम विगत एक वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक की अवधि के वसूली हेतु लम्बित थे ।

वृद्ध क k% जनपद पंचायतों द्वारा जिस प्रयोजन हेतु अग्रिम प्रदाय किया गया था उस पर व्यय होने के उपरांत तत्काल समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए ।

- नमूना जांच की गई किसी भी 139 ग्राम पंचायतों द्वारा परिसम्पत्ति पंजी तथा भण्डार पंजी का संधारण नहीं किया गया था ।

वृद्ध क k% ग्राम पंचायतों को निर्धारित फॉर्म में अचल सम्पत्तियों के अभिलेख तथा भण्डार पंजी का संधारण सुनिश्चित करना चाहिए ।

- 2,531 कंडिकाएं निराकरण हेतु लम्बित होने के कारण, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की अभ्युक्तियों के अनुपालन पर अनुवीक्षण अप्रभावी था ।

वृद्ध क k% पंचायत राज संस्थाओं को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की अभ्युक्तियों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

<sup>16</sup> छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत बिछुआ, चौरई, छिंदवाड़ा, हरई, मोहखेड़, पांडुरना, परासिया तथा तामिया तथा इंदौर जिले की जनपद पंचायत इंदौर, महु तथा सांवेर

<sup>17</sup> छिंदवाड़ा जिले की जनपद पंचायत अमरवाड़ा, जुन्नारदेव तथा सौसर तथा इंदौर जिले की जनपद पंचायत देपालपुर

**अध्याय – तीन**  
**लेनदेन लेखापरीक्षा**

v/; k; rhu : yunsu ys[kkijh{k

i p k; r , oa xkeh.k fodkl foHkkx

3-1 fu; eka vkj ofou; eka dk vuq kyu u fd; k tkuk

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप हो । इससे न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में सहायता भी मिलती है । नियमों और विनियमों का अनुपालन न होने पर प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

3-1-1 ys[kkijh{k ds ifji\$; ea ol wjh

ed; dk; i kyu vf/kdkjh] ftyk i p k; r] 'kktki g }kjk QeZ l s l hM x fMx e'khu dh vf/ki kflr ds vki r r l vkn's k ds fo: )] i; k l r l g {kk ds : i ea c s d xkj a/h vkfn l fuf'pr fd, fcuk] QeZ dks ₹ 11 yk[k dk vfxe Hkx rku fd; k x; k A QeZ }kjk 6 o"kk l s vf/kd l e; 0; rhr gks tkus ij Hkh vi f{kr oLrqka dh vki r r l ugha dh xbZ A ys[kkijh{k }kjk b f x r fd, tkus ij ₹ 11 yk[k dh ol wjh dh xbZ A

मध्य प्रदेश पंचायत (सामग्री एवं माल का क्रय) नियम, 1999 के नियम 3 के अनुसार पंचायत ₹ 15,000 से अधिक लागत के माल और सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी । सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 159(1) के अनुसार दी गई सेवाओं या आपूर्तियों का भुगतान सामान्यतया केवल सेवा प्रदायगी या आपूर्ति उपरांत किया जाना चाहिए । कोई भी अग्रिम भुगतान करते समय फर्म से पर्याप्त सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी आदि प्राप्त की जानी चाहिए ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया (जून 2014) कि जिला पंचायत ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अधोसंरचना मद के अंतर्गत ₹ 16.02 लाख की लागत की सीड ग्रेडिंग मशीन के आपूर्ति आदेश एक फर्म को जारी किए (जुलाई 2008) । आगे, जिला पंचायत ने सीड ग्रेडिंग मशीन के संलग्नक के लिए एक अन्य आपूर्ति आदेश जारी किया (जुलाई 2008) । ये आपूर्ति आदेश बिना निविदाएं आमंत्रित किए प्रदाय किए गए ।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने फर्म को दोनों आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध ₹ 11 लाख का अग्रिम भुगतान जारी किया । तथापि, फर्म को अग्रिम भुगतान करते समय, पर्याप्त सुरक्षा के रूप में फर्म से बैंक गारंटी आदि प्राप्त नहीं की गई थी ।

हमने आगे पाया कि फर्म को कई नोटिस जारी करने के बावजूद, 6 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी, फर्म द्वारा अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई । जिला पंचायत द्वारा फर्म को जारी नोटिस, फर्म पर ताला लगा पाया गया, की टिप्पणी के साथ मूलतः वापिस प्राप्त हुआ था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन द्वारा बताया गया कि जुलाई 2015 में फर्म से ₹ 11 लाख प्राप्त कर लिए गए थे और योजना निधि में जमा करा दिए गए थे । शासन ने आगे बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मध्य प्रदेश पंचायत नियम, 1999 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग भी की जा रही थी ।

तथ्य यह है कि फर्म से पर्याप्त सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी आदि प्राप्त किए बिना अग्रिम के भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई जवाबदेही तय नहीं की गई थी ।



**भाग – ब**  
**नगरीय स्थानीय निकाय**

## अध्याय – चार

नगरीय स्थानीय निकायों की  
कार्यप्रणाली, जिम्मेदारी प्रणाली एवं  
वित्तीय प्रतिवेदित मुद्दों पर  
विहंगावलोकन

v/; k; pkj

uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh dk; i z kkyh] ftEenkjh iz kkyh , oa foRrh;  
ifrofnr epnka ij fogakoyksdu

jkT; ea uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh dk; i z kkyh ij fogakoyksdu

#### 4-1 iLrkouk

74वें संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया एवं ढांचागत एकरूपता, नियमित चुनाव एवं वित्त आयोग आदि के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह की प्रणाली की स्थापना की। उक्त के अनुपालन में, राज्यों को इन निकायों को शक्ति, कार्य एवं जवाबदेही सौंपना आवश्यक है जिससे ये स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो।

संविधान के अनुच्छेद 243(क्यू) के अनुसार प्रत्येक राज्य में वृहत नगरीय क्षेत्रों के नगरपालिक निगम; छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद; तथा ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत (अथवा जो नामांकित किया जाए) होगा। आगे, अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) में वर्णित है कि राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकेगी जो उन्हें स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी विधि का जो नगरपालिकाओं को शक्तियों एवं जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करें, प्रावधान कर सकती है।

मार्च 2015 की स्थिति में राज्य में कुल 16 नगरपालिक निगम, 98 नगरपालिका परिषद एवं 264 नगर परिषद हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश राज्य की मूलभूत जनसांख्यिकी जानकारी नीचे दी गई है:


fooj.k	bdkbz	e/; in\$ k	vf[ky Hkkjr
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में अंश	प्रतिशत	6	—
शहरी जनसंख्या	करोड़	2	37.70
शहरी जनसंख्या का अंश	प्रतिशत	27.63	31.16
साक्षरता दर	प्रतिशत	69.32	74.04
लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों)	अनुपात	931 / 1000	940 / 1000

~~2011 dh tux.kuk ds vkaM\$~~

#### 4-2 uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh I xBukRed I jpk

मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन सभी नगरीय स्थानीय निकाय को उनको हस्तांतरित कार्यों के निर्वहन की शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु निगरानी की शक्तियाँ राज्य प्राधिकारियों में निहित हैं। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, शासन स्तर पर नगरीय स्थानीय निकायों के प्रशासकीय विभाग है। नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :

uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh I xBukRed I j puk



#### 4-3 uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh dk; i z kkyh

राज्य सरकार ने संविधान के 12वीं अनुसूची में वर्णित समस्त 18 कार्यों को नगरीय स्थानीय निकायों को ifjf'k"V 4-1 में दिए विवरण अनुसार, हस्तांतरित किया । तथापि, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2015) कि नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों एवं अमलों का तब तक हस्तान्तरण किया जाना शेष था ।

#### 4-4 ys[ kki jh{kk 0; oLFkk

राज्य शासन ने नगरीय स्थानीय निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को नियुक्त किया (नवम्बर 2001) और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अन्तर्गत कार्य करेगा । तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के मानक निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखाओं की ऐसी नमूना जांच और उन पर टिप्पणी करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक (सप्लीमेंट) करने का अधिकार होगा, जिन्हें वह उचित समझे । आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके प्रतिनिधि, अपने विवेक से लेखापरीक्षा परिणाम को राज्य विधान सभा को प्रतिवेदित करने का अधिकार रखते हैं ।

मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा राज्य में स्थानीय निकायों के विनियोग लेखाओं के परीक्षण करने के लिए स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति का गठन किया है (मार्च 2015) । स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति विधान सभा पटल पर रखे गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है ।

- Hkkj rh; ys[ kk , oa ys[ kki jh{kk foHkkx }kjk i nRRk rduhdh ekxh' klu , oa I gk; rk

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 की धारा 152 में नगरीय स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अंतर्गत निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:

<sup>1</sup> भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर एवं उज्जैन

- स्थानीय निधि संपरीक्षक, नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा तथा उसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित करेगा ।
- स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया और लेखापरीक्षा क्रियाविधि, राज्य द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों एवं परिनियमों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी ।
- चयनित स्थानीय निकायों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रणाली में सुधार हेतु सलाह के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जायेंगी ।

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा 2013-14 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार कर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की गई थी । संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ने, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) द्वारा समय-समय पर सुझाई गई क्रियाविधि एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया । निरीक्षण प्रतिवेदनों को जांच हेतु महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.प.) की ओर अग्रेषित किया गया था ।

#### • Lfkkuh; fudk; kã ij ys[kki jh{kk ifronu

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लेखित है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, साथ-ही-साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए । तदनुसार, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन किए गए (जनवरी 2012), जिसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की स्थानीय निकायों पर वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्यपाल को प्रेषित किया जाएगा, जो इन प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु भेजेंगे ।

वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को मई 2015 में राज्य शासन को अग्रेषित किया गया था । अनुस्मारकों (जुलाई 2015 एवं दिसम्बर 2015) को जारी करने के उपरांत भी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2015) । राज्य शासन द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2015) कि संचालक, स्थानीय निधि एवं संपरीक्षा का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रतीक्षित था ।

#### 4-5 ys[kki jh{kk vH; fDr; kã ij ifrfØ; k

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं अन्तर्गत संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने हेतु महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षे. ले. प.) मध्य प्रदेश के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किए गए थे । तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं के अनुसार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा कंडिकाओं के अनुपालन पर आगे की कार्रवाई करनी थी । तथापि, मार्च 2015 की स्थिति में 662 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 2,984 कंडिकाएं, 2014-15 के दौरान जारी 67 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 805 कंडिकाओं सहित, निराकरण हेतु लंबित थीं, विवरण rkfydk 4-1 में दिया गया है ।

rkfydk&4-1% yfcr fujh{k.k i fronuka , oa dafMdkvka dh fLFkr

I - Ø	OK'Z	i kj fHkd 'k'sk , oa o'kz ds nkg ku l fEefyr				o'kz ds nkg ku fujkdr		vr 'k'sk	
		fujh i fr- dk i k- 'k'sk	t kMh xbz fu- i z	dafMdkvka dk i k- 'k'sk	t kMh xbz dafMdk, a	fu- i z dh l a[ ; k	dafMdkvka dh l a[ ; k	fu- i z dh l a[ ; k	dafMdkvka dh l a[ ; k
1	2010-11 तक	451	निरंक	2,764	निरंक	5	96	446	2,668
2	2011-12	446	84	2,668	597	2	139	528	3,126
3	2012-13	528	59	3,126	448	2	143	585	3,431
4	2013-14	585	69	3,431	682	4	301	650	3,812
5	2014-15	650	67	3,812	805	55	1,633	662	2,984

Lkr % egkys[kkdj k, oa l k- {ks ys i-½ e-i z }kjk l d fkr ekf l d cdk; k i fronu%

forrh; i frofnr eqns

4-6 fuf/k; ka ds Lkr

म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 105 एवं म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व के मुख्यतः दो स्रोत यथा शासकीय अनुदान एवं स्वयं के राजस्व है । शासकीय अनुदान में ये सम्मिलित हैं:

- भारत के 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए अनुदान; एवं
- तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य शासन के विभाजनीय कर राजस्व<sup>2</sup> के एक प्रतिशत का हस्तांतरण । 2014-15 के दौरान, तीसरे वित्त आयोग की अनुशंसा पर हस्तांतरित अनुदान निम्नानुसार थे:

तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसित किया (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत) कि राज्य शासन द्वारा एक प्रतिशत विभाजनीय कर राजस्व नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए । वर्ष 2014-15 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण नीचे rkfydk 4-2 में दर्शाया गया है :

rkfydk&4-2 % uxjh; LFkuh; fudk; ka dks fuf/k; ka dk gLrkj .k

dk djkM+e%

o'kz	j kT; 'kkl u dh foHkktuh; fuf/k	fuf/k; k] tks gLrkrfjr dh tkuh Fkh	okLrfod gLrkrfjr fuf/k	vf/kd gLrkrfjr fuf/k
2014-15	25,678.61	256.79	270.47	13.68

Lkr% forr foHkx , oa l pkyuky; ] uxjh; i z kkl u , oa fodkl }kjk i nRr l puk%

rkfydk 4-2 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 13.68 करोड़ अधिक हस्तांतरित किए गए थे । वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को अधिक निधि हस्तांतरित करने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया (दिसम्बर 2015) ।

<sup>2</sup> विभाजनीय निधि : पूर्व वर्ष का कुल कर राजस्व – करों के संग्रहण पर किए गए व्यय का 10 प्रतिशत – पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे गए राजस्व

4-7 राज्य शासन द्वारा राज्य बजट से विगत पांच वित्तीय वर्षों में नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित निधियां (राज्य के कर राजस्व का अंश एवं योजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान) निम्नानुसार थी:

रक्यदक 4-3 में उल्लिखित है कि नगरीय स्थानीय निकायों को वर्ष 2014-15 के दौरान वर्ष 2010-11 की तुलना में अनुदान आवंटन में 73 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तथापि, नगरीय स्थानीय निकाय सम्पूर्ण अनुदान आवंटन व्यय नहीं कर सकी तथा राजस्व शीर्ष में अत्यधिक अव्ययित शेष होने से 2010-15 की अवधि के दौरान बचतें नौ से 22 प्रतिशत के मध्य रहीं।

वर्ष	राज्य बजट से आवंटित निधि (₹ करोड़)			राज्य बजट से आवंटित निधि (₹ करोड़)			कुल	वृद्धि/घटती (प्रतिशत)
	कुल	निधि	अनुदान	कुल	निधि	अनुदान		
2010-11	3,577.21	323.15	3,900.36	2,983.60	202.64	3,186.24	714.12	18
2011-12	4,148.30	208.00	4,356.30	3,743.23	152.54	3,895.77	460.53	11
2012-13	5,271.89	215.09	5,486.98	4,879.63	138.50	5,018.13	468.85	9
2013-14	6,547.97	124.21	6,672.18	5,435.55	53.18	5,488.73	1,183.45	18
2014-15	6,718.54	33.27	6,751.81	5,281.52	12.63	5,294.15	1,457.66	22
कुल	26,263.91	903.72	27,167.63	22,323.53	559.49	22,883.02	4,284.61	

जैसा कि रक्यदक 4-3 से स्पष्ट है कि नगरीय स्थानीय निकायों को वर्ष 2014-15 के दौरान वर्ष 2010-11 की तुलना में अनुदान आवंटन में 73 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

तथापि, नगरीय स्थानीय निकाय सम्पूर्ण अनुदान आवंटन व्यय नहीं कर सकी तथा राजस्व शीर्ष में अत्यधिक अव्ययित शेष होने से 2010-15 की अवधि के दौरान बचतें नौ से 22 प्रतिशत के मध्य रहीं।

4-8 नगरीय स्थानीय निकायों के लेखांकन

4-8-1 नगरीय स्थानीय निकायों के लेखांकन नियमावली अपनाने का सुझाव दिया। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांकन नियमावली में सुझाए अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 1 अप्रैल 2008 से उपचय आधार लेखांकन प्रणाली लागू करने के लिए, मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखांकन नियमावली का प्रकाशन किया (जुलाई 2007)।

हमने पाया कि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली क्रियान्वित करने हेतु आदेश जारी किया (जुलाई 2010)। तथापि, यह राज्य के 378 नगरीय स्थानीय निकायों में से केवल 100 नगरीय स्थानीय निकायों<sup>3</sup> में क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार, जून 2015 तक केवल 26 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों में म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली क्रियान्वित किया जा सका।

हमने पाया कि नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य के सभी नगरीय स्थानीय निकायों में म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली क्रियान्वित करने हेतु आदेश जारी किया (जुलाई 2010)। तथापि, यह राज्य के 378 नगरीय स्थानीय निकायों में से केवल 100 नगरीय स्थानीय निकायों<sup>3</sup> में क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार, जून 2015 तक केवल 26 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों में म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली क्रियान्वित किया जा सका।

<sup>3</sup> कुल 16 में से 14 नगरपालिका निगम, 98 में से 41 नगरपालिका परिषद एवं 264 नगर परिषद में से 45 नगर परिषद

आगे, हमने वर्ष 2014-15 के दौरान 91 नगरीय स्थानीय निकायों<sup>4</sup> §ifj'k"V 4-2½ की लेखापरीक्षा की। इनमें से 21 नगरीय स्थानीय निकायों<sup>5</sup> द्वारा म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुसार बजट एवं लेखा तैयार किए थे एवं शेष 70 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के प्रचलित लेखांकन नियमों के अनुसार लेखा तैयार किया गया था।

इस ओर इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2015) नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा बताया गया कि नमूना जांच किए गए 91 नगरीय स्थानीय निकायों में से 31 नगरीय स्थानीय निकायों ने म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुसार बजट एवं लेखा तैयार किया था। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने भी बताया कि 53 नगरीय स्थानीय निकायों में म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली अंगीकृत करने का कार्य प्रगति पर था।

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच की गयी 91 नगरीय स्थानीय निकायों में से केवल 21 नगरीय स्थानीय निकायों ने उनके लेखे म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुसार तैयार करना सूचित किया था।

#### 4-8-2 uxjh; LFkkuh; fudk; ka ds okf"kd ctV

म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 98 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 116 के अनुसार प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय समस्त प्राप्तियों एवं व्ययों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक बजट अनुमान तैयार करेंगे एवं उसे राज्य शासन को प्रेषित करेंगे।

हमने पाया कि 91 नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में से 74 नगरीय स्थानीय निकायों ने बजट अनुमान तैयार किए, चार नगरीय स्थानीय निकायों<sup>6</sup> ने अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके बजट अनुमान राज्य शासन को भेजे। शेष 17 नगरीय स्थानीय निकायों ने सुसंगत जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार, 70 नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों ने उनके बजट अनुमान राज्य शासन को प्रेषित नहीं किए जो संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत था।

#### 4-9 cfd l ek/kku fooj .k i =d r\$ kj ugha fd; k tkuk

म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियम में, रोकड बही के शेष एवं बैंक खातों के मध्य किसी अंतर हेतु मासिक आधार पर समाधान का प्रावधान है।

91 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि 30 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किए गए। इन 30 नगरीय स्थानीय निकायों के रोकड बही शेष एवं बैंक बुक के शेषों में मार्च 2014 की स्थिति में ifj'k"V 4-3 के अनुसार असमाधानित अंतर था। आगे, 56 नगरीय स्थानीय निकायों<sup>7</sup> ने सुसंगत जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। अंतरों का समाधान नहीं किया जाना निधियों के दुरुपयोग के साथ जोखिमपूर्ण था।

4 आठ नगरपालिक निगम, 35 नगरपालिका परिषद एवं 48 नगर परिषद

5 नगरपालिक निगम: भोपाल, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, खण्डवा, रतलाम, एवं उज्जैन; नगरपालिका परिषद: आगरा, अनुपपुर, चौरई, डबरा, हरदा, कोतमा, सनावद एवं सिवनी तथा नगर परिषद: चुरहट, डही, हरई, कोलारस एवं लांजी

6 नगरपालिका परिषद: कोतमा; नगर परिषद: डिकेन, खातेगांव एवं कोलारस

7 नगरपालिक निगम-4, नगरपालिका परिषद-25 एवं नगर परिषद-27



सम्बंधित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा बताया गया (2014-15) कि रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेष के अंतर का बैंक समाधान किया जाएगा ।

#### 4-10 dj jktLo@xj dj jktLo dh ol nyh u gkuk

म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 87 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 105 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व के स्रोत कर, भाड़ा, शुल्क, अनुज्ञप्ति जारी करने आदि के द्वारा हैं । कर एवं गैर कर राजस्व के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, नगरपालिक निगम के लिए आवश्यक है कि म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 173 से 183 के अनुसार वसूली की आवश्यक कार्रवाई करे ।

हमने देखा कि नमूना जांच की गई 91 नगरीय स्थानीय निकायों में से 77 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित कर राजस्व ₹ 131.81 करोड़ की मार्च 2014 तक वसूली नहीं की गई थी । शेष 14 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई । राशि में 77 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा एवं विकास उपकर, बाजार शुल्क एवं मनोरंजन कर के ₹ 117.11 करोड़ सम्मिलित हैं (ifjf'k"V 4-4½ एवं 32 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित, ifjf'k"V 4-5 में दर्शाए अनुसार, किराया एवं प्रीमियम के ₹ 14.70 करोड़ सम्मिलित हैं ।

इसी प्रकार, 78 नगरीय स्थानीय निकायों में गैर कर राजस्व (जलकर, अनुज्ञप्ति शुल्क, भूमि एवं भवन भाड़ा इत्यादि) राशि ₹ 178.16 करोड़ वसूली हेतु शेष थे (ifjf'k"V 4-6½ । शेष 13 नगरीय स्थानीय निकायों ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत नहीं की ।

सम्बंधित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया (2014-15) कि नगरीय स्थानीय निकायों के वसूल न किए गए राजस्व की वसूली के प्रयास किए जायेंगे ।

तथापि, इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिनियम की धारा 173 से 183 के अधीन बकाया की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

#### 4-11 vLFkbbz vfxeka dk l ek; kst u ugha fd; k tkuk

म.प्र. नगरपालिका लेखा नियम, 1971 की धारा 112(2) में उल्लेखित है कि कोई भी अग्रिम तब तक आहरित नहीं किया जाएगा जब तक कि एक माह में उसका व्यय संभावित न हो । नगरपालिकाओं के मुख्य नगरपालिका अधिकारी/लेखाधिकारी असमायोजित अग्रिम की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे तथा नगरीय स्थानीय निकायों के वित्त समिति/स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

91 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि 34 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा व्यक्तियों एवं संस्थाओं को ₹ 2.97 करोड़ अस्थायी अग्रिम प्रदान किए गए थे जो 31 मार्च 2014 तक लंबित थे । विवरण ifjf'k"V 4-7 में दिया गया है । सबसे पुराना लंबित अग्रिम, राशि ₹ 0.48 लाख, जो जनवरी 1962 से संबंधित है अर्थात् 53 वर्ष से अधिक पुरानी थी । 24 नगरीय स्थानीय निकायों में कोई अस्थायी अग्रिम लंबित नहीं थे जबकि 33 नगरीय स्थानीय निकायों ने सुसंगत जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की ।

सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर में बताया गया (2014-15) कि लंबित अग्रिमों के समायोजन एवं वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे।

**4-12 राज्यों के वित्त आयोग के सहायता अनुदान राज्यों को मुख्यतः दो रूपों अर्थात् सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, में जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निष्पादन से सम्बन्धित अनुदान (सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान) भी 2011-12 से उसके जारी होने हेतु निर्धारित शर्तों के पालन होने पर राज्यों को जारी किए गए थे। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा राज्य के अन्तर्गत विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य आवंटन किए जाने थे। मध्य प्रदेश को जारी अनुदान एवं तत्पश्चात उनको नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना कथित 4-4 में दर्शाया गया है:**

कथित 4-4 में 2010-11 से 2014-15 के निकायों के वित्त आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)				
सामान्य मूल अनुदान	976.81	864.93	(-) 111.88	864.93
सामान्य निष्पादन अनुदान	517.15	195.09	(-) 322.06	195.09
विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	19.74	17.33	(-) 2.41	17.33
विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	13.81	11.68	(-) 2.13	11.68
<b>कुल</b>	<b>1527.51</b>	<b>1089.03</b>	<b>(-) 438.48</b>	<b>1089.03</b>

(कथित 4-4 में 2010-11 से 2014-15 के निकायों के वित्त आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार है)

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने 2010-15 के दौरान राज्य को नगरीय स्थानीय निकायों हेतु 13वें वित्त आयोग अनुदान के राज्य की पात्रता के ₹ 1,527.51 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,089.03 करोड़ जारी किए। इस प्रकार राज्य को 13वें वित्त आयोग अनुदान ₹ 438.48 करोड़ कम जारी किए गए।

**4-12-1 नगरीय स्थानीय निकायों के वित्त आयोग के सहायता अनुदान राज्यों को मुख्यतः दो रूपों अर्थात् सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, में जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निष्पादन से सम्बन्धित अनुदान (सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान) भी 2011-12 से उसके जारी होने हेतु निर्धारित शर्तों के पालन होने पर राज्यों को जारी किए गए थे। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा राज्य के अन्तर्गत विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य आवंटन किए जाने थे। मध्य प्रदेश को जारी अनुदान एवं तत्पश्चात उनको नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना कथित 4-4 में दर्शाया गया है:**

13वें वित्त आयोग के दिशानिर्देश की कंडिका 10.161 में उल्लेखित शर्तों के पालन के उपरान्त ही राज्य सामान्य निष्पादन अनुदान के अपने आवंटन आहरण हेतु पात्र था। राज्य द्वारा शर्तों के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

नगरीय स्थानीय निकाय, जहां निर्वाचित संस्था विद्यमान है, सामान्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।	नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव 2015 में सम्पन्न हुए थे।
पूर्व आहरित किश्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही अनुदान की आगामी किश्त जारी की जाएगी।	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समय पर निर्धारित प्रारूप में नगरीय स्थानीय निकायों को जारी अनुदान राशि के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे।
राज्य को समस्त नगरीय स्थानीय	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मध्य

'kr	jkT; l jdkj }kjk dh x; h dk; bkgH
निकायों में राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांकन नियमावली के सुझाए अनुसार लेखांकन संरचना लागू करना चाहिए ।	प्रदेश शासन द्वारा राज्य के समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को म.प्र. नगरपालिका लेखांकन नियमावली के अनुसार लेखांकन करने हेतु आदेश जारी किए गए (जुलाई 2010), परन्तु उक्त प्रक्रिया 378 नगरीय स्थानीय निकायों में से केवल 100 नगरीय स्थानीय निकायों में लागू की गई थी जो मात्र 26 प्रतिशत होता है । इस शर्त को पूरा न करने के बावजूद भी राज्य के समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य निष्पादन अनुदान जारी किए गए थे ।
नगरीय स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।	म. प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 जनवरी 2012 में संशोधित किए गए थे । संशोधन के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ नगरीय स्थानीय निकाय पर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा में रखवाने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किये जायेंगे । तथापि, 2013-14 का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया (दिसम्बर 2015) ।
स्थानीय निकायों के अमलों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार एवं कुव्यवस्था संबंधी शिकायतों की जांच हेतु स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल व्यवस्था स्थापित किया जाना ।	म.प्र. लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 लागू है एवं नगरीय स्थानीय निकायों के समस्त अमला इस अधिनियम के अधीन है ।
समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में निधि के हस्तांतरण हेतु ई-बैंकिंग प्रणाली स्थापित करना ।	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा 13वें वित्त आयोग के समस्त अनुदान राशि का हस्तांतरण ई-बैंकिंग के माध्यम से किया गया था ।
संविधान के अनुच्छेद 243 आई(2) के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन करना ।	आवश्यक विधान पूर्व से ही विद्यमान है एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया था ।
नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कर के संग्रहण में सुधार की सलाह हेतु राज्य स्तरीय संपत्तिकर बोर्ड का गठन करना ।	राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों में विद्यमान कर वसूली पद्धति में सुधार हेतु मार्च 2011 में बोर्ड का गठन किया गया । मई 2014 में बोर्ड की सभा आयोजित की गयी और नगरीय स्थानीय निकायों में कर संग्रहण प्रणाली में सुधार हेतु चर्चा की गयी । नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा पूर्व प्रचलित दरों के आधार पर ही करों का

'kr	jkT; l jdkj }kjk dh x; h dk; bkg h
	संग्रहण किया जा रहा था ।

4-12-2 130a foRr vk; ksx vumku uxjh; LFkkuh; fudk; ka dks foyEc l s tkjh djuk

13वें वित्त आयोग के दिशानिर्देश की कंडिका 4.2 के अनुसार 13वें वित्त आयोग के अनुदान केन्द्र सरकार से प्राप्ति दिनांक से 10 दिनों के भीतर नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने थे । किसी भी विलंब की स्थिति में राज्य सरकार रिजर्व बैंक इण्डिया की बैंक दर से ब्याज सहित अनुदान जारी करेगी, यह 2010-11 की द्वितीय किश्त से लागू की जाएगी ।

हमने देखा कि दिशानिर्देश के अनुसार 13वें वित्त आयोग के अनुदानों का हस्तांतरण नगरीय स्थानीय निकायों को समय सीमा में नहीं किया गया था । राज्य के वित्त विभाग ने नगरीय स्थानीय निकायों को 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलम्ब से जारी हेतु ब्याज ₹ 0.66 लाख स्वीकृत किया ।

हमने आगे देखा कि 2011-15 के दौरान 13वें वित्त आयोग अनुदान के ₹ 404.39 करोड़ आठ दिन से 198 दिनों के विलम्ब<sup>8</sup> के साथ नगरीय स्थानीय निकायों को जारी किए गए थे (ifj'k"V 4-8½) । 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलम्ब से जारी करने पर ब्याज के भुगतान के लिए वित्त विभाग द्वारा अपनायी गई नौ प्रतिशत ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए नगरीय स्थानीय निकायों को भुगतान योग्य ब्याज ₹ 2.08 करोड़ की गणना की गई थी । इस प्रकार, 13वें वित्त आयोग के अनुदान विलम्ब से जारी करने के कारण नगरीय स्थानीय निकायों को भुगतान योग्य ब्याज ₹ 2.07 करोड़<sup>9</sup> कम जारी किए गए ।

प्रकरण आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को भेजा गया; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015) ।

<sup>8</sup> 13वें वित्त आयोग अनुदान जारी करने हेतु निर्धारित अवधि दस दिन छोड़कर ब्याज राशि की गणना की गयी है

<sup>9</sup> वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को जारी करने के लिए देय ब्याज (₹ 208 लाख-₹ 0.66 लाख)=₹ 207.34 लाख अर्थात् ₹ 2.07 करोड़

## अध्याय – पांच

### निष्पादन लेखापरीक्षा

- 5.1 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम
- 5.2 नगरीय स्थानीय निकाय में सेवा स्तर मानदण्ड

v/; k; i k p % fu"i knu y s [ k k i j h { k k

uxjh; fodkl , oa i ; kbj . k foHkkx

5-1 , dh d' r vkokl , oa efyu cLrh fodkl dk; Øe

dk; i kyu | kjka k

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का एक घटक है, जिसे दिसम्बर 2005 में प्रारम्भ किया गया था । एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य चिन्हित शहरी क्षेत्र के मलिन बस्ती के वासियों को पर्याप्त आश्रय एवं बुनियादी अधोसंरचना सुविधायें मुहैया कराते हुए स्वस्थ एवं शहरी पर्यावरण के साथ मलिन बस्ती के समग्र विकास के लिए प्रयास करना है । एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम एक केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है । इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन/नगरीय स्थानीय निकाय/पेरास्टेटल के मध्य निधियों का विभाजन 80:20 के अनुपात में है ।

मध्य प्रदेश राज्य के 53 शहरों में कार्यान्वयन के लिए 56 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनायें दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य अनुमोदित की गई थी । कुछ प्रमुख शहर जहां परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं उनमें बुरहानपुर (जिला-बुरहानपुर), देपालपुर (जिला-इन्दौर), खंडवा (जिला-खंडवा), पांडुर्ना (जिला-छिन्दवाड़ा), पेटलावद (जिला-झाबुआ), सतना (जिला-सतना) एवं रतनगढ़ (जिला-नीमच) हैं ।

मध्य प्रदेश शासन ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था (दिसम्बर 2005) । राज्य में आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु परिलक्षित हुए:

- केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत आई.एच.एस.डी.पी. का कार्यान्वयन पूर्ण किए जाने की समय सीमा से पिछड़ गया था । 56 परियोजनाओं में से छह परियोजनाएं उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने एवं हितग्राहियों की उदासीनता के कारण प्रारम्भ नहीं की जा सकीं । शेष 50 परियोजनाओं में से मात्र 15 परियोजनाएं मार्च 2015 तक पूर्ण की जा सकीं । आगे पाया गया कि 35 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं (46 प्रतिशत), जो दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 के मध्य स्वीकृत की गई थी, उन्हें 12 से 24 माह की निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना था । इस प्रकार इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्षों की समाप्ति के उपरान्त भी परियोजनाएं अपूर्ण रहीं ।

%dfMdk 5-1-6½

- 56 परियोजनाओं में स्वीकृत 22,998 आवासीय इकाईयों में से 31 परियोजनाओं की 9,203 आवासीय इकाईयों (40 प्रतिशत) को समर्पित किया गया था एवं 42 परियोजनाओं में मात्र 8,766 आवासीय इकाईयों (38 प्रतिशत) को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जा सका । इन पूर्ण आवासीय इकाईयों में से 3,227 आवासीय इकाईयां हितग्राहियों को आवंटित की गई थी ।

%dfMdk 5-1-6½

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध निधि ₹ 154.45 करोड़ में से राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ने नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 129.10 करोड़ जारी किए । इस प्रकार 35 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं में राशि ₹ 7.62 करोड़ का राज्यांश कम जारी हुआ था । आगे, 9 चयनित नगरीय

स्थानीय निकायों ने राशि ₹ 1.18 करोड़ निकाय का अंश कम जमा किया ।

¶Mdk 5-1-7-1½

• आवासीय इकाइयों के हितग्राही अंश की गणना करते समय सर्वप्रथम शहरी गरीबों के आर्थिक सामर्थ्य पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए था । तथापि, सात नमूना जांच की गई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण आवासीय इकाइयों की प्रति इकाई लागत में ₹ 36,000 से ₹ 2.49 लाख की वृद्धि हुई परिणामस्वरूप हितग्राही अंश में भी वृद्धि हुई ।

¶Mdk 5-1-9½

• केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति के निर्देशों के अनुसार गरीबों के लिए आवासों एवं अधोसंरचना सुविधाओं में निष्पादन गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व देना चाहिए था । तथापि, नमूना जांच की गई परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच/निर्मित आवासीय इकाइयों के संयुक्त परीक्षण में निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के पालन में कमी होना परिलक्षित हुआ ।

¶Mdk 5-1-10½

• परियोजनाओं का अनुवीक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि परियोजना की त्रैमासिक समीक्षा हेतु वर्ष 2006-15 की अवधि में, राज्य स्तरीय समन्वय समिति निर्धारित 36 बैठकों के विरुद्ध 4 बैठकें ही आयोजित कर सकी । आगे, वर्ष 2008-2012 एवं 2013-2015 के दौरान कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई थी । हितग्राहियों की समितियां गठित नहीं होने के कारण आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी ।

¶Mdk 5-1-14-1 , oa 5-1-14-4½

### 5-1-1 iLrkouk

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), भारत सरकार का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है जो शहरो एवं कस्बों के गरीबों की अधोसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं से सम्बन्धित समस्याओं पर समग्र तरीके से ध्यान देने हेतु दिसम्बर 2005 में आरम्भ किया गया था । एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का एक उप-मिशन है, जो मिशन शहरों को छोड़कर, जहां जे.एन.एन.यू.आर.एम. लागू है, के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों में लागू है । आई.एच.एस.डी.पी. कार्यक्रम का मूल उद्देश्य चिन्हित शहरी क्षेत्र के मलिन बस्ती वासियों को पर्याप्त आश्रय तथा बुनियादी अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ एवं शहरी पर्यावरण के साथ मलिन बस्ती के समग्र विकास के लिए प्रयास करना है ।

आई.एच.एस.डी.पी. एक केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार नगरीय स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल के मध्य निधियों का विभाजन 80:20 के अनुपात में है । कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के घटकों में मलिन बस्ती सुधार/उन्नयन/पुनःस्थापन परियोजनाएं जिनमें आवासों का नवीन निर्माण/उन्नयन तथा अधोसंरचना सुविधाएं यथा जल आपूर्ति एवं जलमल निकासी सम्मिलित है ।

मध्यप्रदेश में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चार मिशन शहरों/कस्बों<sup>1</sup> को शामिल किया गया है। 56 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाएं

<sup>1</sup> भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन

राज्य के 53 नॉन-मिशन शहरों में 5-1½ में दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई थी ।

#### 5-1-2 | अर्ध-वर्षिक

राज्य स्तर पर आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं का निष्पादन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया था । कार्यक्रम की अनुशंसा एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय स्टीरिंग समिति का गठन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में किया गया था (फरवरी 2007) ।

आई.एच.एस.डी.पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार, आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन के लिए राज्य शासन किसी संस्था को नोडल एजेंसी के रूप में अभिहित कर सकती है । तदनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया (दिसम्बर 2005) । राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्तावों के मूल्यांकन करने, राज्य स्तरीय स्टीरिंग समिति के लिए इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने एवं परियोजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुवीक्षण हेतु उत्तरदायी थी ।

परियोजनाओं का निष्पादन संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किया गया था । नगरीय स्थानीय निकायों की विद्यमान दक्षता में वृद्धि एवं सहायता हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने तीन क्षेत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां स्थापित की थीं । राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता हेतु कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भी स्थापित की गई थी ।

#### 5-1-3 | लेखापरीक्षा ;

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- परियोजनाओं का चयन एवं आयोजना आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी;
- निधियों का आवंटन एवं जारी किया जाना पर्याप्त एवं समयानुसार था;
- परियोजनाओं का निष्पादन अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार मितव्ययितापूर्ण व दक्षतापूर्ण था एवं मलिन बस्ती के रहवासियों को आवासीय इकाइयों का आवंटन पारदर्शितापूर्ण था;
- आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत सुधारों की कार्यसूची को प्रभावी रूप से लागू किया गया था; एवं
- वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनुवीक्षण पद्धति प्रभावपूर्ण थी ।

#### 5-1-4 | लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित मानदण्डों पर आधारित थे:

- शहरी आवासीय एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आई.एच.एस.डी.पी. के दिशानिर्देश एवं केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति के कार्यवृत्त ।
- आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन हेतु राज्य शासन एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा जारी किए गए आदेश/परिपत्र ।



- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता, मध्य प्रदेश लोक निर्माण कार्य नियमावली एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा समय समय पर तैयार की गई दरों की अनुसूची ।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के निरीक्षण एवं अनुवीक्षण के प्रतिवेदन एवं तृतीय पक्ष के निरीक्षण एवं अनुवीक्षण के प्रतिवेदन ।

#### 5-1-5 ys[ kki j h{kk l ekos ku , oa fØ; kfof/k

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चौदह नगरीय स्थानीय निकायों<sup>2</sup> द्वारा कार्यान्वित चौदह परियोजनाओं, राज्य में कुल परियोजनाओं के 30 प्रतिशत, का चयन व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन के बिना प्रतिस्थापन पद्धति से किया गया था । संबंधित आई.एच. एस.डी.पी. परियोजनाओं की स्वीकृति से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय एवं चयनित (सेम्पलड) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी । कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों से भी जानकारी संग्रहित की गयी थी ।

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन (16 मार्च 2015) में लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा की गयी । प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के साथ दिनांक 9 सितम्बर 2015 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था । निर्गम सम्मेलन में व्यक्त दृष्टिकोणों एवं शासन के उत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है ।

#### ys[ kki j h{kk fu" d" kZ

#### 5-1-6 vkokl h; i fj; kst ukvka dh fLFkfr

शहरी आवासीय एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति ने दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य राज्य के 53 मिशन रहित शहरों में 56 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं को अनुमोदित किया था (i f j f' k" V&5-1) । इन परियोजनाओं में 22,998 आवासीय इकाईयों एवं अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण सम्मिलित था, जिन्हें इनकी स्वीकृति दिनांक से 12 से 24 माह में पूर्ण किया जाना था । वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि में कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गयी थी ।

56 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं को उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने एवं हितग्राहियों की उदासीनता के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका । अतः केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति ने इन परियोजनाओं को निरस्त कर दिया था (मई 2014) । मार्च 2015 को स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति का विवरण rkfydk 5-1 में दिया गया है:

Rkfydk&5-1% epl 2015 dh fLFkfr ea j kT; ea Lohd'r i fj; kst ukvka dh fLFkfr

o" kZ	Lohd'r i fj; kst ukvka dh l d; k	i w kZ d j u s dh fu/ k k f j r v o f/ k % e k g e h	i fj; kst ukvka dh fLFkfr		
			i w kZ	vi w kZ	fujLr
2006-07	23	12-24	8	13	2
2007-08	10	12-24	5	3	2
2008-09	4	24	—	4	—

<sup>2</sup> बैरसिया, बुरहानपुर, डीकेन, देपालपुर, खंडवा, खुजनेर, मोहगांव, पांडुना, पेटलावद, सतना, शहपुरा, सिंगौली, रतनगढ़ एवं तेंदुखेडा


वर्ष	स्वीकृत आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या		
			कुल	विद्यमान	अपूर्ण
2009-10	7	12	—	6	1
2010-11	5	12	2	2	1
2011-12	7	12	—	7	—
कुल	56		15	35	6

जैसा कि उपरोक्त तालिका 5-1 से स्पष्ट होता है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्षों के पश्चात् भी 56 स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र 15 परियोजनाओं को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जा सका। आगे पाया गया कि 35 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं (46 प्रतिशत) जो दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 के मध्य स्वीकृत की गई थी, उन्हें 12 से 24 माह की निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना था। इस प्रकार केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा परियोजना पूर्ण किए जाने की अनुमोदित समय सारणी से आई.एच.एस.डी.पी. का क्रियान्वयन पिछड़ गया था। भारत शासन ने परियोजना पूर्ण करने की अवधि को मार्च 2017 तक बढ़ा दिया था।

हमने आगे देखा कि 56 परियोजनाओं में स्वीकृत 22,998 आवासीय इकाइयों में से, 31 परियोजनाओं में 9,203 आवासीय इकाइयों (40 प्रतिशत) को समर्पित किया गया एवं 42 परियोजनाओं में मात्र 8,766 आवासीय इकाइयों (38 प्रतिशत) को पूर्ण किया जा सका (मार्च 2015)। इन पूर्ण की गयी आवासीय इकाइयों में से 3,227 (37 प्रतिशत) आवासीय इकाइयों को हितग्राहियों को आवंटित किया गया था। 4,547 आवासीय इकाइयों (20 प्रतिशत) को प्रगतिरत प्रतिवेदित किया गया था। जबकि 482 आवासीय इकाइयों का निर्माण, प्रारम्भ होना शेष था।

स्वीकृत आवासीय इकाइयों की स्थिति चार्ट 5.1 में दर्शायी गयी है:

चार्ट 5-1 मार्च 2015 तक स्वीकृत आवेदनों की स्थिति



जैसा कि उपरोक्त चार्ट 5.1 से स्पष्ट होता है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्षों के पश्चात् भी 56 स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र 15 परियोजनाओं को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जा सका। आगे पाया गया कि 35 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं (46 प्रतिशत) जो दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 के मध्य स्वीकृत की गई थी, उन्हें 12 से 24 माह की निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना था। इस प्रकार केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा परियोजना पूर्ण किए जाने की अनुमोदित समय सारणी से आई.एच.एस.डी.पी. का क्रियान्वयन पिछड़ गया था। भारत शासन ने परियोजना पूर्ण करने की अवधि को मार्च 2017 तक बढ़ा दिया था।

31 परियोजनाओं में 40 प्रतिशत स्वीकृत आवासीय इकाइयों के समर्पण का कारण भूमि की अनुपलब्धता, हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप न दिया जाना, टेण्डर प्रक्रिया में विलम्ब, ठेकों के निरस्त होने पर कार्यों को पुनः सौंपने एवं आवासीय इकाइयों के प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने के कारण चयनित हितग्राहियों द्वारा कम रुचि लेना था, जैसा कि कंडिका 5.1.9 में चर्चा की गयी है।

आई.एच.एस.डी.पी. मलिन बस्ती के रहवासियों को बेहतर आवासीय, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं पूर्व से विद्यमान अन्य सार्वभौमिक सुविधाओं को प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। हमने देखा कि नमूना जांच की गयी सात परियोजनाओं<sup>3</sup> की सभी स्वीकृत 989 आवासीय इकाइयों को मार्च 2015 तक पूर्ण कर

<sup>3</sup> बुरहानपुर, देपालपुर, डीकेन, खुजनेर, मोहगांव, पेटलावद एवं सिंगौली

लिया गया था। जिनमें से, 248 आवासीय इकाई हितग्राहियों को आवंटित की गई थीं तथापि, अधोसंरचना कार्य जैसे सड़क, सीवर लाइन, नालियां, ओवरहेड टैंक, कम्यूनिटी हॉल अपूर्ण थे (i f j f' k"V 5-2)। इन परियोजनाओं में अधोसंरचना विकास हेतु स्वीकृत लागत राशि ₹ 12.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2.26 करोड़ की वित्तीय प्रगति हुई थी। इस प्रकार, इन परियोजनाओं में मलिन बस्ती रहवासियों को बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सुनिश्चित नहीं किए जा सके थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2015), शासन ने बताया कि विलम्ब का कारण निविदाकारों द्वारा प्रतिक्रिया न दिखाना एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया में देरी होना था। आवासीय इकाईयों के आवंटित न होने के सम्बन्ध में शासन ने बताया कि हितग्राही अंश समय से जमा नहीं किया गया था एवं अब बैंक ऋण की व्यवस्था की गई थी। अपूर्ण अधोसंरचना के सम्बन्ध में शासन ने बताया कि अधोसंरचना के कार्य आवासीय इकाईयों के निर्माण के पश्चात् किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्ष समाप्ति के पश्चात् भी नगरीय स्थानीय निकाय परियोजनाओं को पूर्ण नहीं कर सके एवं बड़े अनुपात में आवासीय इकाईयों को समर्पित किया गया था। आगे, यह उत्तर कि आवासीय इकाईयों के पूर्ण होने के पश्चात् अधोसंरचना कार्य किये जायेंगे, मान्य नहीं है क्योंकि इन सभी सातों नमूना जांच की गयी परियोजनाओं में सभी स्वीकृत आवासीय इकाईयां पूर्ण की जा चुकी थीं। इस प्रकार, मलिन बस्ती रहवासियों को पर्याप्त आश्रय एवं बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

vuq kd k

परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए राज्य शासन को परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। पूर्ण आवासीय इकाईयों को योग्य हितग्राहियों को आवंटित कराने के प्रयास में शासन को आगे आना चाहिए। आवासीय इकाईयों के पूर्ण होने के साथ साथ आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की अधोसंरचना कार्य को पूर्ण किए जाने के प्रयास भी किए जाएं ताकि आवंटियों को अभीष्ट बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

5-1-7 foRrh; i xU/ku

5-1-7-1 fuf/kdj.k i) fr%

आई.एच.एस.डी.पी. केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है जिसमें स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्र सरकार और राज्य शासन/नगरीय स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल के मध्य निधियों का विभाजन 80:20 के अनुपात में है। मध्य प्रदेश शासन ने परियोजना की आवासीय इकाईयों के संबंध में राज्य शासन एवं हितग्राहियों के मध्य अंशदान का विभाजन 8:12 के अनुपात में किये जाने का निर्णय लिया था (जुलाई 2007)। आगे, अधोसंरचना विकास की लागत हेतु राज्यांश निधि, राज्य शासन एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 10:10 के अनुपात में की जानी थी।

आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय अनुदान की पात्रता के लिए राज्य के अंश को पृथक खाते में जमा किया जाना था। राज्यांश जमा होने के सत्यापन उपरांत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को 50 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान की राशि जारी की जानी थी। द्वितीय किस्त प्रगति के आधार पर जारी की जानी थी।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के पास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों की स्थिति rkfydk 5-2 में दर्शाई गई है।

Rkkfydk&5-2% o"z 2010&11 l s 2014&15 ds nkjku e/; jkT; Lrjh; ukMy , t d h ds i kl fuf/k; ka dh mi yC/krk dh fLFkfr

(₹ djkm+e)

o"z	i kj fEHkd 'k'sk	o"z ea Hkkjr l jdkj l s i klr fuf/k , oa jkT; ka k	o"z ea i klr C; kt	dgy mi yC/k fuf/k	uxjh; LFkkuh; fudk; dks tkjh jkf'k	Ok"z ds var ea 'k'sk %mi yC/k fuf/k ds fo: ) viz; Or dk ifr'krh
1	2	3	4	5 1/2 \$ 3 3/4 1/2	6	7 1/5 & 6 1/2
2010-11	53.02	7.64	1.62	62.28	13.75	48.53(78)
2011-12	48.53	18.96	1.91	69.40	43.85	25.55(37)
2012-13	25.55	20.51	1.24	47.30	25.27	22.03(47)
2013-14	22.03	20.12	0.99	43.14	23.19	19.95(46)
2014-15	19.95	27.57	0.87	48.39	23.04	25.35(52)
; ksx		94-80	6-63		129-10	

ekpl 2015 rd jkT; Lrjh; ukMy , t d h , oa 14 uewuk tkp fd, x, uxjh; LFkkuh; fudk; ka ds i kl ₹ 36-09 djkm+ viz; Or j [ks gq Fks A

1/2 kkr-% vk; Or] uxjh; i z kkl u , oa fodkl l pkyuky; } jkj i Lrr tkudkj h

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल उपलब्ध राशि ₹ 154.45 करोड़ में से नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 129.10 करोड़ जारी किए थे । इस प्रकार, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के पास राशि ₹ 25.35 करोड़ शेष थी । इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि नमूना जांच किए चौदह नगरीय स्थानीय निकायों में मार्च 2015 तक राशि ₹ 10.74 करोड़ अप्रयुक्त रखी थी ।

5-1-7-2 fuf/k; ka dk de tkjh gkuk

कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के समय पर निष्पादन हेतु निधियों को जारी किया जाना था जिससे कि शहरी गरीबों को पर्याप्त आश्रय एवं बुनियादी अधोसंरचना सुविधाएं समय पर प्रदान की जा सकें । यद्यपि, हमने देखा कि नीचे दर्शाएनुसार परियोजना कार्यान्वयन हेतु कम राशि जारी की गई:

(i) भारत सरकार ने सात परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को ₹ 15.24 करोड़ केन्द्रांश जारी किया 1/4 f j f ' k " V 5-3 1/2 । तथापि, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ने स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों को मात्र ₹ 9.98 करोड़ जारी किए, फलस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 5.26 करोड़ कम जारी हुए ।

(ii) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य शासन को केन्द्रांश के साथ उनका अपना अनुरूप अंश कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करना चाहिए । हमने पाया कि 35 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं में 1/4 f j f ' k " V 5-4 1/2 ₹ 7.62 करोड़ का कम राज्यांश जारी हुआ ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में राज्य शासन ने बताया कि राज्यांश को समय पर जारी किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 35 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं में राज्यांश कम जारी किया गया था ।

jkT; 'kkl u us ₹ 7-62 djkm+ dk jkT; ka k de tkjh fd; ka

(iii) नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में हमने पाया कि नौ नगरीय स्थानीय निकायों ने उनके अंश ₹ 2.24 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ जमा किए । परिणामस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों का अंश ₹ 1.18 करोड़<sup>4</sup> कम जमा हुआ ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में राज्य शासन ने बताया कि कुछ नगरीय स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे जिसके फलस्वरूप उनका अंश विलम्ब से जारी हुआ ।

### 5-1-7-3 fgrxkgh vāknku dk de l xg.k gkuk

वर्ष 2008-09 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश के निर्धारण हेतु आवासीय इकाईयों की अधिकतम लागत सीमा ₹ एक लाख थी । इससे पूर्व, केन्द्रांश के निर्धारण हेतु आवासीय इकाईयों की अधिकतम लागत सीमा ₹ 80,000 निर्धारित की गई थी ।

राज्य शासन के परिपत्र (जुलाई 2007) के अनुसार, आवासीय इकाईयों की लागत हेतु राज्यांश राज्य शासन एवं हितग्राहियों के मध्य 8:12 के अनुपात में वहन किया जाना था । तथापि, आवासीय इकाईयों के ₹ 80,000 से अधिक की लागत की स्थिति में अतिरिक्त लागत का वहन हितग्राहियों द्वारा ही किया जाना था । आगे यह भी उल्लेख किया गया था कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निविदाओं का आमंत्रण हितग्राहियों के अंशदान हेतु बैंकों से वित्तपोषण सुनिश्चित होने के उपरान्त ही किया जाना था ।

दस नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों<sup>5</sup> के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चिन्हित हितग्राहियों से प्राप्य हितग्राही अंश ₹ 13.77 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹ 1.46 करोड़ (11 प्रतिशत) वसूल किया जा सका, इस प्रकार ₹ 12.31 करोड़ का हितग्राही अंश वसूली हेतु शेष था । हमने आगे यह भी देखा कि तीन नगरीय स्थानीय निकायों ने हितग्राही समरूप अंश के जमा न होने से ऋण लेकर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया, जिसका विवरण rkydk 5-3 में दर्शाया गया है ।

rkydk&5-3% uxjh; LFkkuh; fudk; ka ds }kj k fy, x, \_\_.k dk foj .k

₹ djkm+e#

uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	[kqtuj	Ekkgxko	i \$/ykon
हुडको से लिया गया ऋण	0.89	2.28	1.27
वसूली हेतु शेष हितग्राही अंशदान	0.72	1.37	0.42

1/ kr-% ueuk tkp fd; s x; s uxjh; LFkkuh; fudk; 1/2

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में राज्य शासन ने बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार हितग्राहियों की सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा था एवं हितग्राही अंशदान की व्यवस्था के लिये ऋण हेतु बैंकों को संबद्ध किया गया है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच की गयी दस नगरीय स्थानीय निकायों में पूर्व से चिन्हित किए गए हितग्राहियों से सम्बन्धित अवसूलीकृत हितग्राही अंशदान की राशि ₹ 12.31 करोड़, अवसूलीकृत रही ।

<sup>4</sup> देपालपुर (₹ 6.80 लाख), डीकेन (₹ 15.17 लाख), खंडवा (₹ 16.52 लाख), मोहगांव (₹ 23.62 लाख), रतनगढ़ (₹ 18.83 लाख), सतना (₹ 3.59 लाख), शाहपुरा (₹ 3.29 लाख), सिंगौली (₹ 10.09 लाख) तथा तेडुखेड़ा (₹ 20.37 लाख),

<sup>5</sup> बुरहानपुर (₹ 4.73 करोड़), देपालपुर (₹ 0.06 करोड़), डीकेन (₹ 0.88 करोड़), खण्डवा (₹ 1.32 करोड़), खुजनेर (₹ 0.71 करोड़), मोहगांव (₹ 1.37 करोड़), पांडुना (₹ 0.95 करोड़), पेटलावद (₹ 0.42 करोड़), रतनगढ़ (₹ 1.25 करोड़) और सिंगौली (₹ 0.62 करोड़)

5-1-7-4 *fujLr ifj; kst ukvk@l efir vkokl h; bdkbz; ka dh fuf/k; ka dks uxjh; LFkkuh; fudk; ka l s oki l i klr ugha djuk*

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति की 154वीं एवं 158वीं बैठक (क्रमशः मई 2014 एवं फरवरी 2015) के निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा निरस्त परियोजनाओं से सम्बन्धित निधियों को जारी परियोजनाओं की उत्तरवर्ती किशतों में समायोजित किया जाना था । कोई भी असमायोजित निधि को 9 प्रतिशत ब्याज की दर के साथ वापस किया जाना था ।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि निरस्त परियोजनाओं/समर्पित आवासीय इकाईयों से सम्बन्धित निधियों को नगरीय स्थानीय निकायों से वापस नहीं लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

uxjh; iz kkl u  
, oa fodkl  
l pkyuky; us  
[kMok dh fujLr  
ifj; kst uk dh  
ykr ₹ 3-77  
dj kM+ dks oki l  
ugha fy; k A

(i) आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना, खंडवा-II को केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा अपेक्षित भूमि उपलब्ध न होने के कारण निरस्त किया गया था (मई 2014)। तथापि, नगर निगम खंडवा को जारी ₹ 3.77 करोड़ को मार्च 2015 तक वापस नहीं लिया गया था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में राज्य शासन ने बताया कि निरस्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में जारी राशि को सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों से वापस लिया जाएगा ।

(ii) खंडवा-II परियोजना के अतिरिक्त, 25 परियोजनाओं में 24 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 6,296 आवासीय इकाईयों को भूमि की अनुपब्धता एवं हितग्राहियों द्वारा विस्थापन से इंकार किये जाने के कारण समर्पित किया गया था । तथापि, सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों से आवासीय इकाईयों की अनुपातिक लागत राशि ₹ 25.86 करोड़  $\frac{1}{2}$  f'k"V 5-5½ को वापस नहीं लिया गया था ।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2015), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने बताया कि नगरीय स्थानीय निकायों को बैठकों एवं पत्राचार के माध्यम से राशि वापस करने हेतु निर्देशित किया गया था । तथापि, निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2015) शासन ने बताया कि राशि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के पास उपलब्ध थी तथा भारत सरकार से राशि के समायोजन की पद्धति को सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया था ।

5-1-7-5 *vkbl, p-, l -Mh- i h- fuf/k; ka dk 0; i orL*

परियोजना हेतु आवंटित निधियों को आवासीय इकाईयों एवं अन्य स्वीकृत अधोसंरचना निर्माण हेतु उपयोग किया जाना था । तथापि, चार नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में हमने पाया कि राशि ₹ 1.05 करोड़ का उपयोग कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों हेतु किया गया था जैसा कि rkfydk 5-4 में दर्शाया गया है ।

rkfydk&5-4% fuf/k; ka ds 0; i orL dk fooj .k

uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	fuf/k; ka ds 0; i orL dk fooj .k
नगर निगम बुरहानपुर	आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकायों को आई.एच.एस.डी.पी. निधि की प्राप्ति एवं व्यय हेतु प्रत्येक परियोजनाओं का वाणिज्यिक बैंक में पृथक खाता खोलना एवं संधारित करना आवश्यक था । अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि आई.एच.एस.डी.पी. की निधि से की गई सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज के साथ राशि ₹ 91.53 लाख को कार्यक्रम के खाते से नगरीय स्थानीय निकाय के खाते में अंतरित किया गया था । आई.एच.एस.डी.पी. निधि का नगरीय स्थानीय निकाय के खाते में अंतरण आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल था ।

uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	fuf/k; k ds 0; i oru dk fooj .k
नगर परिषद देपालपुर	राशि ₹ 8.24 लाख का उपयोग मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के अंतर्गत निर्माण कार्य एवं ऋण के पुनर्भुगतान में किया गया ।
नगर परिषद रतनगढ़	आई.एच.एस.डी.पी. निधि राशि ₹ 0.67 लाख का उपयोग छोटे एवं मझौले शहरों के विकास हेतु समग्र अधोसंरचना विकास योजना (यू.आइ.डी.एस.एस. एम.टी) के अन्तर्गत जल आपूर्ति परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु किया गया था ।
नगर परिषद सिंगौली	आई.एच.एस.डी.पी. निधि पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 4.57 लाख को कार्यक्रम के खाते में जमा करने के स्थान पर नगरीय स्थानीय निकाय के खाते में अंतरित किया गया था । आई.एच.एस.डी.पी. निधि का नगरीय स्थानीय निकाय के खाते में अंतरण आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल था ।

(Lkkr: ueuk tkp fd, x, uxjh; LFkkuh; fudk; )

निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2015) राज्य शासन ने बताया कि संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को व्यपवर्तित राशि को परियोजना के खाते में जमा करने हेतु निर्देशित किया जाएगा ।

#### 5-1-8 i fj; kst ukvka dk dk; kJo; u

##### 5-1-8-1 vokLrfod foLrr ifj; kst uk ifronuka dk cuk; k tkuk

जैसा कि कंडिका 5.1.6 में चर्चा की गयी कि 31 परियोजनाओं की 9,203 आवासीय इकाइयों को, जो कि इन परियोजनाओं में स्वीकृत आवासीय इकाइयों का 40 प्रतिशत थी, समर्पित करना पड़ा था । आगे, मार्च 2015 तक 42 परियोजनाओं में पूर्ण की गई 8,766 आवासीय इकाइयों में से, मात्र 3,227 आवासीय इकाइयों (37 प्रतिशत) को ही हितग्राहियों को आवंटित किया जा सका । हमने यह भी देखा कि स्वीकृत आवासीय इकाइयों के समर्पण एवं पूर्ण आवासीय इकाइयों के आवंटन में विलम्ब होने के कारणों में एक कारण अवास्तविक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का बनाया जाना था जैसा कि नीचे उल्लिखित किया गया है:

(i) foLrr ifj; kst uk ifronuka ds r\$ kj djus ds i no/ I kelftd&vkffkd I o\$ k. k ugha fd; k tkuk

आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के अन्तर्गत अर्थपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाए जाने के लिए सम्भावित हितग्राहियों एवं मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण अनिवार्य था । प्रत्येक डी.पी.आर. में सर्वेक्षण आधारित हितग्राहियों की सूची संलग्न की जानी थी । इस हेतु नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल सेल बनाया जाना था ।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने नगरों/कस्बों के मलिन बस्ती की रूपरेखा, मलिन बस्ती परिवारों की रूपरेखा एवं आजीविका की रूपरेखा तैयार करने एवं सर्वेक्षण करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे । दिशानिर्देशों के अनुसार, मलिन बस्ती क्षेत्र की सामान्य जानकारी, नगरीय स्थानीय निकायों की मलिन बस्तियों की रूपरेखा, परिवारों का सर्वेक्षण एवं आजीविका की रूपरेखा एकत्रित की जानी थी ।

नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि सर्वेक्षण हेतु नोडल सेल का गठन नहीं किया गया था । 14 नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में मात्र एक नगरीय स्थानीय निकाय (बुरहानपुर) में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये जाने से पूर्व सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था । परिणामस्वरूप, आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों का मलिन बस्ती रूपरेखा एवं आजीविका की रूपरेखा से सम्बन्धित डाटाबेस तैयार नहीं



किया जा सका था । हमने देखा कि आठ नगरीय स्थानीय निकायों<sup>6</sup> ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन उपरान्त हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप दिया था । इस प्रकार, सम्भावित हितग्राहियों की पहचान किए बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे ।

निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2015) राज्य शासन ने उत्तर में बताया कि मलिन बस्ती क्षेत्र के निवासियों की सूची के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे । आगे यह भी बताया गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगरीय स्थानीय निकायों को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप देना था, जो कि नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नहीं किया गया था ।

(ii) *Hkfe dh mi yC/krk , oa fgrxkfg; ka dh l gefr dks l fuf'pr ugha fd; k tkuk*

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति ने निर्देशित किया था (फरवरी 2009) कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय गरीबों के आवासों के लिए भूमि की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए । किसी भी पुनर्वास/पुनर्स्थापन एवं हितग्राही अंशदान के भुगतान हेतु हितग्राहियों की सहमति ली जानी थी ।

चूँकि सम्भावित हितग्राहियों की पहचान किए बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे, अतः पुनर्वास/पुनर्स्थापन एवं हितग्राही अंशदान के भुगतान हेतु हितग्राहियों की सहमति सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

हमने देखा कि छह स्वीकृत आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं (बालाघाट, चांदामेटा, खंडवा-II, महिदपुर, मंडीदीप एवं ओरछा) को भूमि की अनुपलब्धता एवं हितग्राहियों की सहमति न होने के कारण निरस्त किया जाना था । इसके अतिरिक्त, नगरीय स्थानीय निकायों<sup>7</sup> द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने हेतु किया गया ₹ 28.23 लाख का व्यय निष्फल रहा ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि नगरीय स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदित व्यय की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही थी एवं आवश्यक वसूली की जाएगी ।

5-1-9 *vtokl h; bdkbz; ka ds ykxr dh l kef; l dk l fuf'pr ugha fd; k tkuk*

आई.एच.एस.डी.पी. की दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य शासन द्वारा हितग्राहियों को आवास मुफ्त में नहीं दिए जाने चाहिए । तथापि, आवासीय इकाइयों के लिये हितग्राही अंश की गणना करते समय शहरी गरीबों की आर्थिक सामर्थ्य का मुख्यता से ध्यान रखना चाहिए था । मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित (जुलाई 2007) किया कि परियोजनाओं की आवासीय इकाइयों के संबंध में राज्यांश राज्य सरकार और हितग्राहियों के मध्य 8:12 के अनुपात में वहन किया जाएगा । आवासीय इकाइयों के ₹ 80,000 से अधिक की लागत की स्थिति में अतिरिक्त लागत का वहन हितग्राहियों द्वारा ही किया जाना था ।

<sup>6</sup> देपालपुर, खंडवा, खुजनेर, मोहगांव, पांडुना, पेटलावद, रतनगढ़ और सिंगौली

<sup>7</sup> बालाघाट, चांदामेटा, महिदपुर और मंडीदीप



नमूना जांच की गयी सात नगरीय स्थानीय निकायों<sup>8</sup> में हमने पाया कि आवासीय इकाइयों की प्रारम्भिक निर्माण लागत ₹ 0.80 लाख से ₹ 1.70 लाख थी । इस प्रकार, हितग्राहियों द्वारा प्रत्येक आवासीय इकाई के लिये ₹ 9,600 से ₹ 0.99 लाख भुगतान किया जाना था । तथापि, परियोजनाओं के विलम्ब से निष्पादन होने के कारण, आवासीय इकाइयों की प्रति इकाई लागत में ₹ 36,000 से ₹ 2.49 लाख की वृद्धि हुयी एवं एक आवासीय इकाई के लिए हितग्राही का अंशदान ₹ 0.65 लाख से ₹ 2.78 लाख तक बढ़ गया था । इस प्रकार, शहरी गरीबों हेतु आवासों की लागत सामर्थ्य सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2008 से 2010 में मूल्यों में अचानक वृद्धि होने के कारण आवासीय इकाइयों की लागत में वृद्धि हुई । आगे यह भी बताया गया कि राज्य द्वारा बढ़े हुए वित्तीय भार को वहन किया गया था एवं निवासियों को अधिकतम ₹ 1.20 लाख प्रति इकाई भुगतान करना है ।

तथ्य यह है कि प्रति इकाई आवासीय इकाई हेतु हितग्राही का अंशदान ₹ 9,600 से ₹ 1.20 लाख तक बढ़ गया था ।

#### 5-1-10 dk; l dh fu"i knu xq koRrk dk l fuf'pr u fd; k tkuk

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति के निर्देशों के अनुसार, गरीबों हेतु आवासों एवं अधोसंरचना सुविधाओं में गुणवत्ता के साथ निष्पादन हेतु अत्यधिक महत्व देना चाहिए । तथापि, नमूना जांच की गयी परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच/निर्मित आवासीय इकाइयों के संयुक्त निरीक्षण में आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देश/मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली/नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की दरों की अनुसूची में उल्लेखित गुणवत्ता नियन्त्रण मानकों के पालन करने में निम्नलिखित कमियां 1/4rkfydk 5-5½ परिलक्षित हुई A

rkfydk&5-5% ueuk tkp dh xbl i fj ; kstukvka ea xq koRrk ekudka ds i kyu ea i kbl xbl dfe; ka

I - Ø	xq koRrk fu; ll=.k ekud	xq koRrk fu; ll=.k ds ekudka ds i kyu dh lLFkfr
1	मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली के नियम 6.016 के अनुसार कार्यस्थल पर दैनिक नियमित परीक्षण हेतु मैदानी प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए ।	बुरहानपुर एवं पेटलावद को छोड़कर नमूना जांच की परियोजनाओं के कार्यस्थल पर मैदानी प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की गई थी ।
2	यूएडीडी द्वारा जारी की गयी भवन दरों की अनुसूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा लाए गए सीमेंट के भाग का उपयोग परीक्षण में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने पर ही अनुमत्य होगा । सीमेंट रजिस्टर में परीक्षण के परिणामों का उल्लेख किया जाएगा ।	नमूना जांच की गयी आठ नगरीय स्थानीय निकायों (बैरसिया, देपालपुर, डीकेन, खुजनेर, पेटलावाद, रतनगढ़, सतना एवं शाहपुरा) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सीमेंट रजिस्टर संधारित नहीं किए गए थे । सीमेंट रजिस्टर के अभाव में उपयोग किए गए सीमेंट की गुणवत्ता एवं उनके परीक्षण के परिणामों को सत्यापित नहीं किया जा सका ।
3	यूएडीडी द्वारा जारी की गयी भवन दरों की अनुसूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार परियोजना हेतु "कार्यस्थल आदेश पुस्तिका" संधारित की जानी थी जिसमें प्रभारी यंत्री या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ठेकेदारों द्वारा उसके निर्देशों के अनुपालन को अभिलिखित	बुरहानपुर एवं खंडवा के प्रकरणों को छोड़कर इस प्रकार की पंजी का संधारण नहीं किया गया ।

<sup>8</sup> बैरसिया, बुरहानपुर, देपालपुर, डीकेन, खुजनेर, मोहगांव एवं पांडुना

I - Ø	xq koRrk fu; ll=.k ekud	xq koRrk fu; ll=.k ds ekudka ds i kyu dh fLFkfr
	करेंगे ।	
4	मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली वॉल्यूम-1 के नियम 7.004 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्यस्थल का प्रारम्भिक लेवल, लेवल बुक में दर्ज करना चाहिए ।	सात स्थानीय निकायों (बैरसिया, बुरहानपुर, देपालपुर, डीकेन, खुजनेर, मोहगांव एवं शहपुरा) में प्रारम्भिक लेवल दर्ज नहीं किया गया था । प्रारम्भिक लेवल दर्ज नहीं किए जाने से खुदाई की एवं पुनः भराई की गयी मिट्टी की मात्रा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी ।

(Ltkr: ueuk tkp fd, x, uxjh; LFkkh; fudk; )

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि प्रकरणवार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा एवं उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी ।

vuq kd k

शासन को आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने वाले नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

5-1-11 Bcdnkjka ds ns dka l s y?kq [kfutka ds mi; ksx grq jk; YVh dh dVks'h u fd; k tkuk

मध्य प्रदेश खनिज एवं संसाधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र (जुलाई 2004) के अनुसार, ठेकेदारों के देयकों का अन्तिम भुगतान जिला कलेक्टर द्वारा जारी "रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने के उपरान्त ही किया जाए ।

अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि दो नगरीय स्थानीय निकायों<sup>9</sup> में, आई.एच.एस.डी.पी. के निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों द्वारा 29,700.963 घनमीटर लघु खनिज<sup>10</sup> का उपयोग किया गया । तथापि, ठेकेदारों को ₹ 3.67 करोड़ के अन्तिम भुगतान (₹ 24.50 लाख रायल्टी सहित) बिना "रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण-पत्र" प्राप्ति के किए गए ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि मामले का परीक्षण किया जाएगा एवं तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

5-1-12 ifrHkfr tek dh vfu; fer oki l h

मानक निविदा प्रपत्र के अनुच्छेद 19 के अनुसार, भवन निर्माण के प्रकरणों में, ठेकेदारों से काटी गयी प्रतिभूति जमा की 50 प्रतिशत राशि लगातार दो वर्षाकालों तक छतों के परीक्षण पूर्ण होने एवं दोषों के दूर करने तक रोकी जाएगी ।

हमने देखा कि तीन नगरीय स्थानीय निकायों<sup>11</sup> ने ठेकेदारों को पूर्ण किये कार्यों के संदर्भ में अन्तिम भुगतान के साथ प्रतिभूति जमा की राशि ₹ 29.33 लाख वापस कर दी जो निविदा की शर्तों के विपरीत था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को भवन निर्माण के प्रकरणों में निविदा शर्तों को पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया जाएगा । आगे यह भी कहा गया कि अनियमितताओं के प्रकरणों में उचित कार्रवाई की जाएगी ।

<sup>9</sup> देपालपुर एवं पेटलावद

<sup>10</sup> धातु 6,833.665 घन मीटर, रेत 20,314.908 घन मीटर एवं मुरम 2,552.39 घन मीटर

<sup>11</sup> देपालपुर, डीकेन एवं पांडुना

5-1-13 | *विकसित भूमि का विकास; कृषि; उ*

नगरीय शासन में सुधार एवं नगरीय स्थानीय निकायों की साख दर को बढ़ाने के साथ उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आई.एच.एस. डी.पी. में, राज्य शासन एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सुधारों की कार्यसूची को अपनाने एवं उनको क्रियान्वित करने हेतु प्रावधान किया गया है। आई.एच.एस.डी.पी. की दिशानिर्देश के अनुसार, मलिन बस्ती में किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित थे:

- शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं हेतु स्थानीय निकायों के बजट में पृथक आन्तरिक प्रावधान किया जाना;
- प्रत्येक आवासीय परियोजनाओं में (सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं दोनों के द्वारा) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के समूह हेतु विकसित भूमि का पृथक से प्रावधान किया जाना।

14 नमूना जांच किये नगरीय स्थानीय निकायों में से, तीन नगरीय स्थानीय निकायों<sup>12</sup> में "शहरी गरीबी निधि" का प्रावधान बजट में किया गया था  $\frac{1}{2}$  5-6½। तथापि, इन निधियों में से किए गए व्यय के संबंध में कोई अभिलेख पृथक से संधारित नहीं किया गया था। आगे, मात्र तीन नगरीय स्थानीय निकायों<sup>13</sup> में प्रत्येक आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं दोनों के द्वारा) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के समूह हेतु विकसित भूमि को अलग रखने का प्रावधान अपनाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि राज्य द्वारा 25 प्रतिशत इकाइयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के समूहों के आरक्षण हेतु सुनिश्चित किया था। तथापि, राज्य भूमि के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो पाया था एवं इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाया गया था।

*विकास*

आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी गरीबों की समस्याओं पर ध्यान देने हेतु बनाये गये सुधारों को तुरंत कार्यान्वित करना चाहिए।

5-1-14 | *विकसित भूमि का विकास; कृषि; उ*

5-1-14-1 | *विकसित भूमि का विकास; कृषि; उ*

आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों की कंडिका 13 के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति को कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुशासित/स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं का त्रैमासिक अनुवीक्षण सुनिश्चित कराना था।

हमने देखा कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने 2006-07 से 2014-15 के दौरान आवश्यक 36 बैठकों के विरुद्ध मात्र चार बैठकें<sup>14</sup> आयोजित की थी। आगे, वर्ष 2008-12 एवं 2013-15 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, राज्य स्तर पर जारी परियोजनाओं की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

<sup>12</sup> देपालपुर, डीकेन एवं पांडुना

<sup>13</sup> बैरसिया, बुरहानपुर एवं खुजनेर

<sup>14</sup> 2006-07 में दो, 2007-08 एवं 2012-13 प्रत्येक में एक

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी स्तर पर परियोजनावार पृथक अभिलेख रखे जा रहे थे ।

तथ्य यह है कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार प्रगतिरत परियोजनाओं का अनुवीक्षण नहीं किया गया था ।

#### 5-1-14-2 *dk; De i cdku bdkb/*

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति की विशेष बैठक (सितम्बर 2007) के कार्यवृत्त के अनुसार, परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया जाना था । कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राज्य स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को आवश्यक तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी थी । केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति की 62वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को 31 मार्च 2009 तक गठित किया जाना था ।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन (जुलाई 2010) निविदा आमंत्रण एवं राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के साथ अनुबन्ध कार्यान्वित कर किया गया था । हमने देखा कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, परियोजनाओं के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों एवं नगरीय स्थानीय निकायों से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित कर रही थीं । तथापि, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई अपने द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के पक्ष में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सकी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि परियोजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को मजबूत किया जाएगा ।

#### 5-1-14-3 *ifj; kst uk dk; kll; u bdkb/*

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति की विशेष बैठक (सितम्बर 2007) के कार्यवृत्त के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों का गठन नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर किया जाना था । यह सुधारों एवं परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार थी । परियोजना कार्यान्वयन इकाईयां परियोजना के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को परियोजनाओं की त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों को अग्रेषित करने के लिये उत्तरदायी थीं ।

हमने पाया कि तीन<sup>15</sup> क्षेत्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों का गठन अगस्त 2010 में किया गया था । परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के अभिलेखों की जांच में पाया कि सुधारों को अपनाने सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनों को नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को नियमित नहीं भेजा जा रहा था । परियोजना के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार हेतु नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कलेन्डर तैयार नहीं किया गया था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि परियोजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को सुदृढ किया जाएगा ।

#### 5-1-14-4 *vkb/, p-, / -Mh-i h- ds dk; kll; u dh / kekftd yskki jh{kk*

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के परिपत्र (जून 2008) के अनुसार, परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा हितग्राही समितियों द्वारा की जानी थी । नगरीय विकास एवं

15

भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर

पर्यावरण विभाग के एक अन्य परिपत्र (दिसम्बर 2012) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु शहर स्तरीय समिति भी बनाई जाए, जो सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु योजना एवं समय सीमा निर्धारित करेगी ।

हमने पाया कि नमूना जांच किये गये किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय में हितग्राही समिति/शहर स्तरीय समिति के गठन न होने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिये निर्देश जारी किए जा रहे थे ।

**वृद्धि**

शासन को आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु शहर स्तरीय समिति/हितग्राही समितियों का गठन करना चाहिए ।

#### 5-1-15 फुल टाइम इंसपेक्शन, ओवरसिकरिंग, अ

- केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत परियोजना पूर्ण किये जाने की समय सारणी से आई.एच.एस.डी.पी. का कार्यान्वयन पिछड़ गया था । 56 परियोजनाओं में स्वीकृत 22,998 आवासीय इकाइयों में से मात्र 8,766 आवासीय इकाइयों (38 प्रतिशत) को पूर्ण किया जा सका । इन पूर्ण की गई आवासीय इकाइयों में से, मात्र 3,227 आवासीय इकाइयों (37 प्रतिशत) को हितग्राहियों को आवंटित किया गया था । इन परियोजनाओं के हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान, अपूर्ण अधोसंरचना कार्य की वजह से, सुनिश्चित नहीं किये जा सके ।

वृद्धि परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने हेतु राज्य शासन को परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए । पूर्ण आवासीय इकाई पात्र हितग्राहियों को आवंटित कराने के प्रयास में शासन को आगे आना चाहिए । आवासीय इकाइयों के पूर्ण किये जाने के साथ-साथ आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की अधोसंरचना कार्य को पूर्ण किए जाने के प्रयास किए जाएं ताकि हितग्राहियों को अभीष्ट मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके ।

- परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां थी, यथा नगरीय स्थानीय निकायों के स्तर पर आई.एच.एस.डी.पी. निधि का व्यपवर्तन, हितग्राहियों के अंशदान का कम संग्रहण एवं आवासीय इकाइयों के निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता नियन्त्रण मानकों का पालन नहीं किया गया ।

वृद्धि शासन को आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा गुणवत्ता नियन्त्रण प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

- आवासीय इकाइयों के लिए हितग्राही अंश की गणना करते समय शहरी गरीबों के आर्थिक सामर्थ्य का मुख्यता से ध्यान रखना चाहिए था । तथापि, परियोजनाओं के विलम्ब से निष्पादन होने के कारण, आवासीय इकाइयों की प्रति इकाई लागत में ₹ 36,000 से ₹ 2.49 लाख की वृद्धि हुई । लागत में वृद्धि के कारण, प्रति आवासीय इकाई हितग्राही का अंशदान ₹ 0.65 लाख से ₹ 2.78 लाख तक बढ़ गया, उससे शहरी गरीबों हेतु आवासों की आर्थिक सामर्थ्य पर विपरीत असर हुआ ।
- आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देश में उल्लेखित आवश्यक सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया गया था ।

VUq kd k% आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी गरीबों की समस्याओं पर ध्यान देने हेतु बनाए गए सुधारों को तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिए ।

- राज्य में आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन का अपर्याप्त अनुवीक्षण था । हितग्राही समिति एवं शहर स्तरीय समिति के गठन न होने के कारण कार्यक्रम की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं हुई थी ।

VUq kd k% शासन को आई.एच.एस.डी.पी. की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए शहर स्तरीय समितियों/हितग्राही समितियों का गठन करना चाहिए ।

uxjh; fodkl , oa i ; kbj .k foHkkx

5-2 uxjh; LFkkuh; fudk; ka ea l ok Lrj ekun.M ij fu"i knu ys[kkijh{k

dk; i kyu l kjk k

सेवा प्रदाय में जवाबदेही लाने हेतु मानदण्ड एक महत्वपूर्ण प्रणाली है । इसके महत्व को समझते हुए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूलभूत नगरीय सेवाओं जैसे जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के संबंध में निष्पादन के अनुवीक्षण के लिए मानकों की रूपरेखा निर्धारित करते हुए एक सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका जारी की गई थी । सेवा स्तर मानदण्डों के सेवा संकेतकों में जल प्रदाय कनेक्शनों का कवरेज, जल की गुणवत्ता, जल प्रदाय की लागत वसूली, शौचालय का कवरेज, मलजल निकासी तंत्र सेवा का कवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिवार स्तर पर कवरेज, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज शामिल थे ।

मानदण्ड के सिद्धांतों का तेरहवें वित्त आयोग द्वारा समर्थन किया गया था, जिसमें नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान के आवंटन के लिए, सेवा स्तर मानदण्ड एक शर्त के रूप में सम्मिलित थे । तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में मूलभूत सेवाओं के प्रदाय मानकों को राज्य राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा जिन्हें नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया ।

राज्य में कुल 378 नगरीय स्थानीय निकायों में से 114 नगरीय स्थानीय निकायों (16 नगरपालिक निगम एवं 98 नगरपालिका परिषद्) में सेवा स्तर मानदण्ड, मार्च 2015 तक अधिसूचित किए गए थे । 2011-15 की अवधि के लिए सेवा स्तर मानदण्डों के संदर्भ में नगरीय सेवाओं की निष्पादन प्रबंधन की जांच चार नगरीय स्थानीय निकायों (भोपाल, देवास, जुन्नारदेव एवं करेली) में की गई जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

foRrh; i x/ku

- नमूना जांच की गई चार नगरीय स्थानीय निकायों ने 2010-11 से 2014-15 के मध्य चार मूलभूत सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के प्रदाय, पर ₹ 473.16 करोड़ व्यय किए जिसमें तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के ₹ 80.44 करोड़ तथा नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य स्रोतों से ₹ 392.72 करोड़ के व्यय सम्मिलित थे ।

%dfMdk 5-2-5½

- नमूना जांच की गई चार नगरीय स्थानीय निकायों में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन एवं लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अन्तर्गत मूलभूत सेवाओं में सुधार हेतु सात परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी एवं चार स्वीकृत परियोजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 682.67 करोड़ व्यय किए गए थे । दो जल प्रदाय परियोजनाएं एवं एक मलजल निकासी परियोजना, संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद प्रारम्भ नहीं की गई थी । चालू परियोजनाओं के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप इन नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता, अधिसूचित सेवा स्तर मानदण्डों के अनुरूप नहीं थी ।

%dfMdk 5-2-5½

vk; kst uk

- नगरीय स्थानीय निकायों को सेवा संकेतक आंकड़े जैसे सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल घरों एवं परिवारों की संख्या, उपभोक्ताओं को प्रदाय परिशोधित जल की मात्रा, परीक्षण हेतु लिए गए जल के नमूनों की संख्या, मलजल निकासी तंत्र से सीधे जुड़ी परिसम्पत्तियों की संख्या, उत्सर्जित, पृथक्कृत एवं निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं जल भराव घटनाओं की संख्या, एकत्रित करना था । तथापि, इन आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु कोई प्रणाली संस्थापित नहीं की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक आंकड़ों के स्थान पर, राज्य राजपत्र में लक्ष्य एवं उपलब्धियों के अनुमानित आंकड़े अधिसूचित किए गए थे और कई मामलों में अधिसूचित उपलब्धियों के आंकड़े त्रुटिपूर्ण पाए गए ।

%dfMdk 5-2-6½

fu"iknu izd'ku iz kkyh grq {kerk fuekzk

- सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा की गई पहल अपर्याप्त थी । सेवा स्तर मानदण्ड हेतु अधिसूचित 114 नगरीय स्थानीय निकायों में से 68 नगरीय स्थानीय निकायों के 136 पदाधिकारियों को 2014-15 के दौरान दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया गया था । आगे, 136 नामित पदाधिकारियों में से केवल 70 पदाधिकारी (51 प्रतिशत) ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए । इस प्रकार, समस्त अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों के अमले को सेवा स्तर मानदण्ड हेतु प्रशिक्षित नहीं किया जा सका जिससे कि वे समग्र निष्पादन प्रबंधन तंत्र में अपनी संबंधित भूमिका अदा करने के योग्य हो सके ।

%dfMdk 5-2-7½

I dk Lrj ekun. Mka dk dk; kll; u

- नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों के सेवा क्षेत्रों में जल कनेक्शनों का कवरेज केवल 50 प्रतिशत तक था । भोपाल नगरपालिक निगम 70 वार्डों के 305 सेवा क्षेत्रों में से 77 सेवा क्षेत्रों में जल प्रदाय एक दिन छोड़कर कर रहा था । निर्धारित मानदण्ड 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के विरुद्ध अन्य नमूना जांच की गई तीन नगरीय स्थानीय निकायों में जल प्रदाय 34 से 53 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मध्य था । नमूना जांच किए गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में मीटरिंग व्यवस्था नहीं थी । राज्य राजपत्र में सेवा स्तर मानदण्ड संकेतको के अन्तर्गत उपलब्धियों के त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रतिवेदित किए गए थे ।

%dfMdk 5-2-8] 5-2-12] 5-2-16 , oa 5-2-20½

- नमूना जांच किए गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में शौचालयों का कवरेज मानदण्ड (100 प्रतिशत) के अनुरूप नहीं था । दो नगरीय स्थानीय निकायों (जुन्नारदेव एवं करेली) में मलजल निकासी तंत्र विद्यमान नहीं था जबकि भोपाल में मलजल निकासी तंत्र का कवरेज केवल 38 प्रतिशत तथा देवास में 10 प्रतिशत था ।

%dfMdk 5-2-9] 5-2-13] 5-2-17 , oa 5-2-21½

- नमूना जांच किए गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं वैज्ञानिक पद्धति से निपटान नहीं किया गया था । नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निपटान के लिए कोई भूमि भरण स्थल विकसित नहीं किया गया था ।

%dfMdk 5-2-10] 5-2-14] 5-2-18 , oa 5-2-22½



● नमूना जांच की गई किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय ने मानदण्ड संकेतक – वर्षा जल निकासी के कवरेज के विरुद्ध सही उपलब्धि प्रतिवेदित नहीं की थी। इन नगरीय स्थानीय निकायों ने वर्षा जल निकासी के कवरेज, के विरुद्ध 83.5 प्रतिशत तक उपलब्धि अधिसूचित की। तथापि, हमने देखा कि नगरीय स्थानीय निकायों, भोपाल एवं देवास के सेवा क्षेत्रों में कोई ढकी हुई नाली नहीं थी तथा जुन्नारदेव एवं करेली नगरीय स्थानीय निकायों में ढकी/खुली नालियों की लम्बाई के सम्बंध में कोई आंकड़े संधारित नहीं थे जो कि इस सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के विरुद्ध उपलब्धि के आंकलन के लिए आवश्यक था।

¶dfMdk 5-2-11] 5-2-15] 5-2-19 , oa 5-2-23½

I ok Lrj ekun. Mka dk vuph{k.k , oa ew; kadu

● राज्य स्तर एवं नगरीय निकाय स्तर दोनों पर सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु अनुवीक्षण प्रणाली की उपलब्धता नहीं पाई गई। विभागीय स्तर पर प्रतिवेदित किये गये निष्पादन संकेतकों की नगरीय स्थानीय निकायों के प्रबंधन स्तर (महापौर/आयुक्त) पर कभी भी समीक्षा नहीं की गई थी।

¶dfMdk 5-2-24½

### 5-2-1 iLrkouk

सेवा प्रदाय में जवाबदेही लगाने हेतु मानदण्ड एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके महत्व को समझते हुए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मूलभूत सेवाओं के निष्पादन प्रबन्धन के लिए वर्ष 2008 से सेवा स्तर मानदण्ड निर्धारित किए। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूलभूत नगरीय सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के संबंध में निष्पादन के अनुवीक्षण हेतु मानकों की रूपरेखा निर्धारित करते हुए एक सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका भी जारी की थी। सेवा स्तर मानदण्ड के सेवा संकेतकों में जल प्रदाय कनेक्शनों का कवरेज, जल की गुणवत्ता, जल प्रदाय की लागत वसूली, शौचालय का कवरेज, मलजल निकासी तंत्र सेवा का कवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिवार स्तर पर कवरेज, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज आदि शामिल थे।

मानदण्ड के सिद्धान्तों का तेरहवें वित्त आयोग द्वारा समर्थन किया गया था जिससे नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान के आवंटन के लिये सेवा स्तर मानदण्ड एक शर्त के रूप में सम्मिलित थे। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) चार सेवा क्षेत्रों, जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के लिए सेवा प्रदाय मानक, उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त किए जाने के लिए अधिसूचित करना चाहिए या सभी नगरपालिक निगम एवं नगरपालिकाओं द्वारा अधिसूचित करवाएगी। अधिसूचना का प्रकाशन राज्य राजपत्र में किया जाएगा जो निर्धारित शर्त का अनुपालन प्रदर्शित करेगा। चौदहवें वित्त आयोग ने भी मूलभूत नगरीय सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्ड प्रक्रिया के निरंतरता की अनुशंसा की है (दिसम्बर 2014)।

2011-12 से मध्य प्रदेश शासन ने विगत वर्षों के लक्ष्यों की तुलना में प्रत्येक चालू वर्ष के चार सेवाओं के लिए सेवा प्रदायगी मानकों एवं उपलब्धि को अधिसूचित किया। राज्य में 378 नगरीय स्थानीय निकायों में से 114 नगरीय स्थानीय निकायों (16 नगरपालिक निगम एवं 98 नगरपालिक परिषद) में सेवा स्तर मानदण्ड मार्च 2015 तक अधिसूचित कर दिए गए हैं।

### 5-2-2 | xBukRed | j̄puk

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, शासन स्तर पर राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय सेवा स्तर मानदण्ड कार्यक्रम के समग्र अनुवीक्षण तथा उप संचालक, सम्भागीय कार्यालयों के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों से सेवा स्तर मानदण्ड के आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी हैं।

आयुक्त, नगरपालिका निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित निष्पादन संकेतको की समीक्षा नगरीय स्थानीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष द्वारा भी की जानी है।

### 5-2-3 ys[ kki j h{kk ds mnns ;

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- क्या सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु नगरीय स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे;
- क्या सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु नगरीय स्थानीय निकायों की आयोजना पर्याप्त थी;
- क्या नगरीय स्थानीय निकाय सेवा स्तर मानदण्ड संकेतको के लक्ष्य को प्राप्त कर सके; एवं
- क्या सेवा स्तर मानदण्ड का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन पर्याप्त एवं प्रभावी था।

### 5-2-4 ys[ kki j h{kk dk; [ks= , oa dk; fof/k

अवधि 2010-15 के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के सन्दर्भ में समावेशन एवं नगरीय सेवाओं के निष्पादन प्रबंधन दो नगरपालिका निगम (भोपाल एवं देवास) एवं दो नगरपालिका परिषद् (जुन्नारदेव एवं करेली), जिनका चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन बिना प्रतिस्थापन विधि से किया गया था, की जांच (मार्च से जुलाई 2015 तक) की गई थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अभिलेखों की भी जांच की गयी थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये मुख्यतः नमूना जांच इकाईयों द्वारा संधारित अभिलेखों की जांच, प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना तथा नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण करने की कार्यविधि अपनायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा हेतु प्रवेश सम्मेलन 16 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था। निर्गम सम्मेलन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के साथ 9 सितम्बर 2015 को आयोजित किया गया था। निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा दिए गए उत्तरों को सम्बंधित कड़िकाओं में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

यसूक्कि जहकुक फुदक

5-2-5 फोरर; लडक/कुस धि; किरक

तेरहवें वित्त आयोग ने पाया कि स्थानीय निकायों में संसाधनों की कमी अक्सर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में कमी का कारण होती है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण हेतु ₹ 1,089.04 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए। नगरीय स्थानीय निकायों को 13वें वित्त आयोग अनुदान हस्तांतरित करते समय राज्य शासन ने नगरीय स्थानीय निकायों को निम्न सेवाओं – अग्निशमन सेवा, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मलजल निकासी एवं जल निकासी एवं सड़क निर्माण आदि पर प्राथमिकता के आधार पर व्यय करने हेतु निर्देशित किया। भारत सरकार से प्राप्त एवं नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का विस्तृत विवरण रकम 5-6 में दिया गया है।

रकम 5-6% किरक लडक लसिकर, ओएएए; लकुक; फुक; कडस तजह रजगोए फोरर  
वक; कस वुणकु डक फुज.क

(₹ डकम+ए)

कड	दलन लडक लसिकर रजगोए फोरर वक; कस डक वुणकु				; कस	कसजह; लकुक; फुक; कडस तजह वुणकु
	लकुक; एए वुणकु	फु"िकु वुणकु	फु"कुक {कस= एए वुणकु	फु"कुक {कस= फु"िकु वुणकु		
2010-11	137.42	निरंक	3.54	निरंक	140.96	140.96
2011-12	87.10	30.03	3.94	निरंक	121.07	121.07
2012-13	287.02	27.44	3.94	1.97	320.37	320.37
2013-14	228.51	30.03	4.23	1.97	264.74	264.74
2014-15	124.88	107.59	1.68	7.74	241.89	241.89
; कस	864-93	195-09	17-33	11-68	1089-03	1089-03

कुक-एएए; लडक लसिकर, ओएएए लडक लसिकर; कजक लडक लसिकर

राज्य सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के लिए प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों से हमने देखा कि नगरीय स्थानीय निकायों ने मार्च 2014 तक ₹ 396.18 करोड़ चार मूलभूत सेवाओं – जल प्रदाय (₹ 265.37 करोड़), स्वच्छता (₹ 47.57 करोड़), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (₹ 34.04 करोड़) एवं जल निकासी (₹ 49.20 करोड़) पर व्यय किए थे। इन चार सेवाओं पर 2014-15 के दौरान हुए व्यय का विवरण नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान ₹ 1,089.03 करोड़ में से राज्य सरकार ने ₹ 103.47 करोड़ चार नमूना जांच किए नगरीय स्थानीय निकायों, भोपाल (₹ 91.07 करोड़), देवास (₹ 10.84 करोड़), जुन्नारदेव (₹ 0.80 करोड़) एवं करेली (₹ 0.76 करोड़) को 2010-11 से 2014-15 के दौरान जारी किए। इन नगरीय स्थानीय निकायों ने इस अवधि में चार सेवाओं जैसे जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी, को प्रदाय करने पर ₹ 473.16 करोड़<sup>16</sup> व्यय किए, जिसमें तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के ₹ 80.44 करोड़ तथा नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य संसाधनों से ₹ 392.72 करोड़ के व्यय सम्मिलित थे।

कुक एएए  
एएए; लडक  
डसिक; लडक  
एएए तजह रजगोए  
प; फुर डक  
एएए; लकुक;  
फुक; कडस कड  
2010&11 लसिकर  
2014&15 डसिक  
नकुक ₹ 473-16  
डकम+0; ;  
ड, A

<sup>16</sup> भोपाल ₹ 434.94 करोड़, देवास ₹ 24.47 करोड़, जुन्नारदेव ₹ 5.76 करोड़ तथा करेली ₹ 7.99 करोड़

हमने आगे देखा कि मूलभूत सेवाओं के निष्पादन में सुधार के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्तर्गत राज्य की 85 नगरीय स्थानीय निकायों (जिनके लिए सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए गए थे) में 107 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी; विवरण rkydk 5-7 में दिया गया है:

rkydk 5-7 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

रकम ₹ करोड़

परियोजना का नाम	लक्षित वर्ष	अनुमानित लागत	31-03-2015 तक व्यय
जल प्रदाय	91	3,005.56	1,569.35
मलजल निकासी एवं स्वच्छता	7	743.12	489.78
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5	89.29	42.74
वर्षाजल निकासी	4	367.15	370.20
<b>कुल</b>	<b>107</b>	<b>4,205.12</b>	<b>2,472.07</b>

उपरोक्त परियोजनाओं में से सात परियोजनाएं नमूना जांच की गईं चार नगरीय स्थानीय निकायों में स्वीकृत की गईं थी।

नमूना जांच की गईं तीन नगरीय स्थानीय निकायों (भोपाल, देवास एवं जुन्नारदेव) ने चार परियोजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 682.67 करोड़ (स्वीकृत लागत ₹ 848.94 करोड़) व्यय किए थे। तथापि, दो नगरीय स्थानीय निकायों, करेली एवं देवास, में अन्य तीन परियोजनाओं की कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी।

करेली नगरपालिका परिषद् में ₹ 35.51 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई (अगस्त 2013) जल प्रदाय परियोजना, करेली नगरपालिका परिषद् को ₹ 7.99 करोड़ जारी किए (सितम्बर 2013) जाने के बावजूद भी टेन्डर प्रक्रिया में थी। देवास नगरपालिक निगम में लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अंतर्गत ₹ 39.75 करोड़ की लागत पर स्वीकृत की गई (जून 2011) एक जल प्रदाय परियोजना तथा ₹ 140.63 करोड़ की लागत पर स्वीकृत की गई (फरवरी 2014), एक मलजल निकासी परियोजना मार्च 2015 तक अप्रारम्भ थी, यद्यपि देवास नगरपालिक निगम को इन परियोजनाओं के लिए निधियां क्रमशः ₹ 8.94 करोड़ एवं ₹ 61.18 करोड़ जारी की जा चुकी थीं।

इस प्रकार नमूना जांच की गईं नगरीय स्थानीय निकायों ने 2010-11 एवं 2014-15 के मध्य ₹ 473.16 करोड़ चार मूलभूत सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के प्रदाय पर व्यय किए। इसके अतिरिक्त, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन तथा लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चार परियोजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 682.67 करोड़ व्यय हुआ था। तथापि, हमने देखा कि इन नगरीय स्थानीय निकायों में मूल सेवा की गुणवत्ता अधिसूचित सेवा स्तर मानदण्ड के अनुरूप नहीं थी, जिसकी चर्चा आगे की कड़िकाओं में की गयी है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर दिया कि परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भारत सरकार के मानकों अनुसार सेवा स्तर मानदण्ड के लक्ष्य प्राप्त किए जायेंगे।

#### 5-2-6 स्वीकृत परियोजनाएं

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को नियमित रूप से मैदानी स्तर के तंत्र से अथवा निश्चित अन्तराल पर विशिष्ट सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर आवधिक रूप से सेवा स्तर मानदण्ड पर निष्पादन

प्रतिवेदन सृजित करना था। इसके साथ-साथ, नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन प्रबन्धन, जैसे मैदानी स्तर के अमले से आंकड़े एकत्रित करने के लिये सरल डाटा प्रारूप प्रणाली तैयार किया जाना चाहिए थी एवं उन प्रारूपों को आंकड़े एकत्रित करने एवं उच्च स्तर पर रिपोर्ट हेतु मैदानी अमले को उपलब्ध कराने थे, के लिए प्रणाली संस्थापित करने की आवश्यकता थी। मैदानी स्तर से एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों में सेवा क्षेत्र में कुल परिवारों एवं कुल रहवासियों की संख्या, उपभोक्ताओं को परिशोधित जल प्रदाय की मात्रा, परीक्षण हेतु लिए गए जल नमूनों की संख्या, मलजल निकासी तंत्र से सीधे जुड़ी परिसम्पत्तियों की संख्या, उत्सर्जित, पृथक्कृत एवं निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं वर्षा जल भराव घटनाओं की संख्या आदि सम्मिलित थे।

मैदानी स्तर से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करने एवं निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विशिष्ट व्यक्तियों को अभिहित/मनोनीत किया जाना था। विभाग स्तर पर प्रतिवेदित निष्पादन संकेतकों की प्रबंधन स्तर (महापौर/आयुक्त नगर निगम) पर मासिक आधार पर जांच की जानी थी तथा निष्पादन उपलब्धि के परिपेक्ष्य में निर्णय एवं आयोजनाओं की आवधिक समीक्षा की जानी थी एवं लिए गए निर्णयों का पालन करना था।

हमने देखा कि आंकड़ों को एकत्रित करने एवं निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया था। सेवा स्तर मानदण्ड पर निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु आंकड़े मैदानी स्तर से अथवा सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, सेवा स्तर मानदण्ड संकेतकों के लक्ष्य एवं उपलब्धि राजपत्र में अनुमान पर अधिसूचित किए गए थे एवं अधिसूचित उपलब्धियां बहुत से मामलों में त्रुटिपूर्ण पायी गई थी, जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

हमने देखा कि 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान निर्धारित मासिक/त्रैमासिक निष्पादन प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे। विभिन्न सेवा संकेतकों के अन्तर्गत निष्पादन की समीक्षा महापौर/आयुक्त नगरनिगम द्वारा कभी नहीं की गई थी। इस प्रकार, सेवा स्तर मानदण्ड संकेतकों के आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए संस्थागत प्रणाली का अभाव था, जो कि प्रबंधन के लिए मूलभूत सेवाओं के प्रदाय में सुधार हेतु सुधारात्मक कार्रवाई योजना बनाने के लिए आवश्यक था।

निर्गम सम्मेलन में, राज्य शासन ने उत्तर दिया कि नगरीय स्थानीय निकायों को सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे।

**वृद्धि**

नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन प्रबन्धन हेतु मैदानी स्तर से वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक प्रणाली संस्थापित करना चाहिए। रहवासियों के मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने एवं सेवा स्तर मानदण्ड लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

#### 5-2-7 फु"i knu i xll/ku i ) fr grq {kerk fuekl k

सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका की कंडिका 3.1 के अनुसार, समस्त स्तर के अमले का सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कराने की आवश्यकता होगी जिससे कि वे निष्पादन प्रबन्धन पद्धति में अपनी भूमिका निभाने के योग्य हो सकें। विभागाध्यक्ष स्तर से अधिकारियों को अधीनस्थ अमले के उन्मुखीकरण हेतु नेतृत्व करना चाहिए।

हमने देखा कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए सेवा स्तर मानदण्ड पर वर्ष 2013-14 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

eñkuh Lrj l s  
l ok Lrj  
ekun.M  
vkaclMka ds  
, d=hdj .k ds  
fy, dklz  
iz.kkyh  
l l.Fkfi r ugha  
dh x; h Fkh A

I ०k Lrj ekun.M  
ds dk; k\o; u ds  
fy, jkT; I jdkj  
}kjk {kerko/k\o  
grqfd, x,  
iz kl vi; k\o  
Fks A

2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने सेवा स्तर मानदण्ड पर नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। तथापि, सेवा स्तर मानदण्ड हेतु अधिसूचित 114 नगरीय स्थानीय निकायों में से 68 नगरीय स्थानीय निकायों के 136 अधिकारियों को 2014-15 के दौरान इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया था। आगे, प्रशिक्षण हेतु नामित 136 पदाधिकारियों में से केवल 70 पदाधिकारी (51 प्रतिशत) प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमने यह भी देखा कि चार नमूना जांच की गईं नगरीय स्थानीय निकायों में से कोई भी अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ यद्यपि दो नगरीय स्थानीय निकाय (भोपाल एवं देवास) के चार अधिकारी प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए थे।

इसे इंगित किये जाने पर, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने बताया (जुलाई 2015) कि 2010-11 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों के लिए सेवा स्तर मानदण्ड पर प्रशिक्षण आयोजित किया था इसलिए उत्तरवर्ती वर्षों में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं थी। आगे यह भी सूचित किया गया कि केवल उन नगरीय स्थानीय निकाय जो राज्य के राजपत्र में अधिसूचित थे, के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया था।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों के 60 प्रतिशत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया था। आगे, नामित पदाधिकारी भी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा क्षमता निर्माण हेतु किए गए प्रयास अपर्याप्त थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015), में शासन ने बताया कि अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

vuq kd k

समस्त स्तर पर राज्य सरकार को क्षमता निर्माण हेतु सेवा स्तर मानदण्ड पर पर्याप्त प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि अमले को सक्षम बनाकर समग्र निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में वह अपनी संबंधित भूमिका निभा सके।

I ०k Lrj ekun.M dk dk; k\o; u

Hkks i ky uxj i kfyd fuxe

भोपाल नगरपालिक निगम, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के द्वारा शासित होता है। भोपाल नगरपालिक निगम के अंतर्गत 70 वार्ड हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 18.40 लाख है। भोपाल नगरपालिक निगम एक सांविधिक संस्था है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना सुविधाएं तथा नगरीय सेवाएं प्रदान करती है। राज्य सरकार ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान चार मूलभूत नगरपालिक सेवाओं के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए थे। सेवा स्तर मानदण्ड के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में भोपाल नगरपालिक निगम की उपलब्धियों की आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5-2-8 ty vki frz I ०k, a

जल आपूर्ति सेवाओं के सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में भोपाल नगरपालिक निगम की उपलब्धियां, जो राज्य के राजपत्र में 2011-12 से 2014-15 के दौरान अधिसूचित की गई थी, निम्नानुसार थीं :

रक्यादक&5-8%त्यकि िरल l षकुका ds fy, Hkks ky uxj i kfyd fuxe es 2011&12 l s  
2014&15 ds nkj ku l षक Lrj ekun.M

I - Ø-	Lkok l dard	l षक Lrj ekun.M i (Lrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkj ku vf/kl िpr l षक Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf{/k
1	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (प्रतिशत)	100	60-100	56-80
2	प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	135	150	150
3	जल कनेक्शनों की मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)	100	7-100	2-40
4	गैर राजस्व जल की सीमा (प्रतिशत)	20	15-35	20-35
5	जल आपूर्ति की निरंतरता (घंटे)	24	1-24 घंटे	1-8 घंटे
6	जल आपूर्ति की गुणवत्ता (प्रतिशत)	100	90-100	95-100
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (प्रतिशत)	80	90-100	90-98
8	जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत)	100	50-90	40-50
9	जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत)	90	72-90	75-83

(Lkkr %jkt; 'kkl u }kjk tkjh jkti = vf/kl िpr)

5-2-8-1 ty vki िरल duD'kuka dk dojst

सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका की कंडिका 2.1.1 के अनुसार जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज, सेवा क्षेत्रों में कुल परिवारों की संख्या के प्रतिशत से मापा जाता है जो जल आपूर्ति तंत्र के साथ प्रत्यक्ष सेवा नल कनेक्शन के माध्यम से जुड़े हैं। भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत मानदंड निर्धारित किया गया था।

हमने देखा कि 2014-15 में सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के विरुद्ध भोपाल नगरपालिक निगम ने 80 प्रतिशत उपलब्धि अधिसूचित की। तथापि, अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि भोपाल नगरपालिक निगम के सेवा क्षेत्र में कुल 3,90,445 परिवारों में से 1,80,000 परिवार ही जल आपूर्ति कनेक्शनों से सीधे तौर पर जुड़े थे। इस प्रकार भोपाल में जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज केवल 46 प्रतिशत था जबकि राजपत्र में यह उपलब्धि बढ़ाकर 80 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने बताया (जुलाई 2015) कि नगर में बहुत सारे कनेक्शन बल्क कनेक्शन हैं जिनसे एक से अधिक परिवारों को जल आपूर्ति की जाती है। इसलिए एक परिवार के कनेक्शन को एक कनेक्शन माना जाना उचित नहीं था।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि जल आपूर्ति कनेक्शनों के कवरेज हेतु गणना में केवल उन्हीं परिवारों के प्रतिशत को लिया जाना चाहिए था जो जल आपूर्ति तंत्र से सीधे जुड़े हों।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि जल आपूर्ति के कार्य प्रगति पर थे तथा नगरीय स्थानीय निकायों को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे।

5-2-8-2 ifr0; fDr ty vki िरल

सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका की कंडिका 2.1.1 के अनुसार प्रतिव्यक्ति आपूर्ति की मात्रा से आशय उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कुल जल की मात्रा जो कि जनसंख्या को



प्रतिदिन दी गई मात्रा, से व्यक्त होता है । इस संकेतक के लिये मानदंड 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन था ।

सेवा स्तर मानदण्ड के उक्त संकेतक के विरुद्ध वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान भोपाल नगरपालिक निगम ने 150 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धि अधिसूचित की जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड से अधिक थी । तथापि, हमने देखा कि प्रत्येक सेवा क्षेत्र में जल आपूर्ति की अवधि एक समान नहीं थी । भोपाल नगरपालिक निगम के कुल 305 सेवा क्षेत्रों (70 वार्डों में) में से 77 सेवा क्षेत्रों में जल आपूर्ति एक दिवस छोड़कर की गई थी, यद्यपि कुछ सेवा क्षेत्रों में जलपूर्ति नौ घंटे तक थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जायेंगे ।

### 5-2-8-3 *ty duD'kuka dh ehVfjæ dh l hek*

Hkksi ky  
uxjilkyd  
fuxe us ty  
vki frl duD'kuka  
ea ehVj LFkfi r  
ugha fd; s A

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका अनुसार उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए जल की मात्रा मीटर्स के माध्यम से मापी जाना चाहिए । तथापि, हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम ने जल कनेक्शनों के लिए मीटर संस्थापित नहीं किए । इसके बावजूद राज्य शासन ने 2014-15 के दौरान उक्त संकेतक के अंतर्गत 40 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की । इस प्रकार, इस संकेतक के संबंध में राजपत्र में दी गई उपलब्धि सही नहीं थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि मीटरिंग प्रणाली अपनाने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जायेंगे ।

### 5-2-8-4 *xj jktLo ty dh l hek*

यह संकेतक उस जल की मात्रा को अभिव्यक्त करता है जिसकी आपूर्ति से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है । इसकी गणना, कुल उत्पादित जल की मात्रा एवं वितरण प्रणाली को आपूर्ति (मीटरिंग द्वारा मापी गई) की गई तथा उपभोक्ताओं, जिनको देयक भेजे गए, को आपूर्ति किए गए वास्तविक जल की मात्रा, के मध्य अंतर पर मापा जाना था ।

हमने देखा कि शासन ने 2014-15 के दौरान भोपाल नगरपालिक निगम हेतु गैर राजस्व जल की सीमा संकेतक के अंतर्गत 15 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 20 प्रतिशत उपलब्धि अधिसूचित की । तथापि, राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि सही नहीं थी क्योंकि गैर राजस्व जल की मात्रा का, वितरण केन्द्र तथा उपभोक्ता स्तर पर मीटरिंग तंत्र के अभाव में, आंकलन नहीं किया जा सकता था ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार निर्देश जारी किए जायेंगे ।

### 5-2-8-5 *\*vki frl fd, x, ty dh xjkorrk^ l dk l ddrd*

ty dh  
xj korrk  
l fuf'pr djus  
grqLora=  
vkof/kd  
yskkih{kk ugha  
dh xbl Fkh A

सेवा स्तर मानदंड की पुस्तिका की कंडिका 2.1.6 के अनुसार आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतक है । आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता का निर्धारण उपचार संयंत्र एवं उपभोक्ता स्तर पर लिए गए वास्तविक नमूनों, जिनका मेल केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण यांत्रिकी संगठन द्वारा निहित मापदंड से होना चाहिए, के आधार पर किया जाना था । पानी की गुणवत्ता की आवधिक स्वतंत्र लेखापरीक्षा भी की जानी चाहिए थी ।

हमने देखा कि वर्ष 2014-15 के दौरान आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता के अंतर्गत 100 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी । तथापि, हमने यह भी देखा कि जल की गुणवत्ता की जांच हेतु उपभोक्ता स्तर पर नमूने नहीं लिए गए और न ही



उक्त नमूनों की जांच के संबंध में स्वतंत्र आवधिक लेखापरीक्षा की गई थी । इस प्रकार, भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता के संबंध में राजपत्र में अधिसूचित आंकड़े वास्तविक नहीं थे ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार निर्देश जारी किए जायेंगे ।

#### 5-2-8-6 मिहकडरक फ'कड; र फुकज.क एनक्रक

इस संकेतक के अंतर्गत निष्पादन की गणना, कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या के विरुद्ध संतोषजनक आधार पर 24 घंटे में निराकृत की गई मूल शिकायतों की संख्या के प्रतिशत के आधार पर होगी । इस संकेतक के लिए मानदण्ड 80 प्रतिशत निर्धारित था ।

शासन ने राजपत्र में 80 प्रतिशत मानदण्ड के विरुद्ध 100 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की । हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा शिकायतों की प्राप्ति के लिए अभिलेख संधारित किया जा रहा था तथापि शिकायतों के निवारणों की स्थिति को अभिलेखों में नहीं दर्शाया गया था । इसलिए, जिसके आधार पर 100 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी, लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण एवं अभिलेखों के संधारण हेतु शीघ्र ही निर्देश जारी किए जायेंगे ।

#### 5-2-8-7 टय वकिररल डकवक एन यकर ओल य्ह

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 2.1.8 के अनुसार सभी आधारभूत नगरीय सेवाओं के लिए वित्तीय निरंतरता कठिन है । इसलिए समस्त संचालन लागत, उपभोक्ता प्रभार, फीस तथा कर आदि के संमिश्रण से वसूल की जानी चाहिए । इस संकेतक के लिये निर्धारित मानदण्ड 100 प्रतिशत था ।

भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा जल आपूर्ति सेवा में संचालन पर व्यय एवं लागत वसूली का विवरण, रकफडक डेकड 5-9 के अनुसार थे:

रकफडक&5-9% टय वकिररल डक डस फ्य, ल डक्यु 0; ; , ओा यकर ओल य्ह डक फूज.क

(₹ डजकड+ए)

ओ"क	ल डक्यु 0; ;	यकर ओल य्ह	यकर ओल य्ह डक इफर'कर
2011-12	56.79	29.08	51
2012-13	65.47	29.50	45
2013-14	81.40	29.47	36
2014-15	78.81	29.44	37

(लकर % हककि क्य उखि कफ्यड फुखे डकजक इनरर तकुडक)

रकफडक 5-9 से यह स्पष्ट होता है कि भोपाल नगरपालिक निगम की वास्तविक लागत वसूली 36 से 51 प्रतिशत के मध्य थी । हमने आगे देखा कि इस सेवा स्तर मानदंड संकेतक के लिए 2014-15 के दौरान 70 प्रतिशत का लक्ष्य अधिसूचित किया गया था जो भारत सरकार के निर्धारित मानदण्ड से बहुत कम था ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को कार्रवाई हेतु लेख किया गया था ।

### 5-2-9 eyty fudkl , oa LoPNrk

मलजल निकास एवं स्वच्छता सेवाओं के लिये सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में भोपाल नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-10% 2011&12 l s 2014&15 ds nkj ku Hkks ky uxj kfyd fuxe ds eyty fudkl , oa LoPNrk ds l ok Lrj ekun.M

(vk dM\$ i fr'kr e)

I - Ø	Lkok l dnd	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"z 2011&15 ds nkj ku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	81.90	80.84
2	मलजल तंत्र का कवरेज	100	12.50	10.40
3	मलजल तंत्र के संग्रहण की दक्षता	100	12.50	11.40
4	मलजल के उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	24.58	24.28
5	मलजल के उपचार की गुणवत्ता	100	65.80	65.70
6	मलजल के पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा	20	3.10	3.8
7	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	100	100
8	मलजल प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली	100	7.15	7.10
9	मलजल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	82.85	82.83

(Lkks% jkt; l jdkj jkj tkjh jkti = vf/kl pul)

#### 5-2-9-1 eyty r# dk dojst

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 2.2.2 के अनुसार यह संकेतक सेवा क्षेत्र में व्यक्तिगत संपत्ति तक भूमिगत मलजल तंत्र की उपलब्धता का द्योतक है । इस संकेतक के लिये निर्धारित मानदण्ड 100 प्रतिशत था ।

हमने देखा कि भोपाल में मलजल तंत्र का कवरेज अधिसूचित लक्ष्य 40 प्रतिशत के विरुद्ध 38 प्रतिशत था । इस प्रकार, मलजल तंत्र का कवरेज एवं अधिसूचित लक्ष्य भारत सरकार के निर्धारित मानदण्ड (100 प्रतिशत) से कम था ।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने बताया (जुलाई 2015) कि सेवा क्षेत्र में मलजल तंत्र की 100 प्रतिशत कवरेज हेतु प्रस्ताव मास्टर प्लान में शामिल किया गया था और इसे केन्द्र प्रवर्तित योजना में शामिल किए जाने के पश्चात ही क्रियान्वित किया जाएगा ।

#### 5-2-9-2 eyty r# ds l xg.k dh n{krk

इस संकेतक की गणना नगरीय स्थानीय निकायों में कुल उत्सर्जित मलजल के प्रतिशत के रूप में अनुपयोगी जल की संग्रहण की मात्रा के रूप में की जाती है । इस संकेतक के लिए 2014-15 के दौरान 40 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी । तथापि, भोपाल में स्थापित सात मलजल उपचार संयंत्रों की क्षमता के आधार पर कुल उत्सर्जित मलजल के संग्रहण की दक्षता 28 प्रतिशत संगणित की गई थी । इस प्रकार, मलजल संग्रहण की दक्षता की अधिसूचित 40 प्रतिशत उपलब्धि सही नहीं थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि लक्ष्यों को वास्तविकता के आधार पर पुनरीक्षित करने हेतु कदम उठाए जाएंगे ।

### 5-2-9-3 यलर ओयल हेक

सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका की कंडिका 2.2.8 के अनुसार उपभोक्ता प्रभार, फीस तथा करों आदि के माध्यम से समस्त संचालन लागत वसूल की जाना चाहिए । हमने देखा कि 2014-15 के दौरान भोपाल में मलजल प्रबंधन पर संचालन व्यय ₹ 2.89 करोड़ था । तथापि, मलजल प्रबंधन लागत वसूली के लिए कोई प्रभार अधिरोपित नहीं किए गए थे । इसके बावजूद, राजपत्र में इस संकेतक के अंतर्गत भोपाल नगरपालिक निगम की उपलब्धि 10 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी ।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि राजपत्र में उपलब्धि त्रुटिवश अधिसूचित की गई थी । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर दिया कि कार्रवाई की जाएगी ।

### 5-2-10 Bkl vif'k"V i'x'ku

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में भोपाल नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी :

Rkfydk&5-11% 2011&12 l s 2014&15 ds nkj'ku Hkks ky uxj i kfyd fuxe ea Bkl vif'k"V i'x'ku ds l ok Lrj ekun.M

(vkdMs i fr'kr ea)

I - Ø-	Lkok l d'rd	l ok Lrj ekun.M i f'lr dk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkj'ku vf/kl i'pr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf'k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	40-75	30-70
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण में दक्षता	100	80-95	80-91
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट की पृथक्करण सीमा	100	15-30	15-24
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वसूल की सीमा	80	15-25	10-19
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा	100	15-25	5-15
6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	99	95-99
7	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली सीमा	100	निरंक	42-52
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों की वसूली में दक्षता	90	निरंक	40-63

(Lkks %jkt; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl i'pr)

### 5-2-10-1 uxjh; Bkl vif'k"V dh i'FkDdj.k l hek

इस संकेतक के अंतर्गत निष्पादन को, कुल संग्रहित अपशिष्ट की मात्रा में से पृथक्करण किए गए अपशिष्ट की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मापा जाना था । इसके लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत का मानदण्ड निर्धारित किया गया था ।

हमने देखा कि अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया गया था । भोपाल नगरपालिक निगम ने सूचित किया कि बिना पृथक्कृत किए अपशिष्ट को कूड़ा स्थल पर फेंका जा रहा था । इसके बावजूद उक्त संकेतक के अंतर्गत 15 से 24 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी, जो सही नहीं थी ।

### 5-2-10-2 uxjh; Bkl vif'k"V ds o'Kkfyd fof'k l s fui Vku ea n'krk

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 2.3.5 के अनुसार निष्क्रिय अपशिष्ट का अंतिम रूप से निपटान भूमि भरण स्थल पर किया जाना चाहिए । यह पर्यावरणीय

निरंतरता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निष्पादन मापदण्ड है । इस संकेतक के लिए 100 प्रतिशत मानदण्ड निर्धारित था ।

Hkksi ky uxji kfyd  
fuxe }kjk uxjh;  
Bkl vif'k"V ds  
oKkfud fof/k l s  
fui Vku grq Hkife  
Hkj .k LFky dk  
fodkl ugh fd; k  
Fkk A

हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम को 12वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान के रूप में ₹ 6.83 करोड़ प्राप्त हुए (2007-10) थे जिसका 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय किया जाना था । तथापि, भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान हेतु भूमि भरण स्थल विकसित नहीं किया जा सका था । इसके बावजूद "नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान में दक्षता" संकेतक के अंतर्गत 5 से 15 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि राज्य ने ठोस अपशिष्ट के प्रभावी तथा वैज्ञानिक विधि से निपटान को ध्यान में रखते हुए राज्य के 378 नगरीय स्थानीय निकायों को 26 कलस्टर्स में परिवर्तित कर दिया गया था । सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को दो वर्षों के भीतर सुव्यवस्थित करना लक्ष्य था ।

तथ्य यह है कि भोपाल नगरपालिक निगम 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति के बाद भी नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु भूमि भरण स्थल विकसित नहीं कर सका ।

### 5-2-10-3 मि HkkDrk f'kdk; rka ds fuokj .k ea n{krk

इस संकेतक के अंतर्गत निष्पादन की गणना, कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या के विरुद्ध संतोषजनक आधार पर 24 घंटे में निराकृत की गई शिकायतों की संख्या के प्रतिशत के आधार पर होगी । इस संकेतक के लिए मानदण्ड 80 प्रतिशत था ।

हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम में शिकायतों के दर्ज किए जाने का अभिलेख संधारित किया गया था । तथापि, शिकायतों के निराकरण की स्थिति दर्ज नहीं की गई थी । इसलिए, शिकायतों के निराकरण के संबंध में अधिसूचित प्रतिशत का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि इसे आगामी कार्रवाई के लिए टीप कर लिया गया था ।

### 5-2-11 o"kkz ty fudkl h

वर्षा जल निकासी सेवाओं के लिए के सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में भोपाल नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी:

rkydk&5-12% 2011&12 l s 2014&15 ds nkj ku Hkksi ky uxji kfyd fuxe ds o"kkz ty fudkl h ds l ok Lrj ekun.M

I - Ø	Lkok l drd	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkj ku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yfC/k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज (प्रतिशत में)	100	55-80	52-75
2	जल भराव/बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक

(Lkkr %jkt; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl puk)

### 5-2-11-1 o"kkz ty fudkl h dk dojst

यह संकेतक वर्षा जल निकासी तंत्र द्वारा कवर की गई सड़कों की लंबाई के प्रतिशत के संबंध में परिभाषित है । सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार, वर्षा जल निकासी तंत्र के कवरेज की गणना, सेवा क्षेत्र में 3.5 मीटर से अधिक चौड़ी परिवहन

मार्ग सड़कों की कुल लंबाई तथा कुल निकासी नालियों, जो पक्की एवं ढकी हुई हो, की लंबाई के आधार पर की जानी थी। भारत सरकार द्वारा इसका मानदण्ड 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम के सेवा क्षेत्र में सड़क तंत्र की कुल लम्बाई 3,200 किलोमीटर (3.5 मीटर से अधिक चौड़ी) थी। जल निकासी नालियों की लंबाई 2,400 किलोमीटर थी जो ढकी हुई नहीं थी। सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के निर्धारित मापदण्ड अनुसार नालियां ढकी हुई न होने के कारण वर्षा जल निकासी तंत्र के कवरेज के लिए संकेतक की गणना नहीं की गई थी। इसके बावजूद 2014-15 के दौरान 75 प्रतिशत उपलब्धि अधिसूचित की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने उत्तर में बताया कि इस सेवा स्तर मानदंड संकेतक के अंतर्गत अधिसूचित लक्ष्य एवं उपलब्धि बिना ढकी हुई नालियों के आधार पर थे।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर दिया कि आगामी कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को टीप कर लिया गया था।

5-2-11-2 ty Hkiko@ck<+ dh ?kVuk, a

यह संकेतक इंगित करता है कि एक वर्ष में जल भराव तथा बाढ़ की कितनी संख्या प्रतिवेदित की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस हेतु शून्य मानदण्ड निर्धारित किया गया था।

हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा चार लो लाइंग फ्लड एरिया चिन्हित किए गए थे, जहां 2014-15 के दौरान चार से पांच जलभराव की घटनाएं हुई थी। इसके बावजूद "जल भराव/बाढ़ की घटनाएं" सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के अंतर्गत कोई लक्ष्य अधिसूचित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने उत्तर दिया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन परियोजना के पूर्ण होने के बाद जल भराव की घटनाओं में कमी आई थी। तथापि, जल भराव की घटनाओं से बचने के लिए अन्य परियोजना तैयार करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

तथ्य यह है कि लो लाइंग फ्लड एरिया को चिन्हित करने के बावजूद भोपाल नगरपालिक निगम ने "जल भराव/बाढ़ की घटनाएं" के लिए कोई लक्ष्य अधिसूचित नहीं किए।

vuq kd k

भोपाल नगरपालिक निगम को चार अधिसूचित सेवाओं, जल आपूर्ति, मलजल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा वितरण में जवाबदेही बेहतर हो सके।

noxl uxj ikfyd fuxe

देवास नगरपालिक निगम, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के द्वारा शासित होता है। देवास नगरपालिक निगम के अंतर्गत 45 वार्ड हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 2.90 लाख है। देवास नगरपालिक निगम एक सांविधिक संस्था है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना सुविधाएं तथा नगरीय सेवाएं प्रदान करती है। राज्य सरकार ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान चार नगरपालिक मूलभूत सेवाओं के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए थे। सेवा स्तर

मानदण्ड के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

5-2-12 ty vki frl l ok, a

जल आपूर्ति सेवाओं के सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में देवास नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी, निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-13: ty vki frl l okvka ds fy, nokl uxjikfyd fuxe ea 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku l ok Lrj ekun.M

I - Ø	Lkok l adrd	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"Kz 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (प्रतिशत)	100	60-75	42-74
2	प्रतिव्यक्ति जलआपूर्ति (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	135	80-100	50-90
3	जल कनेक्शनों की मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)	100	10	निरंक
4	गैर राजस्व जल की सीमा (प्रतिशत)	20	30-45	3-45
5	जल आपूर्ति की निरंतरता (घंटे)	24	30-60 मिनिट	30-75 मिनिट
6	जल आपूर्ति की गुणवत्ता (प्रतिशत)	100	80-95	50-90
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (प्रतिशत)	80	100	100
8	जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत)	100	60-75	50-60
9	जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत)	90	70-80	50-75

(Llkr % jkT; 'kkl u }kjk tkjh jkti = vf/kl ipuk )

5-2-12-1 ty vki frl duD'kuka dk dojst

कंडिका 5.2.8.1 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार हमने देखा कि इस सेवा स्तर मानदंड संकेतक के विरुद्ध 2014-15 के दौरान देवास नगरपालिक निगम की उपलब्धि 74 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी । तथापि, अभिलेखों की समीक्षा में पाया कि देवास नगरपालिका निगम के सेवा क्षेत्र में जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज केवल 47 प्रतिशत था, देवास नगरपालिक निगम सेवा क्षेत्र में कुल 65,276 परिवारों में से 30,665 परिवार ही जलापूर्ति कनेक्शनों से सीधे तौर पर जुड़े थे । इस प्रकार राजपत्र अधिसूचना में बड़ी हुई उपलब्धि प्रतिवेदित की गई थी ।

हमने आगे देखा कि जल आपूर्ति के लिये वितरण नलिकाएं केवल 60 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में थी तथा राज्य सरकार ने अन्य 10 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में वितरण नलिकाएं बिछाने हेतु प्रस्ताव (स्वीकृत लागत ₹ 40 करोड़) अनुमोदित किया था (सितम्बर 2014) । शेष 30 प्रतिशत सेवा क्षेत्र हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था । इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड (100 प्रतिशत) प्राप्त करने हेतु योजना की कमी थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र में अधिसूचना हेतु गलत जानकारी दी गई थी । निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर दिया कि जल आपूर्ति के अंतर्गत कार्य प्रगति पर हैं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे ।

nokl uxjikfyd fuxe ea ty vki frl duD'kuka dk dojst doy 47 ifr'kr Fkh A

तथ्य यह है कि देवास नगरपालिक निगम की बची हुई 30 प्रतिशत सेवा के अन्तर्गत वितरण नलिकाएं बिछाने के लिए कोई योजना नहीं थी ।

#### 5-2-12-2 ifr0; fDr ty vki frl

कांडिका 5.2.8.2 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार हमने देखा कि देवास नगरपालिक निगम द्वारा इस सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के विरुद्ध 2013-14 के दौरान 90 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एवं 2014-15 के दौरान 50 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी । अभिलेखों की समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि इन वर्षों में 2.90 लाख की जनसंख्या के लिये परिशोधित जल की आपूर्ति 34 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी । इस प्रकार, राजपत्र अधिसूचना में बढ़ी हुई उपलब्धि प्रतिवेदित की गई थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र में अधिसूचना हेतु गलत जानकारी दी गई थी । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार निर्देश जारी किए जायेंगे ।

#### 5-2-12-3 ty vki frl dh fuja jrj

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कांडिका 2.1.5 के अनुसार नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जल आपूर्ति 24 घंटे वांछनीय है । इस संकेतक के लिए मानदण्ड 24 घंटे निर्धारित किया गया था । 'जल आपूर्ति की निरंतरता' को दबाव सहित की गई जलापूर्ति प्रतिदिन के औसत घंटों के आधार पर मापा जाना था ।

हमने देखा कि देवास नगरपालिक निगम के सेवा क्षेत्र में जल आपूर्ति 45 मिनट एक दिवस छोड़कर थी । इसके बावजूद, देवास नगरपालिक निगम द्वारा इस संकेतक के अंतर्गत उपलब्धि 75 मिनट प्रतिदिन अधिसूचित की गई थी, जो गलत थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र में अधिसूचना हेतु गलत जानकारी दी गई थी । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी ।

#### 5-2-12-4 vki frl fd, x, ty dh xqkorrk

कांडिका 5.2.8.5 में चर्चा किए गए प्रावधानानुसार, हमने देखा कि परिशोधित जल की गुणवत्ता की जांच देवास नगरपालिक निगम में स्थापित प्रयोगशाला में की जा रही थी । तथापि, सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार जांच हेतु उपभोक्ता स्तर पर जल के नमूने कभी भी नहीं लिए गए थे । हमने आगे देखा कि जल की गुणवत्ता हेतु स्वतंत्र आवधिक लेखापरीक्षा भी नहीं की गई थी । इस प्रकार, 2014-15 के दौरान राजपत्र में दर्शायी गई 50 प्रतिशत की उपलब्धि निराधार थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र अधिसूचना हेतु गलत आंकड़े दिए गए थे । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया गया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार निर्देश जारी किए जाएंगे ।

#### 5-2-12-5 mi HkkDrk f'kdk; r fuokj.k en{krk

कांडिका 5.2.8.6 में चर्चा किए गए प्रावधानानुसार, हमने देखा कि देवास नगरपालिक निगम में शिकायतों को दर्ज करने के लिए अभिलेख संधारित किए गए थे परन्तु शिकायतों के निवारण की स्थिति अभिलेखों में दर्ज नहीं थी । अतः शिकायतों का निवारण, सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका में निहित समयावधि में किया गया, का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

आयुक्त, देवास नगरपालिक निगम ने लेखापरीक्षा की उपर्युक्त अभ्युक्ति को स्वीकार किया एवं बताया (अप्रैल 2015) कि शिकायत निवारण से संबंधित अभिलेख संधारित किए जाएंगे ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण दक्षता से करने एवं अभिलेखों के संधारण हेतु शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे ।

### 5-2-13 *eyty fudkl , oa LoPNrk*

मलजल निकास एवं स्वच्छता सेवाओं से संबंधित देवास नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-14% 2011&12 l s 2014&15 ds nk\$ku nokl uxj kfyd fuxe ea eyty fudkl , oa LoPNrk ds l ok Lrj ekun.M

(vkdM\$ ifr'kr ea)

I - Ø-	Lkok l dard	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj l ok Lrj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nk\$ku vf/kl ifpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	68-85	68-80
2	मलजल तंत्र का कवरेज	100	8-25	5-10
3	मलजल तंत्र के संग्रहण की दक्षता	100	5-25	5-10
4	मलजल के उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक
5	मलजल के उपचार की गुणवत्ता	100	निरंक	निरंक
6	मलजल के पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा	20	निरंक	निरंक
7	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	100	100
8	मलजल प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली सीमा	100	10-20	10
9	मलजल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	26-40	26-30

(Lkr% jkT; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl ipuk)

हमने देखा कि देवास नगरपालिक निगम ने 'शौचालयों के कवरेज' से संबंधित डाटाबेस संधारित नहीं किया । इसके बावजूद, देवास नगरपालिक निगम ने इस संकेतक के अंतर्गत 80 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाई । देवास नगरपालिक निगम ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र में प्रकाशित उपलब्धि निगम में उपलब्ध जानकारी के आधार पर थी । तथापि, ऐसा कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया था । इस प्रकार जिस आधार पर राजपत्र में उपलब्धि अधिसूचित की गई थी, उसका सत्यापन नहीं किया जा सका ।

इसके अतिरिक्त देवास नगरपालिक निगम ने सेवा संकेतक - मलजल उपचार क्षमता की पर्याप्तता, मलजल उपचार की गुणवत्ता तथा मलजल की पुनर्उपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा, के लिए कोई लक्ष्य अधिसूचित नहीं किए थे । मलजल निकास तंत्र का कवरेज संकेतक के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि भी सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका में निर्धारित आवश्यक मानकों की तुलना में बहुत कम थे ।

इसे इंगित किये जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने सूचित किया (मई 2015) कि लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अंतर्गत



₹ 140.63 करोड़ की लागत से एक मलजल निकास परियोजना स्वीकृत की गई है, (फरवरी 2014) जो निविदा स्तर पर थी ।

### 5-2-14 Bkd vif'k"V ixdku

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के संदर्भ में देवास नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी:

Rkfydk&5-15% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku nskl uxj ikfyd fuxe es Bkd vif'k"V ixdku ds fy, l ok Lrj ekun.M

(vkadMs ifr'kr es)

I - Ø	Lkok l adrd	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	30-50	30-45
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण में दक्षता	100	85-95	85-87
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट की पृथक्करण सीमा	100	20-30	निरंक
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वसूली की सीमा	80	20-30	10-15
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा	100	निरंक	निरंक
6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	100	100
7	लागत वसूली सीमा	100	10-40	10-40
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा प्रभागों के संग्रहण में दक्षता	90	30-60	30-60

(Lkks%jkt; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl pulk)

### 5-2-14-1 uxjh; Bkd vif'k"V dk oKkfud fof/k l s fui Vku l hek

इस संकेतक की माप, भूमि भरण स्थल पर निपटान किए गए अपशिष्ट की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में, होनी थी । तथापि, हमने देखा कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान हेतु भूमि भरण स्थल विकसित नहीं किया गया था । यह भी देखा कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान का कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया गया था, यद्यपि सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार इसे 100 प्रतिशत किया जाना था ।

### 5-2-14-2 ykxr ol myh dh l hek

इस संकेतक की माप, कुल वार्षिक परिचालन व्यय पर कुल वार्षिक परिचालन राजस्व के प्रतिशत के रूप में, होनी थी । हमने देखा कि 2011-15 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर परिचालन व्यय ₹ 2.91 करोड़ के विरुद्ध कोई कर अथवा फीस अधिरोपित नहीं की गई थी । इसलिए, इस संकेतक के अंतर्गत अधिसूचित उपलब्धि बिना किसी आधार पर थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि त्रुटिवश गलत आंकड़े राजपत्र में अधिसूचना हेतु प्रेषित किए गए थे । निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगामी कार्रवाई हेतु टीप कर लिया गया था ।

5-2-15 o"kkz ty fudkl h l dk, a

वर्षा जल निकासी सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में देवास नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान उपलब्धियां, जैसा कि राज्य के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी, निम्नानुसार थीं:

rkfydk&5-16% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku nokl uxjikfyd fuxe ds o"kkz ty fudkl h ds fy, l dk Lrj ekun.M

I - Ø	Lkok l dard	l dk Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kkz 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l dk Lrj ekun.M	
			y{;	mi yfL/k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज (प्रतिशत में)	100	50-80	50-70
2	जल भराव की घटनाएं	शून्य	25-60	20-60

(Lkr%jkt; ljdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl puk )

हमने देखा कि 2014-15 के दौरान देवास नगरपालिक निगम के क्षेत्राधिकार में सड़क तंत्र की कुल लंबाई 427 किलोमीटर थी । तथापि, इन सड़कों के साथ ढकी हुई निकास नालियां नहीं थी । कंडिका 5.2.11.1 में चर्चा किए गए प्रावधानानुसार वर्षा जल निकासी तंत्र के कवरेज की माप, ढकी हुई नालियों के तंत्र के अभाव में, इस संकेतक के विरुद्ध निष्पादन गणना योग्य नहीं था । इसके बावजूद, देवास नगरपालिक निगम ने 2014-15 के दौरान 70 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की जो गलत थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया गया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगामी कार्रवाई हेतु टीप कर लिया गया था ।

vuq kd k

देवास नगरपालिक निगम को अधिसूचित चार सेवाओं जल आपूर्ति, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी, के लिये सेवा स्तर मानदण्डों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा वितरण में जवाबदेही बेहतर हो सके ।

t ukjns uxjikfyd i f"kn-

जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद्, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के द्वारा शासित होती है । यह अपने सेवा क्षेत्र में नागरिक सेवाएं एवं अधोसंरचना सुविधाएं प्रदान करती है । जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत 18 वार्ड है तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 0.23 लाख है । राज्य सरकार ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान चार मूलभूत नगरीय सेवाओं के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए थे । जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् के सेवा स्तर मानदण्ड के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में उपलब्धियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

5-2-16 ty vki fr l dk, a

जल आपूर्ति सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान उपलब्धियां, जैसा कि राज्य के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी, निम्नानुसार थीं :

rkfydk-5-17: t#ukjnø uxj i kfydk i fj "kn- ea ty vki frl l økvka ds fy; s 2011&12 l s 2014&15 ds fy, l øk Lrj ekun.M

I - Ø-	Lkøk l dard	l øk Lrj ekun.M i fLrdk ds vud kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l øk Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (प्रतिशत)	100	30-50	30-48
2	प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	135	80-100	45-90
3	जल कनेक्शनों की मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)	100	निरंक	निरंक
4	गैर राजस्व जल की सीमा (प्रतिशत)	20	3-60	3-5
5	जल आपूर्ति की निरंतरता (घंटे)	24	60 मिनट	40 मिनट- 6 घंटे
6	आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता (प्रतिशत)	100	90-100	90-100
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (प्रतिशत)	80	80-100	75-100
8	जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत)	100	18-90	22-100
9	जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत)	90	36-90	41-80

(Lkkr %jkt; ljdkj }kjk tkjh jkti= vf/kl pul)

अभिलेखों की समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने राजपत्र में प्रकाशन हेतु राज्य शासन को गलत उपलब्धियां प्रतिवेदित की जैसा नीचे बताया गया :

t#ukjnø  
uxj i kfydk  
i fj "kn- ea 90  
yhVj i fr  
0; fDr i frfnu  
dh vf/kl fpr  
mi yf/k ds  
fo: } ty dh  
vki frl 53  
yhVj  
i fr0; fDr  
i frfnu Fkh A

- कंडिका 5.2.8.2 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने देखा कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक "प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति" के अन्तर्गत जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् की उपलब्धि 2014-15 में 90 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन अधिसूचित की गई । तथापि, अभिलेखों की समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2014-15 के दौरान 0.23 लाख की जनसंख्या के लिये उपचारित जल आपूर्ति 53 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी । इस प्रकार, राजपत्र में आंकड़ें बढ़ाकर प्रतिवेदित किए गए थे ।

- हमने देखा कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् में पारिषण स्तर पर साथ ही उपभोक्ता स्तर पर मीटरिंग की व्यवस्था नहीं थी । कंडिका 5.2.8.4 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार सेवा संकेतक - "गैर राजस्व जल की सीमा" की गणना, जल मीटरिंग व्यवस्था के अभाव में नहीं की जा सकी । तथापि, जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने इस सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के अंतर्गत 3 से 5 प्रतिशत उपलब्धि प्रतिवेदित की ।

- सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक - "जल आपूर्ति की निरंतरता" दबाव सहित की गई जल आपूर्ति प्रतिदिन के औसत घंटों के आधार पर मापी जाना थी । हमने देखा कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने 2014-15 के दौरान इस संकेतक के अंतर्गत उपलब्धि 60 मिनट प्रतिदिन अधिसूचित की थी जबकि इसके सेवा क्षेत्रों में वास्तविक जल आपूर्ति हर दूसरे दिन 45 मिनट थी ।

- सेवा संकेतक - "जल आपूर्ति की गुणवत्ता" की माप उपचार संयंत्र के निकास द्वार एवं उपभोक्ता स्तर, दोनों पर जल नमूनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जानी थी । हमने देखा कि जल गुणवत्ता की जांच कभी नहीं की गई थी । इस प्रकार, राजपत्र में अधिसूचित की गई उपलब्धि (100 प्रतिशत) सही नहीं थी ।

- सेवा स्तर मानदण्ड के संकेतक— उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता, बिना किसी आधार के प्रतिवेदित की गई थी । इसी प्रकार, सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक— जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली, परिचालन लागत की वास्तविक वसूली के आधार पर प्रतिवेदित नहीं की गई थी । इस संकेतक के अंतर्गत 2014-15 के दौरान उपलब्धि 14 प्रतिशत संगणित की गई थी (संचालन व्यय ₹ 0.82 करोड़ के विरुद्ध राजस्व ₹ 0.11 करोड़) जबकि राजपत्र में यह 80 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी ।

इसे इंगित किए जाने पर जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने स्वीकार किया त्रुटिवश गलत डाटा राजपत्र अधिसूचना हेतु प्रदाय किया गया था । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी तथा निर्देश जारी किए जायेंगे ।

### 5-2-17 eyty fudkl h rFkk LoPNrk

मलजल निकास एवं स्वच्छता सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित की गई उपलब्धि निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-18% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku t ukjns uxj i kfydk i fj"kn-eyty fudkl h ,oa LoPNrk ds l ok Lrj ekun.M

(vk dM s i fr'kr e)

I - Ø-	Lkok l dnd	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"z 2011&15 ds nkjku vf/kl i pr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yfL/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	70-100	70-96
2	मलजल तंत्र का कवरेज	100	निरंक	निरंक
3	मलजल तंत्र के संग्रहण की दक्षता	100	निरंक	निरंक
4	मलजल के उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक
5	मलजल के उपचार की गुणवत्ता	100	निरंक	निरंक
6	मलजल के पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा	20	निरंक	निरंक
7	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	90	90
8	मलजल प्रबंधन लागत वसूली की सीमा	100	निरंक	निरंक
9	मलजल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	निरंक	निरंक

vk dM s i fr'kr e; l jdkj }kj k tkjh jkti= vf/kl i pr

t ukjns  
uxj i kfydk  
i fj"kn- us  
eyty fudkl h  
r s ds dojst  
ds fy, dkbz  
y{; fu/ktj r  
ugha fd; k x; k  
Fkk A

हमने देखा कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने मलजल निकासी तंत्र के कवरेज के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था जबकि सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार यह 100 प्रतिशत होना था ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् जैसे छोटे नगरीय निकायों के लिये केन्द्रीयकृत मलजल निकासी व्यवस्था परिकल्पित नहीं की थी ।

तथ्य यह है कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक, मलजल निकासी तंत्र के कवरेज हेतु सेवा स्तर मानदंड पुस्तिका के अनुसार 100 प्रतिशत निर्धारित थी क्योंकि खुली नालियों एवं वर्षा जल नालियों से मलजल के बहाव से जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा करता है ।

5-2-18 Bkd vif'k"V i'ca'ku

जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार थी :

rkydk&5-19% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku t'ukjns uxj kfydk ifj"kn- ea Bkd vif'k"V i'ca'ku ds fy, l ok Lrj ekun.M

(vkdM\$ ifr'kr e)

I - Ø-	Lkok l adrd	l ok Lrj ekun.M i f'Lrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl f'pr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf'k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	40-100	30-90
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण में दक्षता	100	70-100	60-90
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट की पृथक्करण सीमा	100	0-20	निरंक
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट के रिकवर्ड की सीमा	80	निरंक	निरंक
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा	100	निरंक	निरंक
6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	80-100	70-100
7	लागत वसूली सीमा	100	0-10	निरंक
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	निरंक	निरंक

¶Lkr% jkT; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl puk%

हमने देखा कि वर्ष 2014-15 के दौरान 4,844 परिवारों में से 2,880 परिवार (59 प्रतिशत) ही घर-घर कचरा संग्रहण से जुड़े हुए थे । इस प्रकार, घरेलू स्तर पर कवरेज के संदर्भ में अधिसूचित उपलब्धियां (90 प्रतिशत) सही नहीं थी । आगे यह भी देखा कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने उपभोक्ता शिकायतों के नामांकन तथा निवारण के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया था । इसलिए सेवा स्तर मानदण्ड - उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण में दक्षता, के अंतर्गत उपलब्धि को सत्यापित नहीं किया जा सका ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आगामी कार्रवाई के लिये टीप कर लिया गया था ।

5-2-19 o"kl ty fudkl h l ok, a

वर्षा जल निकासी सेवाओं के संदर्भ में, जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी:

rkydk&5-20% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku t'ukjns uxj kfydk ifj"kn- ea o"kl ty fudkl h ds fy, l ok Lrj ekun.M

I - Ø-	Lkok l adrd	l ok Lrj ekun.M i f'Lrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl f'pr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf'k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज (प्रतिशत में)	100	60-100	50-80
2	जल भराव/बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक

¶Lkr% jkT; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl puk%

हमने देखा कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – वर्षा जल निकासी का कवरेज, के अंतर्गत उपलब्धि अनुमानित आधार पर प्रतिवेदित की गई थी क्योंकि सड़क तथा नालियों (ढकी/खुली हुई) की लंबाई को दर्शित करने से संबंधित कोई अभिलेख जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् में उपलब्ध नहीं था ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगामी कार्रवाई हेतु टीप कर लिया गया था ।

**वृद्धि**

जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् को अधिसूचित चार सेवाओं, जल आपूर्ति, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी, के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा वितरण में जवाबदेही बेहतर हो सके ।

### करेली नगरपालिका परिषद् की स्थिति

करेली नगरपालिका परिषद्, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के द्वारा शासित होती है । करेली नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत 15 वार्ड हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 0.30 लाख है । करेली नगरपालिका परिषद् एक सांविधिक संस्था है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना सुविधाएं तथा नगरीय सेवाएं प्रदान करती है । राज्य सरकार ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान चार मूलभूत नगरीय सेवाओं के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए थे । करेली नगरपालिका परिषद् के सेवा स्तर मानदण्ड के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में आगामी कड़िकाओं में चर्चा की गई है ।

### 5-2-20 जल आपूर्ति सेवाओं के संबंध में करेली नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य राजपत्र में अधिसूचित की गई थी निम्नानुसार थी:

जल आपूर्ति सेवाओं के संबंध में करेली नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य राजपत्र में अधिसूचित की गई थी निम्नानुसार थी:

करेली नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य राजपत्र में अधिसूचित की गई थी निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य (प्रतिशत)	2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति	
			2011-12	2014-15
1	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (प्रतिशत)	100	30-50	30-50
2	प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	135	62-150	70-150
3	जल कनेक्शनों की मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)	100	निरंक	निरंक
4	गैर राजस्व जल की सीमा (प्रतिशत)	20	0-45	0-41
5	जल आपूर्ति की निरंतरता (घंटे)	24	4-6	2-4
6	आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता (प्रतिशत)	100	0-20	0-63
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (प्रतिशत)	80	100	100
8	जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत)	100	5-100	7-100
9	जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत)	90	27-100	40-80

संकेतक 5-2-20 जल आपूर्ति सेवाओं के संबंध में करेली नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य राजपत्र में अधिसूचित की गई थी निम्नानुसार थी:

अभिलेखों की समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि करेली नगरपालिका परिषद् ने राजपत्र में प्रकाशन हेतु राज्य शासन को गलत उपलब्धियां प्रतिवेदित की जैसा कि नीचे बताया गया है:

- सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 2.1.2 के अनुसार सेवा संकेतक – प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति से आशय प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति की मात्रा से है। इस संकेतक के अंतर्गत निष्पादन को वितरण तंत्र को आपूर्ति किए गए परिशोधित जल की मात्रा (मीटर द्वारा मापी गई) के डाटा के आधार पर, मापा जाना था। इस संकेतक के लिए सेवा स्तर मानदण्ड 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन था। करेली नगरपालिका परिषद् ने 2014-15 में इस संकेतक के अंतर्गत 150 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति आपूर्ति उपलब्धि अधिसूचित की थी। तथापि, हमने देखा कि करेली में की जा रही जल आपूर्ति की मात्रा का माप नहीं किया गया था क्योंकि उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति सीधे बोरिंग माध्यम से की जा रही थी। इस प्रकार, अधिसूचित उपलब्धि निराधार थी।

- सेवा संकेतक 'जल आपूर्ति की गुणवत्ता' की माप उपचार संयंत्र के निकास द्वार एवं उपभोक्ता स्तर दोनों पर लिए गए जल नमूनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जानी थी। हमने देखा कि जल की गुणवत्ता की जांच कभी नहीं की गई थी। इस प्रकार, वर्ष 2011-12 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित की गई 63 प्रतिशत की उपलब्धि सही नहीं थी।

- सेवा स्तर मानदण्ड के संकेतक उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता, बिना किसी आधार के प्रतिवेदित की गई थी क्योंकि शिकायत निवारण के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सेवा स्तर मानदण्ड के संकेतक – जल आपूर्ति सेवाओं की लागत वसूली वास्तविक वसूली के आधार पर प्रतिवेदित नहीं की गई थी। इस संकेतक के अंतर्गत 2014-15 के दौरान उपलब्धि 20 प्रतिशत (परिचालन व्यय ₹ 0.85 करोड़ के विरुद्ध राजस्व ₹ 0.17 करोड़) संगणित की गई थी परन्तु यह 80 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, करेली नगरपालिका परिषद् ने स्वीकार किया कि राजपत्र में प्रकाशन हेतु त्रुटिवश गलत डाटा प्रेषित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी तथा निर्देश जारी किए जायेंगे।

### 5-2-21 eyty fudkl h , oa LopNrk

मलजल निकास एवं स्वच्छता सेवाओं के संदर्भ में करेली नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-22% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku djsyh uxjikydyk ifj"kn-ea eyty fudkl h , oa LopNrk ds fy, l ok Lrj ekun.M

(vkadM\$ ifr'kr e)

I - Ø-	Lkok l drd	l ok Lrj ekun.M ifLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	78-100	50-100
2	मलजल तंत्र का कवरेज	100	निरंक	निरंक
3	मलजल तंत्र की संग्रहण दक्षता	100	निरंक	निरंक
4	मलजल के उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक

djsyh  
uxjikydyk  
ifj"kn-us  
Lohdkj fd;k  
fd jkti = ea  
ixdk'ku gsrq  
xyr MkVk  
=fVo'k if'kr  
fd;k x; k Fkk A



I - Ø-	Lkok l dard	I øk Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr I øk Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
5	मलजल के उपचार की गुणवत्ता	100	निरंक	निरंक
6	अनुपयोगी जल के पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा	20	निरंक	निरंक
7	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	निरंक	निरंक
8	मलजल प्रबंधन में लागत वसूली सीमा	100	निरंक	निरंक
9	मलजल सम्बंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	निरंक	निरंक

॥Lkr% jkT; I jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl ipuk%

हमने देखा कि 2014-15 के दौरान करेली नगरपालिका सेवा क्षेत्र में 17 प्रतिशत संपत्तियां (6,454 में से 1,040) व्यक्तिगत या सामुदायिक शौचालयों की पहुंच के बिना थीं। इस प्रकार शौचालयों के कवरेज के अंतर्गत उपलब्धि (100 प्रतिशत) वास्तविक आधार पर नहीं थी। आगे हमने देखा कि करेली नगरपालिका परिषद् ने मलजल निकासी तंत्र के कवरेज हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था जबकि सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार यह 100 प्रतिशत होना चाहिए था।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि करेली जैसे छोटे नगरीय निकायों के लिये केन्द्रीयकृत मलजल निकासी व्यवस्था परिकल्पित नहीं की गई थी।

तथ्य यह है कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक - मलजल निकासी तंत्र के कवरेज हेतु सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका में 100 प्रतिशत निर्धारित थी क्योंकि खुली नालियों एवं वर्षा जल नालियों से मलजल के बहाव से जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा करता है।

#### 5-2-22 Bkl vif'k"V izaku

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में, करेली नगरपालिका परिषद् के 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

Rkfydk&5-23% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku djsyh uxj i kfydk i fj "kn- ds Bkl vif'k"V izaku ds fy, I øk Lrj ekun.M

(vkadM\$ i fr'kr e\$)

I - Ø-	Lkok l dard	I øk Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr I øk Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	15-100	30-100
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण में दक्षता	100	80-100	80-100
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट की पृथक्करण सीमा	100	5-25	0-25
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट के रिकवर्ड की सीमा	80	5-25	0-15
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा	100	5-25	10-25
6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	0-100	0-100
7	लागत वसूली सीमा	100	0-5	0-2.5
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	0-20	निरंक

॥Lkr% jkT; I jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl ipuk%



हमने देखा कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण के विरुद्ध 2013-14 के दौरान अधिसूचित 25 प्रतिशत तक की उपलब्धि अवास्तविक थी क्योंकि करेली नगरपालिका परिषद् में नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। परिणामस्वरूप, सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – नगरीय ठोस अपशिष्ट के रिकवर्ड की सीमा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा के विरुद्ध, अधिसूचित उपलब्धियां निराधार थीं।

हमने यह भी देखा कि करेली नगरपालिका परिषद् ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के नामांकन तथा निवारण हेतु कोई अभिलेख संधारित नहीं किया। इसलिए सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता के अंतर्गत उपलब्धि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया गया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगामी कार्रवाई हेतु टीप कर लिया गया।

### 5-2-23 o"kkz ty fudkl h l ok, a

वर्षा जल निकासी सेवाओं के संदर्भ में करेली नगरपालिका परिषद् के 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-24% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku djsyh uxj kfydk ifj "kn- ds o"kkz ty fudkl h ds fy, l ok Lrj ekun.M

I - Ø-	Lkok l dard	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kkz 2011&15 ds nkjku vf/kl fipr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yfL/k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज (प्रतिशत में)	100	60-100	25-83.5
2	जल भराव/बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक

¶Lkr% jkT; l jdkj }kjk tkjh jkti= vf/kl puk%

हमने देखा कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक— वर्षा जल निकासी का कवरेज के अंतर्गत 2014-15 के दौरान राजपत्र में 80 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी। तथापि, हमने देखा कि करेली नगरपालिका परिषद् में सड़कों तथा नालियों (बंद/खुली) की लंबाई दर्शित करने से संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किए गए। इन अभिलेखों के अभाव में अधिसूचित उपलब्धि सत्यापित नहीं की जा सकी।

### vuq kd k

करेली नगरपालिका परिषद् द्वारा चार अधिसूचित सेवाओं, जल आपूर्ति, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी के लिये सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा प्रदायगी में जवाबदेही बेहतर हो सके।

### 5-2-24 l ok Lrj ekun.M dk vuqph{k.k , oa ew; kdu

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 1.3 के अनुसार, राज्य सरकार को नीति, संसाधन के आवंटन, प्रोत्साहन एवं दण्ड देने तथा तकनीकी एवं मानवशक्ति सहयोग को चरणबद्ध करने के लिए निर्णय हेतु इनपुट से संबंधित सेवा स्तर मानदण्ड के आवधिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने राज्य स्तर पर सेवा स्तर मानदण्डों के परिचय एवं निरन्तर अनुवीक्षण में सहयोग के लिए, सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ के गठन का सुझाव दिया था (जनवरी 2014)। राज्य के सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ के क्रियाकलाप में, वार्षिक निष्पादन आकलन के लिए ऑनलाईन

पद्धति स्थापित करना, निष्पादन सुधार आयोजना हेतु टूल्स, लक्ष्य निर्धारण एवं विभिन्न सुधारात्मक विषयों से संबंधित अच्छी परिपाटी का प्रदर्शन, करना सम्मिलित था ।

हमने देखा कि नगरीय स्थानीय निकायों से सेवा स्तर मानदण्ड आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सत्यापन के लिए राज्य स्तर पर सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ गठित हुआ था (फरवरी 2012) । तथापि, सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ, सौंपे गये कार्य, जैसे वार्षिक निष्पादन आकलन के लिए ऑनलाईन पद्धति का विकास करना, निष्पादन सुधार आयोजना हेतु टूल्स लक्ष्य निर्धारण एवं विभिन्न सुधारात्मक विषयों से संबंधित अच्छी परिपाटी का प्रदर्शन करना, पूरा नहीं कर सका ।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने सूचित किया (मार्च 2015) कि सम्भागीय कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्रियों को, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सूचित सेवा स्तर मानदण्ड एवं उपलब्धियों का, मूल्यांकन करने हेतु निर्देशित किया गया । तथापि, सम्भागीय कार्यालय के कार्यपालन यंत्रियों ने सूचित किया (मई 2015 एवं जुलाई 2015) कि उन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए । इस प्रकार, नगरीय स्थानीय निकायों के सेवा स्तर मानदण्डों की जांच, सत्यापन, तुलना एवं मूल्यांकन सम्भागीय स्तर पर नहीं किया गया ।

आगे, जैसा कि कंडिका 5.2.6 में चर्चा की गई थी, विभागीय स्तर पर प्रतिवेदित निष्पादन संकेतकों का नगरीय स्थानीय निकायों के प्रबन्धकीय स्तर (महापौर/आयुक्त) पर कभी भी समीक्षा नहीं की गई यद्यपि सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका में इसका उल्लेख था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया गया कि अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा ।

### व्युत्पत्ति

सेवा स्तर मानदण्डों के लक्ष्य के स्तरों की प्राप्ति के लिये राज्य स्तर पर तथा नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर सेवा स्तर मानदण्ड आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सत्यापन का पर्याप्त अनुवीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

### 5-2-25 अनुवीक्षण प्रणाली, सेवा व्युत्पत्ति, अ

- नमूना जांच किए गए चार नगरीय स्थानीय निकायों ने 2010-11 एवं 2014-15 के मध्य चार मूलभूत नगरीय सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी की प्रदायगी पर ₹ 473.16 करोड़ व्यय किया । इसके अतिरिक्त, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन एवं छोटे एवं मझौले शहरों के लिए अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चार परियोजनाओं पर मार्च 2015 तक, ₹ 682.67 करोड़ व्यय किए गए । संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद मूलभूत सेवाओं के सुधार हेतु तीन अन्य परियोजनाएं प्रारम्भ नहीं हुई थी । चालू परियोजनाओं के अपूर्ण रहने के फलस्वरूप, इन नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता, अधिसूचित मानदण्डों के अनुरूप नहीं थी ।
- सेवा स्तर मानदण्ड संकेतकों के आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु संस्थागत प्रणाली का अभाव था, जो कि प्रबन्धन के लिए, मूलभूत सेवाओं के प्रदाय में सुधार करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई योजना बनाने के लिए आवश्यक था । वास्तविक आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में, राज्य राजपत्र में सेवा स्तर

मानदण्ड संकेतकों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां अनुमान आधार पर अधिसूचित किए गए ।

Vuq kI k% नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन प्रबन्धन हेतु मैदानी स्तर से वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक प्रणाली संस्थापित करना चाहिए । रहवासियों के मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने एवं सेवा स्तर मानदण्ड लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए ।

- सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त थे । सेवा स्तर मानदण्ड हेतु अधिसूचित 114 नगरीय स्थानीय निकायों में से 68 नगरीय स्थानीय निकायों के 136 अधिकारियों को 2014-15 के दौरान आयोजित एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया गया था । आगे, नामित 136 अधिकारियों में से केवल 70 अधिकारी (51 प्रतिशत) प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस प्रकार, समस्त अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों के अमले को सेवा स्तर मानदण्ड के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सका जिससे कि वे निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली में अपनी भूमिका निभाने के योग्य हो सके ।

Vuq kI k% समस्त स्तर पर राज्य सरकार को क्षमता निर्माण हेतु सेवा स्तर मानदण्ड पर पर्याप्त प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि अमले सक्षम बनाकर समग्र निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली में वह अपनी सम्बंधित भूमिका निभा सके ।

- चार सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी में सेवा स्तर मानदण्ड का कार्यान्वयन, सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड स्तर के अनुरूप सुनिश्चित नहीं किया गया । आगे, बहुत से मामलों में अधिसूचित उपलब्धियां सही नहीं पाई गई थी ।

Vuq kI k% नगरीय स्थानीय निकायों को चार अधिसूचित सेवाओं जल आपूर्ति, मलजल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा वितरण में जवाबदेही बेहतर हो सके ।

- नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त सेवा स्तर मानदण्ड आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सत्यापन हेतु राज्य स्तर पर गठित सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ ने एकत्रित आंकड़ों का अनुवीक्षण नहीं किया । आगे सेवा स्तर मानदण्ड संकेतकों की उपलब्धियों की समीक्षा नगरीय स्थानीय निकायों के महापौर/आयुक्त द्वारा नहीं की गई थी यद्यपि यह सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका में वर्णित था ।

Vuq kI k% सेवा स्तर मानदण्डों के लक्ष्य के स्तरों की प्राप्ति के लिये, राज्य स्तर तथा नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर सेवा स्तर मानदण्ड आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सत्यापन का पर्याप्त अनुवीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

**अध्याय – छह**  
**लेनदेन लेखापरीक्षा**

v/; k; Ng % yunsu ys[kki jh{kk

uxjh; fodkl , oa i ; kbj .k foHkkx

6-1 fu; eka vkj fofu; eka dk vuq kyu u fd; k tkuk

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप हो । इससे न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में भी सहायता मिलती है । नियमों और विनियमों का अनुपालन न होने पर प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

6-1-1 epkd 'ky'd dk de vkjki .k

epkd 'ky'd vkj iath; u 'ky'd de vkjki r djus ds dkj .k 'kl u jkf'k ₹ 34.04 yk[k ds jktLo l sofpr jgk A

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17(द) के अनुसार, पट्टा विलेख जिनके पट्टे की अवधि एक वर्ष से अधिक है को अनिवार्यतः पंजीकृत कराना आवश्यक है । भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(ए) की धारा 33 के अर्न्तगत प्रीमियम की आठ प्रतिशत<sup>1</sup> और आरक्षित वार्षिक किराया की चार प्रतिशत<sup>2</sup> राशि मुद्रांक शुल्क के रूप में आरोपित की जानी थी । आगे ऐसे दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई (75 प्रतिशत) आरोपित होगा । इसके अतिरिक्त, भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अनुसार जन कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि ऐसे प्रकरण जो अनुचित रूप से मुद्रांकित हैं, उनमें वसूली की कार्रवाई की जाए और विधिवत मुद्रांकित कराने की कार्रवाई प्रारम्भ की जाए ।

कार्यालय मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगर परिषद, सनावद, जिला खरगौन के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया (दिसम्बर 2014) कि अप्रैल 1997 और फरवरी 2008 के मध्य 240 दुकानों को 3 वर्ष और आगे अवधि के विस्तार के प्रावधानों के साथ निजी व्यक्तियों को नीलाम और आवंटित की गई । आवंटन, प्रीमियम के साथ निश्चित किराया, जो समय-समय पर पुनरीक्षण योग्य था, के आधार पर किए गए थे । इस आवंटन का प्रत्येक पट्टा विलेख नगरपालिका द्वारा ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया । आगे, पट्टा विलेखों की जांच में पाया गया कि यद्यपि नगर परिषद द्वारा प्रीमियम राशि एकत्रित की गई थी परन्तु पट्टा विलेखों में यह उल्लेखित नहीं की गई थी । अतः उप पंजीयक द्वारा प्रीमियम पर मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क ₹ 19.35 लाख और पंजीयन शुल्क ₹ 14.69 लाख की कम वसूली हुई ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में, शासन द्वारा बताया गया कि पट्टा विलेखों को पंजीकृत करवाने के लिए दुकानदारों को सूचना जारी की जा चुकी थी । शासन ने यह भी आश्वासन दिया कि सभी नगर परिषदों को ऐसे प्रकरणों को पंजीयन विभाग को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे ।

तथ्य यह है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, सनावद द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम और पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में हुई असफलता एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क को कम आरोपण के कारण शासन को राशि ₹ 34.04 लाख के राजस्व से वंचित रहना पड़ा ।

6-1-2 tkf[ke vkj ykxr mi fu; e ds v/khu vrfjDr ykxr dh ol iyh u gkuk

uxj i fj "ln] dkuM+ }kj k dk; Z ds i u% vkol/ u djus l s jkf'k ₹ 7.68 yk[k vrfjDr 0; ; fd; k x; k tk tkf[ke , oa ykxr mi fu; e ds v/khu i ol Bdnkj l sol iyh ugha fd; k x; k A

नगर परिषद, कानड, जिला आगर द्वारा वार्ड क्रमांक 15 (रज्जाक खान से माता जी मंदिर) की सीमेंट कंक्रीट सड़क का कार्य अनुसूची दर 1999 की दर से 48.90 प्रतिशत अधिक पर ठेकेदार को प्रदाय किया गया (नवम्बर 2010) । कार्य स्वर्ण जयंती शहरी

1 1 अप्रैल 2008 से 7.5 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2011 से 5 प्रतिशत दरें पुनरीक्षित कर दी गई  
2 अधिसूचना क्र.(19)बी.4.21.2004. सी.टी.वी. दिनांक 06.09.2004 के द्वारा दर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किया गया ।

रोजगार योजना के अंतर्गत ₹ 9.80 लाख की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया था (अक्टूबर 2009)। कार्य आदेश ठेकेदार को कार्य तीन महीने में पूर्ण किए जाने की शर्त के साथ दिसम्बर 2010 में जारी किया गया था।

निविदा दस्तावेजों की शर्त 3(सी), जो नगर परिषद और ठेकेदार के मध्य निष्पादित अनुबंध का हिस्सा था, के अनुसार कार्य परित्याग की स्थिति में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपूर्ण कार्य पूर्ण कराने हेतु अन्य ठेकेदार को प्रदाय कर सकेगा और कोई अतिरिक्त व्यय को मूल ठेकेदार द्वारा वहन करना होगा एवं देय होगा और उसको बकाया प्रदाय की जाने वाली राशि से वसूल किया जाएगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, कानड़ के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया (जनवरी 2015) कि ठेकेदार द्वारा सड़क की खुदाई के बाद कार्य रोक दिया गया था। अतः ठेकेदार को एक नोटिस जारी करते हुए (मार्च 2011) 24 घंटे के अंदर कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कहा गया, जिसमें असफल होने पर कार्य आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और हानि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। तत्पश्चात् संविदा निरस्त कर दिया गया था और मार्च 2011 में निविदा आमंत्रण सूचनाएं पुनः जारी की गईं। बाद में, संविदा अनुसूची दर से 95 प्रतिशत अधिक दर पर अन्य ठेकेदार को प्रदाय किया गया (अप्रैल 2011) और ठेकेदार को राशि ₹ 22.27 लाख का अंतिम भुगतान किया गया (सितम्बर 2014)।

चूंकि दूसरी निविदा पूर्व ठेकेदार के जोखिम और लागत पर निष्पादित की गई थी, मूल निविदा की शर्त 3(सी) के अनुसार पूर्व ठेकेदार से अतिरिक्त व्यय ₹ 7.68 लाख<sup>3</sup> की वसूली की जानी थी। तथापि, यह नगर परिषद, कानड़ द्वारा वसूल नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन द्वारा बताया गया कि सितम्बर 2015 में ठेकेदार को ₹ 7.68 लाख 7 दिनों के अन्दर जमा करने की सूचना जारी कर दी गई थी अन्यथा जोखिम एवं लागत राशि वसूली की कार्रवाई राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रारम्भ की जाएगी।

तथ्य यह है कि चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी पूर्व ठेकेदार से कार्य के पुनः प्रदाय किये जाने के कारण अतिरिक्त व्यय राशि ₹ 7.68 लाख की वसूली नहीं की गई थी।

6-2 विकल्प; दस्तावेज 0; ;

लोक निधियों से प्राधिकृत व्यय लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता लागू करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययता लागू करना चाहिए। बिना औचित्य के व्यय पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है :

6-2-1 विकल्प; दस्तावेज 0; ;

खोफ्य; j uxjlkfyd fuxe jkjk xj ?kjsy miHkDrkva grq। विकल्प; j ikuh ds etVjka ij jk'k ₹24.46 yk[k dk 0; ; fd;k x;k tks fujRkd jgk D; kfd खोफ्य; j uxjlkfyd fuxe us। विकल्प; j fd, x, ikuh ds etVjka entz [kir ds vk/kj ij iHkj yxkus ds LFku ij ty [kir ds fcy fuHkjr iHkj ds vk/kj ij r\$ kj djuk tkjh j [kk A

ग्वालियर नगरपालिक निगम ने जल की वास्तविक खपत के आधार पर गैर घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक देयक तैयार करने के उद्देश्य से 1,088 पानी के मीटरों की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और काम में लाने हेतु एक निविदा आमंत्रित की थी (नवम्बर 2006)। सफल बोलीदाता फर्म और ग्वालियर नगरपालिक निगम के मध्य ₹42.64 लाख मूल्य का एक अनुबंध निष्पादित किया गया (मार्च 2007)। पानी के मीटरों की आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण और काम में लाए जाने का ठेका अनुबंध हस्ताक्षर की दिनांक से एक साल के भीतर पूर्ण किया जाना था। ग्वालियर नगरपालिक निगम ने मीटर बॉक्स की कीमत में कमी के कारण परियोजना की लागत ₹ 35.47 लाख

<sup>3</sup> ₹ 22,27,056 (अंतिम भुगतान) – ₹ 14,59,220 (9.80 लाखX48.90 प्रतिशत) = ₹ 7,67,836


पुनरीक्षित की (जुलाई 2009) तथा कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि भी जुलाई 2010 पुनरीक्षित की । 'मध्य प्रदेश में नगरीय जल आपूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना' जिसके अन्तर्गत सभी गैर घरेलू एवं औद्योगिक वाटर कनेक्शनों में 2009 तक मीटर लगाए जाने थे, के लिए होने वाले व्यय का वहन एशियन विकास बैंक के ऋण से किया जाना था ।

ग्वालियर नगरपालिक निगम के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2014) कि फर्म द्वारा दिसम्बर 2010 तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं के पानी पाइपलाइन पर 943 पानी के मीटर संस्थापित किए गए थे । शेष 145 पानी के मीटर की संस्थापना नहीं की गयी जबकि फर्म द्वारा संस्थापित किए गए 943 पानी के मीटरों का परीक्षण और उपयोग में लाये जाने का कार्य नहीं किया गया । तथापि, ग्वालियर नगरपालिक निगम ने पानी के मीटरों के परीक्षण/उपयोग में लाये बिना, ही ठेकेदार को ₹ 24.46 लाख का अंतिम भुगतान कर दिया (दिसम्बर 2012) ।

हमने आगे पाया (अप्रैल 2015) कि नगरपालिक निगम द्वारा जल की वास्तविक खपत के आधार पर जल प्रभार की वसूली का प्रस्ताव पारित किया गया (जनवरी 2011) । तथापि, ग्वालियर नगरपालिक निगम द्वारा संस्थापित किए गए पानी के मीटरों में दर्ज खपत के आधार पर प्रभार लगाने के स्थान पर जल खपत के बिल निर्धारित प्रभार के आधार पर तैयार करना जारी रखा । इस प्रकार, पानी के मीटरों की संस्थापना पर किया गया व्यय ₹ 24.46 लाख निरर्थक रहा ।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2015) में शासन द्वारा बताया गया कि संस्थापित मीटरों को क्रियाशील रखने और बिलों को वास्तविक जल खपत के आधार पर तैयार किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय यंत्रियों को आदेश जारी किए जा चुके थे ।

तथ्य यह है कि पानी के मीटरों की अधिप्राप्ति और संस्थापना पर व्यय किए गए ₹ 24.46 लाख निरर्थक रहे क्योंकि जल प्रभार का आरोपण पानी के मीटरों में दर्ज की गई वास्तविक खपत के आधार पर नहीं था ।



1/1 kJ Hk dekj efYyd½

egkys[kkdkj


(l kekl; , oa l kekftd {ks= ys[kki jh{kk)

e/; i n's k

Xokfy; j

fnukad 13 ekpl 2016

i frgLrk{kfj r



ubz fnYyh

fnukad 14 ekpl 2016

(' kf' k dkUr 'kekj)

Hkkj r ds fu; a=d&egkys[kki jh{k d

परिशिष्ट



## i jf'k"V 1-1

1/1 nHk% dMdk 1-3] i "B 3½

jkt; I jdkj }kjk i pk; r jkt I LFkkvka dks dk; ka ds gLkrarj . k

I - Ø-	dk; l dk uke
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है
2	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3	लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल-आच्छादन विकास
4	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट-पालन
5	मत्स्य पालन
6	सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग
7	लघु वन उत्पादन
8	लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
10	ग्रामीण आवास
11	पेयजल
12	ईंधन और चारा
13	सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14	ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है
15	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20	पुस्तकालय
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22	बाजार और मेले
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं
24	परिवार कल्याण
25	स्त्री और बाल विकास
26	समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप में मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है
27	कमजोर वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29	सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण

ifjfk"V 1-2

1/1 nHk% dMdk 1-8-1] i "B 6½

2014&15 ds nkjku ueuk tkp dh xbl ipk; r jkt l fFkkvka dh l iph

ftyk ipk; ra					
1	अनूपपुर	2	बड़वानी	3	बैतूल
4	भोपाल	5	बुरहानपुर	6	छतरपुर
7	छिंदवाडा	8	दमोह	9	दतिया
10	देवास	11	डिण्डोरी	12	ग्वालियर
13	होशंगाबाद	14	इन्दौर	15	झाबुआ
16	कटनी	17	खण्डवा	18	खरगौन
19	मण्डला	20	मन्दसौर	21	नरसिंहपुर
22	पन्ना	23	रायसेन	24	राजगढ़
25	रतलाम	26	रीवा	27	सागर
28	सतना	29	सिहोर	30	सिवनी
31	शहडोल	32	शाजापुर	33	शिवपुरी
34	विदिशा	35	उज्जैन		
tuin ipk; ra					
1	आलोट	2	आरोन	3	आष्टा
4	अमरपुर	5	अमरवाड़ा	6	अनूपपुर
7	व्यौहारी	8	बावई	9	बाड़ी
10	बड़नगर	11	बदनावर	12	बड़ोद
13	बड़वाह	14	बड़वानी	15	बहोरीबंद
16	बालाघाट	17	बल्देवगढ़	18	बटियागढ़
19	बीना	20	भितरवार	21	विजयपुर
22	बुधनी	23	बुरहानपुर	24	चंदेरी
25	चावरपाठा	26	छपारा	27	छिंदवाड़ा
28	चिचोली	29	चितरंगी	30	डही
31	दमोह	32	दतिया	33	देवास
34	धार	35	धरमपुरी	36	फंदा
37	गंधवानी	38	गंजबासोदा	39	घटिया
40	गोटेगांव	41	हनुमना	42	हरसूद
43	इच्छावर	44	इंदौर	45	जवां
46	कालापीपल	47	कराहल	48	खाचरौद
49	खालवा	50	खंडवा	51	खनियाधाना
52	खिरकिया	53	कोलारस	54	कोतमा
55	लहार	56	लटेरी	57	लांजी
58	महेश्वर	59	महिदपुर	60	मालथौन
61	मनावर	62	मवई	63	मेहदवानी
64	महू	65	मोहगांव	66	मुंगावली
67	मुल्ताई	68	नागौद	69	नालछा
70	नसरुल्लागंज	71	नौगांव	72	निवाली
73	निवास	74	पंधाना	75	राहतगढ़
76	रामपुर बघेलान	77	रौन	78	सारंगपुर
79	सरदारपुर	80	सतना	81	शाहनगर
82	शाहपुरा	83	शहपुरा	84	सीधी

85	सिरमौर	86	सीतामउ	87	सिवनी मालवा
88	सोहागपुर	89	टोंकखुर्द	90	उज्जैन
91	उमरवन	92	विजयराघौगढ़		
ग्राम पंचायतें					
1	आजमबाद	2	अनवारी	3	आरोन
4	आवला	5	अड़गांव	6	अधियाटोला
7	अरै	8	अमरहार	9	अंतरसुखा
10	आंवलाझिरी	11	अराह	12	अतरहाई
13	बावरियाचौर	14	बावड़िया नौआबाद	15	बदरियाहाट
16	बडेरा	17	बगसपुर	18	बाकानेर
19	बलकुआं	20	बलरामपुर	21	बमहनी
22	बमनौरा	23	बन्देरा	24	बंधा
25	बनसिंग	26	बरदाबरखेड़ी	27	बरखेड़ा (नाथू)
28	बरखेड़ा कुर्मी	29	बरखेड़ाजमाल	30	बरसिहा
31	बटिया	32	बटुआ	33	बेसरा
34	बगौदा	35	भैसवाही	36	भानपुर
37	भानपुर (केलाडिया)	38	भेसमगढ़	39	बीजादेवरी
40	बिजारा	41	बिलडा	42	बिलहाटा
43	बिनपुरा	44	बिसलखेड़ी	45	बकवाह
46	बोधांव	47	बोलखेड़ानाउ	48	चंदेरी
49	चमरुमारिया	50	चटली	51	चतरी
52	चुधिया	53	चौरई	54	चांवरपाठा
55	छाना	56	छपरतला	57	छिंदी
58	डमुलियारामाल	59	दरियावपुर	60	दत्तिगरा
61	देवलगांव	62	देवरा-2	63	देवलियार
64	ढाबागोतमान	65	धावलमाता	66	ढावलारई
67	धमनदा	68	धमनिया	69	धनसुआ
70	धरमकुड़ी	71	धारूखेड़ी	72	धसरवाड़ा
73	धासनारई	74	ढेकना	75	ढोलकोठार
76	दिवरिया	77	डोडाकुई	78	डोकरघाट
79	डोगरखेड़	80	दुदरा	81	इंटखेड़ा
82	फफूद	83	फोफवार	84	गैरतलाई
85	गरदावाड	86	घिनौदा	87	घुराटा
88	घुरसल	89	गोगल्याखेड़ी	90	गुडला
91	गुडमेटियागार	92	गुराडियासंगा	93	हदलायखुर्द
94	हरेभा	95	हिदोरा	96	इंडोख
97	जगनुपरा	98	जैनाबाद	99	जामडोली
100	जमुनिया	101	जंगलिया	102	जावैध
103	जावरीकलां	104	झाकलायबम	105	झलकी
106	झनजोरा	107	झिरी	108	जिखारा
109	कादीपुर	110	कडराना	111	कालापपीपल
112	कलवानी	113	कामलायखेड़ी	114	कम्पेल
115	कंछीखेड़ी	116	कचनारिया	117	कांदिया
118	कानडगांव	119	करनालिया	120	करवाही
121	काटरखेड़ा	122	कटहाई	123	कटकुही
124	केली	125	खाचरौद	126	खडेरी
127	खजरी	128	खजुरियालहाड	129	खजुरियाघेंधी
130	खालवा	131	खमरिया	132	खमरिया (खामखेड़ा)
133	खमरिया	134	खामखेड़ा	135	खामला

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

136	खामलाय	137	खरार	138	खरौन
139	खारदौनखुर्द	140	खारीला	141	खरखेरी
142	खटवासा	143	खेदामदा	144	खेरी
145	खुलगांव	146	खुरमुचा	147	किवलहारा
148	कोहारिया	149	कुहिया	150	कुलथाना
151	कुरभारा	152	लाडसा	153	लालखेडी
154	लसूडियागलालक	155	लोंदागोडी	156	लुनहरा बुजुर्ग
157	महूदिया	158	मकारला	159	मालनिया
160	माल्या	161	मवई	162	मेधा
163	मिसिरगवा	164	मोहनपुर	165	मोहली भारत
166	मुनु	167	मुरादपुर	168	नादनी
169	नामली	170	नयानगर	171	निम्बोडियाखुर्द
172	निम्बोला	173	निपानियालिला	174	निशानियामाल
175	पहाडी	176	पखवार	177	परखुडी-2
178	परमान्दल	179	पथरिया	180	पायकुंदा
181	पिछौरी	182	पिढायबुजुर्ग	183	पिपलियापीठा
184	पिपल्याघाटा	185	पुरेना	186	राहा
187	राई	188	राजदाहा	189	रजगांव
190	राजगांव	191	रामदी	192	रंगवासा
193	रसुआ नं. 2	194	रौन	195	रेंगुवा
196	रेवन्जा	197	रोहनिया	198	रमपुरा
199	रूस्तमपुरा	200	सगोरिया	201	समन्ना
202	समेरामटिया	203	सांगवी	204	सारसडोली
205	सर्रा	206	सेहराई	207	सेमझिरी
208	शहरखेड़ा	209	श्यामपुरा	210	सिंघाड़ा
211	सिरमोदा	212	सुदौर	213	तलेगी
214	तलवाड़ा बुजुर्ग	215	थानमगांव	216	तिघट
217	टिगरिया	218	तिसभाव	219	टोंकारा
220	तरनौद	221	टुडा	222	तुराकगुरादा
223	उमरी	224	वलवानी	225	वंदीखुर्द
226	वरमबावा	227	वेरिहापूर्ण	228	विक्रमपुर
229	विटेरन				

## i f j f ' k " V 1-3

1/1 n H k % d f M d k 1-9] i " B 8 1/2

i p k ; r j k t l l F k k v k a e a c d l e k / k k u i = d r \$ k j u g h a d j u k

( ₹ y k [ k e )

I - Ø-	bdkb/ dk uke	31-3-2014 dks cfd ikl cpl ds vuq kj 'ksk	31-3-2014 dks jksdMegh ds vuq kj 'ksk	vrj] tgka cfd 'ksk jksdMegh l s vf/kd %\$½ g\$	vrj] tgka cfd 'ksk jksdMegh l s de %&½ g\$
1	जिला पंचायत डिण्डोरी	153.15	123.37	29.78	—
		1022.80	1066.32	—	-43.52
2	जिला पंचायत खरगौन	68.93	1906.89	—	-1837.96
		274.42	194.47	79.95	—
3	जिला पंचायत पन्ना	1000.73	995.84	4.89	—
4	जिला पंचायत राजगढ़	1616.06	8159.35	—	-6543.29
5	जिला पंचायत दमोह	3253.88	2704.06	549.82	—
		472.29	667.65	—	-195.36
6	जनपद पंचायत अमरपुर	106.99	186.64	—	-79.65
		168.92	150.71	18.21	—
7	जनपद पंचायत मेहदवानी	12.42	4.07	8.35	—
8	जनपद पंचायत आरोन	0.88	2.13	—	-1.25
		209.37	121.07	88.30	—
9	जनपद पंचायत रामपुर बघेलान	293.72	125.42	168.30	—
		8.68	10.49	—	-1.81
10	जनपद पंचायत विजयराघवगढ़	72.99	77.14	—	-4.15
11	जनपद पंचायत आष्टा	135.45	106.63	28.82	—
		30.35	30.52	—	-0.17
12	जनपद पंचायत नौगांव	259.84	249.12	10.72	—
13	जनपद पंचायत लांजी	450.35	380.97	69.38	—
14	जनपद पंचायत देवास	145.48	124.73	20.75	—
		137.51	232.44	—	-94.93
15	जनपद पंचायत टोंकखुर्द	49.54	41.30	8.24	—
		16.49	17.00	—	-0.51
16	जनपद पंचायत उज्जैन	37.02	26.67	10.35	—
17	जनपद पंचायत बड़नगर	12.16	28.90	—	-16.74
		84.80	61.87	22.93	—
18	जनपद पंचायत अनुपपुर	119.33	112.02	7.31	—
19	जनपद पंचायत अमरवाड़ा	343.66	416.93	—	-73.27
20	जनपद पंचायत खण्डवा	17.74	17.94	—	-0.20
21	जनपद पंचायत बाबई	23.91	21.71	2.20	—
		3.08	3.25	—	-0.17
22	जनपद पंचायत ब्यौहारी	42.52	23.08	19.44	—
23	जनपद पंचायत धरमपुरी	72.02	63.22	8.80	—

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

I - Ø-	bdkbl dk uke	31-3-2014 dks cfd ikl cpl ds vuq kj 'ks'k	31-3-2014 dks jksdMegh ds vuq kj 'ks'k	vrj] tgka cfd 'ks'k jksdMegh l s vf/kd %\$½ gS	vrj] tgka cfd 'ks'k jksdMegh l s de %&½ gS
24	जनपद पंचायत बाड़ी	323.73	301.37	22.36	—
25	जनपद पंचायत राहतगढ़	176.28	121.63	54.65	—
26	जनपद पंचायत सीधी	288.76	307.02	—	-18.26
		300.14	225.50	74.64	—
27	जनपद पंचायत सतना	265.23	248.02	17.21	—
28	जनपद पंचायत हनुमना	257.29	300.96	—	-43.67
		215.98	119.57	96.41	—
29	जनपद पंचायत खालवा	710.98	508.79	202.19	—
30	जनपद पंचायत शाहनगर	354.36	319.65	34.71	—
31	जनपद पंचायत कराहल	37.63	39.39	—	-1.76
		82.59	73.60	8.99	—
32	जनपद पंचायत इन्दौर	247.96	164.07	83.89	—
		1.50	2.25	—	-0.75
33	जनपद पंचायत बल्देवगढ़	271.10	334.30	—	-63.20
		36.56	36.53	0.03	—
34	जनपद पंचायत सिवनी मालवा	24.55	43.34	—	-18.79
35	ग्राम पंचायत जावैधा	5.32	5.18	0.14	—
36	ग्राम पंचायत खाननगांव	26.26	31.26	—	-5.00
37	ग्राम पंचायत बम्हनी	1.16	1.14	0.02	—
38	ग्राम पंचायत जंगलिया	0.40	0.30	0.10	—
39	ग्राम पंचायत मेढी	14.23	13.81	0.42	—
40	ग्राम पंचायत निपानिया लीला	2.18	0.0007	2.17	—
41	ग्राम पंचायत करनालिया	7.11	6.00	1.11	—
42	ग्राम पंचायत देवली	1.38	1.51	—	-0.13
43	ग्राम पंचायत बरदा बरखेड़ी	17.79	17.80	—	-0.01
44	ग्राम पंचायत खामलाय	0.02	0.03	—	-0.01
	; ksx	14387-97	21676-94	1755-58	&9044-56

## i f j f ' k " V 1-4

1/1 nHk% dMdk 1-10] i "B 8%

vI ek; kf'tr vLFkbbZ vfxæka dk fooj . k

(₹ yk[k e)

I - Ø-	bdkbZ dk uke	31-3-2014 dks vI ek; kf'tr vfxæ jkf'k
1	जिला पंचायत विदिशा	7.11
2	जिला पंचायत दतिया	0.10
3	जिला पंचायत बेतूल	0.80
4	जिला पंचायत ग्वालियर	4.48
5	जिला पंचायत कटनी	0.58
6	जिला पंचायत बुरहानपुर	5.30
7	जिला पंचायत झाबुआ	16.72
8	जिला पंचायत खरगौन	3.39
9	जिला पंचायत नरसिंहपुर	43.04
10	जिला पंचायत मण्डला	1.73
11	जिला पंचायत शाजापुर	26.00
12	जिला पंचायत होशंगाबाद	4.70
13	जिला पंचायत रायसेन	1.40
14	जिला पंचायत पन्ना	1.25
15	जिला पंचायत सतना	1.26
16	जिला पंचायत देवास	7.44
17	जिला पंचायत बडवानी	0.02
18	जिला पंचायत शहडोल	50.79
19	जिला पंचायत अनूपपुर	57.41
20	जिला पंचायत रतलाम	45.82
21	जनपद पंचायत कोलारस	2.19
22	जनपद पंचायत बुरहानपुर	2.80
23	जनपद पंचायत गोटेगांव	2.65
24	जनपद पंचायत मवाई	0.69
25	जनपद पंचायत लांजी	0.36
26	जनपद पंचायत बडनगर	1.32
27	जनपद पंचायत अमरवाडा	1.00
28	जनपद पंचायत धार	0.19
29	जनपद पंचायत डही	17.19
30	जनपद पंचायत बडवानी	19.41
31	जनपद पंचायत लटेरी	9.87
32	जनपद पंचायत ब्यौहारी	0.37
33	जनपद पंचायत धरमपुरी	2.75
34	जनपद पंचायत गंधवानी	18.66
35	जनपद पंचायत बाडी	0.56
36	जनपद पंचायत राहतगढ़	2.09
37	जनपद पंचायत मालथौन	1.82
38	जनपद पंचायत रोन	0.40
39	जनपद पंचायत सीधी	0.52

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

I - Ø-	bdkbl dk uke	31-3-2014 dks vl ek; kftr vfxæ jkf' k
40	जनपद पंचायत हनुमना	0.66
41	जनपद पंचायत सिरमौर	1.23
42	जनपद पंचायत छपारा	0.22
43	जनपद पंचायत जवा	2.41
44	जनपद पंचायत चितरंगी	2.54
45	जनपद पंचायत खालवा	0.54
46	जनपद पंचायत खाचरौद	0.79
47	जनपद पंचायत चंदेरी	1.55
48	जनपद पंचायत सीतामठ	26.44
49	जनपद पंचायत महिदपुर	1.86
	; ksx	402-42



## i f j f ' k " V 1-5

1/1 nHk% d f i M d k 1-11-2] i " B 10%

i p k ; r j k t I L F k k v k a d k s 13 o a f o R r v k ; k s x v u n k u f o y E c I s t k j h d j u s d s Q y L o : i j k T ; I j d k j i j C ; k t d k f o R r h ; H k k j n ' k k u s o k y k f o o j . k i = d  
v % f u " i k n u v u n k u d k v k g j . k , o a f o r j . k

(₹ लाख में)

o"z	Hkkjr I j d k j I s i k l r v u n k u			i p k ; r , o a x k e h . k f o d k l f o H k k x } k j k v k g f j r v u n k u		i p k ; r j k t I L F k k v k a d k s g L r k a f j r v u n k u		d y f o y E c v o f / k f d ' r	10 f n u k a d s v f r f j D r f o y E c d h v o f / k f n u k a d	9 i f r ' k r 2 o k f " k d d h n j I s C ; k t j k f ' k
	f d ' r	f n u k a d	j k f ' k	f n u k a d	j k f ' k	f n u k a d	j k f ' k			
2011-12	प्रथम	31.03.12	8270.00	31.03.12	8270.00	11.09.12	5000.00	163	153	188.63
	रोकी गई	31.03.12	2383.09	9.4.12	2383.09	14.09.12	3450.00	166	156	132.70
	रोकी गई	31.03.12	3349.19	9.4.12	3349.19	20.09.12	2400.00	172	162	95.86
						24.9.12	1975.00	176	166	80.83
						11.12.12	1175.00	254	244	70.69
						24.01.13	2.28	298	288	0.16
						; k s x	14002-28			568-71
2013-14	प्रथम(सामान्य)	31.3.14	21484.77	7.4.14	20000.00	9.6.14	2000.00	69	59	29.09
	रोकी गई	31.3.14	21271.55	7.4.14	18807.61	23.6.14	163.07	83	73	2.93
				7.4.14	1794.41	23.7.14	15.00	113	103	0.38
				5.7.14	1567.21	24.7.14	16400.00	114	104	420.55
						26.7.14	310.00	116	106	8.10
						28.7.14	10000.00	118	108	266.30
						31.7.14	10350.00	121	111	283.27
						14.8.14	1779.93	135	125	54.86
						; k s x	41018-00			1065-48
2014-15	प्रथम(सामान्य)	31.3.15	20408.00	22.08.15	20408.00	22.8.15	20408.00	143	133	669.27
	प्रथम(विशेष)	31.3.15	1259.00	25.07.15	1071.81	25.07.15	1071.81	115	105	27.74
						; k s x	21479-81			697-01
									d y ; k s x	2331-26

<sup>1</sup> एक माह से कम की विलंबित अवधि को ब्याज गणना में शामिल नहीं किया गया है।

<sup>2</sup> लेखा परीक्षा द्वारा ब्याज की गणना राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा किये गये ब्याज गणना के दर के बराबर ही किया गया।

c % emy vupku dk vkgj .k , oa forj .k

(₹ yk[k e])

	fd' r	fnukad	jkf' k	fnukad	jkf' k	fnukad	jkf' k	foyc vof/k	C; kt x.kuk	C; kt jkf' k
2010-11	प्रथम	15.7.10	20477.00	26.8.10	20283.40	13.9.10	20283.40	59	49	245.06
						; ksx	20283-40			245-06
2012-13	प्रथम	31.12.12	27283.54	2.1.13	27086.54	11.2.13	478.72	41	31	3.65
						27.2.13	263.96	57	47	3.05
						7.3.13	181.54	65	55	2.46
						9.3.13	403.40	67	57	5.66
						19.3.13	1429.93	77	67	23.62
						; ksx	2757-55			38-44
2013-14	द्वितीय	21.2.14	32304.26		6.5.14	215.00	73	63	3.33	
					8.5.14	131.00	75	65	2.09	
					26.5.14	92.00	93	83	1.88	
					5.6.14	193.00	103	93	4.42	
					16.6.14	62.00	114	104	1.58	
					28.6.14	184.00	126	116	5.26	
					10.7.14	121.00	138	128	3.81	
					17.7.14	32.00	145	133	1.06	
					28.7.14	29.32	156	146	1.05	
					; ksx	1059-32				24-48
2014-15	प्रथम	31.3.15	1128.00	16.07.15	960.29	16.07.15	960.29	106	96	22.73
						; ksx	960-29			22-73
						dy ; ksx	101560-65			330-71

(स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

कुल योग अ +ब=(₹ 2331-26 yk[k + ₹ 330-71 yk[k]= ₹ 2661-97 yk[k vFkkir ₹ 26-62 djkm+

## परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कडिका 2.1.5, पृष्ठ 16)

## चयनित ग्राम पंचायतों का विवरण

स. क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
1	अमावाही	परसवाड़ा	बालाघाट
2	अरंडिया	परसवाड़ा	बालाघाट
3	बादलपार	कुरई	सिवनी
4	बडगांव	परसवाड़ा	बालाघाट
5	बघोली	परसवाड़ा	बालाघाट
6	बम्हनी	तामिया	छिंदवाड़ा
7	बंदीबोदलकछार	तामिया	छिंदवाड़ा
8	बांगई	तामिया	छिंदवाड़ा
9	बांसपुर	घोड़ाडोंगरी	बैतूल
10	भीकेवाड़ा	परसवाड़ा	बालाघाट
11	भौराघाट	खकनार	बुरहानपुर
12	बिजोरीपठार	तामिया	छिंदवाड़ा
13	बोडा	परसवाड़ा	बालाघाट
14	बोदलकछार	तामिया	छिंदवाड़ा
15	चाखला	तामिया	छिंदवाड़ा
16	छपारा	नारायणगंज	मण्डला
17	छपरवाही	परसवाड़ा	बालाघाट
18	चोपना	तामिया	छिंदवाड़ा
19	दैय्यत रैय्यत	खकनार	बुरहानपुर
20	दोरियाखेड़ा	तामिया	छिंदवाड़ा
21	डवालीकलौ	खकनार	बुरहानपुर
22	डेलाखेड़ी	तामिया	छिंदवाड़ा
23	धुसावानी	तामिया	छिंदवाड़ा
24	डोईफोडिया	खकनार	बुरहानपुर
25	डोंगरिया	परसवाड़ा	बालाघाट
26	डुडगांवबस्ती	परसवाड़ा	बालाघाट
27	फतेहपुर (एमए)	परसवाड़ा	बालाघाट
28	घोड़ादेही	परसवाड़ा	बालाघाट
29	हर्राकछार	तामिया	छिंदवाड़ा
30	जगनटोला (एमए)	परसवाड़ा	बालाघाट
31	जामुनडोंगा	तामिया	छिंदवाड़ा
32	झालोन	शाहपुरा (भिटोनी)	जबलपुर
33	झिरिया	परसवाड़ा	बालाघाट
34	खलोंडी	परसवाड़ा	बालाघाट
35	खापासानी	तामिया	छिंदवाड़ा

स. क्र.	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत
36	खुलसान	तामिया	छिंदवाड़ा
37	खुरमुंडी	परसवाड़ा	बालाघाट
38	कुम्हडी	तामिया	छिंदवाड़ा
39	कुशीढाना	तामिया	छिंदवाड़ा
40	लिंगा	तामिया	छिंदवाड़ा
41	लोटिया	तामिया	छिंदवाड़ा
42	मझगांव (एमए)	परसवाड़ा	बालाघाट
43	मुत्तैर	तामिया	छिंदवाड़ा
44	नागरी	तामिया	छिंदवाड़ा
45	नागझिरी	खकनार	बुरहानपुर
46	परसाटोला	परसवाड़ा	बालाघाट
47	पटेहरा	नारायणगंज	मण्डला
48	सीताकामत	घोड़ाडोंगरी	बैतूल
49	सिरसोद	छेगांवमाखन	खण्डवा
50	सिवानपाट	घोड़ाडोंगरी	बैतूल

## i j f ' k " V 2-2

(I nHk% d f M/dk 2-1-8-8/ i "B 24)

xke l Hkk ds v/; {k }kjk l kekftd ys[ kki jh{kk ifronuka ij ifrgLrk{kj u  
fd; s x; s xke i pk; rka dh l ph

I-Ø-	xke i pk; r	tuin i pk; r	ftyk i pk; r
1	अमावाही	परसवाड़ा	बालाघाट
2	अरंडिया	परसवाड़ा	बालाघाट
3	बादलपार	कुरई	सिवनी
4	बडगांव	परसवाड़ा	बालाघाट
5	बघोली	परसवाड़ा	बालाघाट
6	बांगई	तामिया	छिंदवाड़ा
7	बांसपुर	घोड़ाडोंगरी	बैतूल
8	भीकेवाड़ा	परसवाड़ा	बालाघाट
9	बिजोरीपठार	तामिया	छिंदवाड़ा
10	बोडा	परसवाड़ा	बालाघाट
11	बोदलकछार	तामिया	छिंदवाड़ा
12	छपारा	नारायणगंज	मण्डला
13	छपरवाही	परसवाड़ा	बालाघाट
14	चोपना	तामिया	छिंदवाड़ा
15	दैय्यत रैय्यत	खकनार	बुरहानपुर
16	डवालीकला	खकनार	बुरहानपुर
17	धुसावानी	तामिया	छिंदवाड़ा
18	डोईफोडिया	खकनार	बुरहानपुर
19	डोंगरिया	परसवाड़ा	बालाघाट
20	डुडगांवबस्ती	परसवाड़ा	बालाघाट
21	फतेहपुर (एमए)	परसवाड़ा	बालाघाट
22	जगनटोला (एम)	परसवाड़ा	बालाघाट
23	झालोन	शाहपुरा (भिटोनी)	जबलपुर
24	झिरिया	परसवाड़ा	बालाघाट
25	खलोंडी	परसवाड़ा	बालाघाट
26	खुरमुंडी	परसवाड़ा	बालाघाट
27	लोटिया	तामिया	छिंदवाड़ा
28	नागझिरी	खकनार	बुरहानपुर
29	परसाटोला	परसवाड़ा	बालाघाट
30	सिवानपाट	घोड़ाडोंगरी	बैतूल

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.2.3, पृष्ठ 28)

चयनित इकाइयों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत
1	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	बडेगांव, बोरीमाल, धसनवाड़ा, हिरीमुकासा, खामी, कुदवारी, मोहलीभारत, पिपरिया राजगुरु, साजवा, सुखारी कला
		बिछुआ	आमाझिरीकला, चन्द्रिकापुर, दुधगांव, ग्वारीमाल, कढैया, खमरा, मोहपानीमाल, पाथरी, सिलोटाकला, थुयेपानी
		चौरई	बम्हनीतूता, चॉद, गोपालपुर, जमुनिया, खिरखिरी, मड़ई, निशानजानोजी, पिपरिया खाती, सांख, तीतरी
		छिन्दवाड़ा	भानादेही, चन्दनगांव, घारपरासिया, कपरवाड़ी, कोटलबारी, लूनिया करबल, पखड़िया, रंगीन खापा, सर्ग, उभेगांव
		हरई	अतरिया, भालपानी, बुधनिया (बॉड), चुरीसाजवा, घोघरी, खिरदा, मुआरसानी, रैयाराव, साठिया, तिन्सई
		जुन्नारदेव	बिलावल खुर्द, डुंगरिया, जमकुंडा, कौआझिरी, खिडकी कनेरी, मालनी, नजरपुर, पिंडरीकला, सांगाखेड़ा, तेलीवट
		मोहखेड़	बदनूर, बीसापुर कला, गोरखपुर, इकलबिहरी, खेरवाड़ा, महलपुर, नवलगांव, रजाडा, शक्कर झिरी, तिवड़ाकामथ
		पांडुरना	भाजीपानी, चिकखेड़ा, गोरलीखापा, जुनेवानी, लाघा, मारकवाड़ा, पैलेपार, राजडोंगरी, सिल्लेवानी, उमरीकला
		परासिया	बीजकवाड़ी, छाबड़ी कला, धमनिया, इकलहरा, खंसवाड़ा, मनियाखापा, नोनापठार, साबलाढाना, सिरगोरा, उमरेठ
		सौंसर	बानाबाकोड़ा, देवली, गंगतवाड़ा, कबरपिपला, कोपरावाड़ी खुर्द, मुंगनापार, पारडसिंगा, रामपेठ, सातनूर, उटेकाटा
		तामिया	बम्होरी खुर्द, बिजोरी पठार, चोपना, डोब, इटावा, जोगीमुआर, खापासानी, लिंगा, मत्तौर, सिधौली
2	इन्दौर	देपालपुर	आकासोदा, बहिरामपुर, बोरिया, धर्माट, गुडर, कालासुरा, लिम्बोदापार, फुलन, रोलाय, शाहपुरा
		इंदौर	अरान्या, बड़ा बांगडदा, बिसनावदा, गारिया, कलारिया, खुडेल बुजुर्ग, मुण्डला दोस्तदार, पालदा, रंगवासा, सिंहासा
		महू	बाई, भिचौली, गागल्याखेड़ी, गूजरखेड़ा, जाम बुजुर्ग, केलोद, कुलथाना, पांजरिया, सेण्डल, सोनवाय
		सांवेर	बडोदिया खान, भाग्या, चित्तौड़ा, गुलावट, कदवा, खजूरिया, मकोडिया, पलासिया, पूवार्डाहप्पा, सुलाखेड़ी
योग	2 जिले	15 जनपद पंचायत	150 ग्राम पंचायतें

## परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कडिका 2.2.4.1, पृष्ठ 29)

बजट अनुमान तैयार करने एवं अनुमोदन में विलंब को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वर्ष	संचालनालय को प्रस्तुत करने की नियत दिनांक	संचालनालय को प्रस्तुत करने की वास्तविक दिनांक	प्रस्तुत करने में विलम्ब (दिवस)	संचालनालय द्वारा अनुमोदन की नियत दिनांक	संचालनालय द्वारा अनुमोदन करने की वास्तविक दिनांक	अनुमोदन करने में विलम्ब (दिवस)
2010-11	31 जनवरी 2010	21.09.2010	233	15 मार्च 2010	ले.प.को उपलब्ध नहीं कराई गई	—
2011-12	31 जनवरी 2011	18.04.2011	77	15 मार्च 2011	05.12.2014	1360
2012-13	31 जनवरी 2012	28.03.2012	57	15 मार्च 2012	05.12.2014	994
2013-14	31 जनवरी 2013	26.12.2013	329	15 मार्च 2013	05.12.2014	629
2014-15	31 जनवरी 2014	19.11.2014	292	15 मार्च 2014	08.01.2015	298

(स्रोत: जिला पंचायत छिन्दवाड़ा द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

## परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कडिका 2.2.4.2, पृष्ठ 30)

अनुमानित बजट एवं आय-व्यय के वास्तविक आंकड़ों में अन्तर को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ करोड़ में)

जिला	वर्ष	आय			व्यय		
		बजट अनुमान	वास्तविक आय	अन्तर (प्रतिशत)	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अन्तर (प्रतिशत)
छिन्दवाड़ा	2010-11	344.39	216.33	128.06 (37)	340.22	208.36	131.86 (39)
	2011-12	321.11	153.31	167.80 (52)	318.03	155.70	162.33 (51)
	2012-13	317.34	206.07	111.27 (35)	314.44	209.04	105.40 (34)
	2013-14	334.65	214.03	120.62 (36)	333.35	226.47	106.88 (32)
	2014-15	363.85	288.47	75.38 (21)	362.48	236.49	126.00 (35)
इन्दौर	2010-11	109.16	54.86	54.30 (50)	109.05	50.63	58.42 (54)
	2011-12	103.14	80.06	23.08 (22)	103.14	75.96	27.18 (26)
	2012-13	93.88	80.13	13.75 (15)	93.88	80.29	13.59 (14)
	2013-14	96.28	87.57	8.71 (9)	96.22	63.15	33.07 (34)
	2014-15	100.34	85.66	14.68 (15)	100.34	86.82	13.51 (13)

(स्रोत: जिला पंचायत छिन्दवाड़ा एवं इन्दौर द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कडिका 2.2.6.2, पृष्ठ 33)

31 मार्च 2015 की स्थिति में रोकड़बही एवं बैंक पास बुक/विवरण के अंतिम शेषों में अन्तर को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	रोकड़बही के अनुसार अंतिम शेष	बैंक पास बुक के अनुसार अंतिम शेष	अन्तर (4-3)
1	2	3	4	5
1	जनपद पंचायत अमरवाड़ा	338.45	253.46	(-) 84.99
2	जनपद पंचायत बिछुआ	392.44	430.18	37.74
3	जनपद पंचायत चौरई	334.03	337.50	3.47
4	जनपद पंचायत देपालपुर	182.29	192.24	9.95
5	जनपद पंचायत हरई	336.15	477.92	141.77
6	जनपद पंचायत इंदौर	307.23	399.83	92.60
7	जनपद पंचायत जुन्नारदेव	799.28	863.01	63.73
8	जनपद पंचायत मोहखेड़	145.93	400.45	254.52
9	जनपद पंचायत पांडुरना	534.26	502.78	(-) 31.48
10	जनपद पंचायत सांवेर	317.28	316.91	(-) 0.37
11	जनपद पंचायत सौंसर	84.47	290.44	205.67
12	जनपद पंचायत तामिया	497.63	514.79	17.16

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कडिका 2.2.6.3, पृष्ठ 34)

31 मार्च 2015 की स्थिति में असमायोजित अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	लंबित अग्रिम की राशि	लंबित अग्रिमों की अवधि
1	जनपद पंचायत अमरवाड़ा	1.35	दो से पांच वर्ष
2	जनपद पंचायत बिछुआ	4.82	चार वर्ष एवं 10 माह
3	जनपद पंचायत चौरई	0.05	पिछले 29 वर्ष से
4	जनपद पंचायत हरई	1.29	छह से 19 वर्ष
5	जनपद पंचायत इंदौर	0.64	एक वर्ष
6	जनपद पंचायत जुन्नारदेव	3.90	एक से पांच वर्ष
7	जनपद पंचायत मोहखेड़	1.80	एक से आठ वर्ष
8	जनपद पंचायत पांडुरना	7.38	एक से 32 वर्ष
9	जनपद पंचायत सौंसर	14.47	एक से 09 वर्ष
10	जनपद पंचायत तामिया	0.26	दो वर्ष
	<b>योग</b>	<b>35.96</b>	



## परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.2.10, पृष्ठ 37)

स्थानीय निधि संपरीक्षा की लंबित कंडिकाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	इकाई का नाम	लंबित कंडिकाओं की संख्या	लेखापरीक्षा अवधि
1	जिला पंचायत इन्दौर	262	1951-52 से 2007-08
2	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा	20	1984-85 से 2000-01
3	जनपद पंचायत इंदौर	659	विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया
4	जनपद पंचायत महु	525	1960-61 से 2012-13
5	जनपद पंचायत सांवेर	491	1971-72 से 2006-07
6	जनपद पंचायत बिछुआ	52	1976-77 से 2006-07
7	जनपद पंचायत चौरई	44	1980-81 से 2012-13
8	जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा	136	1971-72 से 2011-12
9	जनपद पंचायत हरई	65	1971-72 से 2006-07
10	जनपद पंचायत मोहखेड़	158	1971-72 से 2004-05
11	जनपद पंचायत पांडुरना	30	1997-98 से 2004-05
12	जनपद पंचायत परासिया	82	1991-92 से 2010-11
13	जनपद पंचायत तामिया	07	1971-75 से 2005-06
	<b>योग</b>	<b>2531</b>	

(स्रोत: सम्बंधित जि.पं. एवं ज.पं. द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

i f j f ' k " V 4-1

( I n H k % d f M d k 4-3] i " B 42)

j k T ; I j d k j } k j k u x j h ; L F k k u h ; f u d k ; k a d k s d k ; k a d k g L r k a r j . k

I - Ø-	dk; k a ds uke
1	नगरीय योजना, जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है
2	भूमि उपयोग का विनियमन एवं भवनों का निर्माण
3	आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना
4	सड़कें और पुल
5	घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7	अग्नि शमन सेवाएँ
8	नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों का प्रचार
9	समाज के कमजोर वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11	नगरीय गरीबी उन्मूलन
12	नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों का प्रचार
14	शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15	मवेशी बाड़ा, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16	महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17	सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं हैं
18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

## i jf'k"V 4-2

1/1 nHk% dMdk 4-8-1] i "B 46%

2014&amp;15 ds nkjku ueuk tkp dh xbl uxjh; LFkkuh; fudk; ka dh l ph

uxjikfyd fuxe					
1	भोपाल	2	बुरहानपुर	3	देवास
4	ग्वालियर	5	जबलपुर	6	खण्डवा
7	रतलाम	8	उज्जैन		
uxjikfydk ifj"kn					
1	आगर	2	आमला	3	अनूपपुर
4	अशोकनगर	5	बड़वानी	6	बैरसिया
7	भिण्ड	8	चन्देरी	9	चौरई
10	डबरा	11	दतिया	12	धार
13	गंजबासौदा	14	गोहद	15	गुना
16	हरदा	17	हट्टा	18	खाचरौद
19	कोतमा	20	महिदपुर	21	मंदसौर
22	मुल्ताई	23	नरसिंहगढ़	24	नीमच
25	पीथमपुर	26	पोरसा	27	राघोगढ़
28	रायसेन	29	सनावद	30	सारंगपुर
31	सारनी	32	साँसर	33	सिवनी
34	सिवनी मालवा	35	विदिशा		
uxj ifj"kn					
1	आलोट	2	बाबई	3	बदरवास
4	बलदेवगढ़	5	बण्डा	6	बड़ोद
7	बेदा	8	चाचौड़ा बीनागंज	9	छनेरा
10	चुरहट	11	डही	12	धामनोद
13	डिकेन	14	गढ़ी मल्हरा	15	गोरमी
16	हनुमना	17	हरई	18	हातोद
19	जयसिंह नगर	20	जैतवारा	21	जावर
22	कैमूर	23	कानड़	24	करेरा
25	खजूराहो	26	खनियाधाना	27	खातेगांव
28	कोलारस	29	कोठारी	30	कोठी
31	कुक्षी	32	कुकडेश्वर	33	लांजी
34	मल्हारगढ़	35	नागोरी	36	नारायणगढ़
37	नरवर	38	निवास	39	ओबैदुल्लागंज
40	पानसेमल	41	पथरिया	42	पोलायकला
43	राजपुर	44	रामपुरा	45	सरदारपुर
46	सीतामउ	47	उचेहरा	48	उन्हेल

i f j f ' k " V 4-3

1/1 nHk% dMdk 4-9] i "B 46%

uxjh; LFkkuh; fudk; ka }kjk c'd l ek/kku i =d r\$ kj ugha djuk

(₹ yk[k eg)

I-Ø	bdkb/ dk uke	31-3-2014 dks c'd [kkrs dk 'k'sk	31-3-2014 dks j'kdMekh dk 'k'sk	varj] tgka c'd 'k'sk j'kdMekh l s vf/kd (+) g\$	varj] tgka c'd 'k'sk j'kdMekh l s de (-) g\$
<b>uxj i kfyd fuxe</b>					
1	खण्डवा	2723.45	2341.25	382.20	—
2	रतलाम	30.40	417.64	—	-387.24
3	देवास	3543.98	3504.18	39.80	—
; ksx		6297-83	6263-07	422-00	-387-24
<b>uxj i kfydk i f j "kn</b>					
4	बैरसिया	168.51	135.39	33.12	—
5	अनूपपुर	645.25	512.79	132.46	—
		46.17	138.07	—	-91.90
6	बड़वानी	408.28	387.75	20.53	—
7	आमला	142.93	183.84	—	-40.91
8	सौसर	605.36	582.41	22.95	—
9	चन्देरी	195.69	90.49	105.20	—
10	भिण्ड	2398.67	2143.68	254.99	—
11	मंदसौर	713.33	2382.32	—	-1668.99
12	डबरा	280.42	262.36	18.06	—
; ksx		5604-61	6819-10	587-31	-1801-80
<b>uxj i f j "kn</b>					
13	पथरिया	232.39	215.74	16.65	—
14	निवास	101.14	55.11	46.03	—
15	राजपुर	342.46	211.74	130.72	—
16	जावर	131.88	130.26	1.62	—
17	खातेगांव	78.26	75.17	3.09	—
18	करैरा	145.18	113.53	31.65	—
19	बाबई	9.87	9.68	0.19	—
20	हरई	334.28	298.39	35.89	—
21	बण्डा	344.35	305.36	38.99	—
		2.61	3.96	—	-1.35
22	चाचौड़ा बीनागंज	377.98	319.77	58.21	—
		65.22	65.84	—	-0.62
23	कोठारी	57.80	61.07	—	-3.27
24	रामपुरा	73.57	82.55	—	-8.98
25	हातोद	45.33	33.82	11.51	—
26	आलोट	98.91	88.62	10.29	—
27	हनुमना	433.02	416.43	16.59	—
		6.36	6.59	—	-0.23
28	नरवर	183.98	172.87	11.11	—
29	खाण्ड	108.57	63.20	45.37	—
30	बड़ोद	32.40	33.09	—	-0.69
		10.29	7.30	2.99	—
; ksx		3215-85	2770-09	460-90	-15-14
clq ; ksx		15118-29	15852-26	1470-21	-2204-18

i jf'k"V 4-4

1/4 nHk% dflMdk 4-10] i "B 47½

vl æfgr dj jkTkLo (l Ei fRr dj] l efdR dj] f'k{kk mi dj] uxjh;  
fodkl mi dj vkj in'kū 'kYd½ dks n'kkūs okyk foofj.k i =d

(₹ yk[k e)

I - Ø-	bdkbz dk uke	fi Nys o"kkā dk cdk; k	2013&14 ds nkj ku dh x; h ekax	; ksx	ekpl 2013&14 rd dy ol my fd; k x; k dj	31-3-2014 dks cdk; k dj dh jkf'k
<b>uxjikyfd fuxe</b>						
1	खण्डवा	187.04	378.48	565.52	308.79	256.73
2	रतलाम	385.3	421.75	807.05	452.83	354.22
3	बुरहानपुर	418.27	139.53	557.8	139.56	418.24
4	देवास	824.89	842.77	1667.66	985.04	682.62
5	भोपाल	2843.44	5219.28	8062.72	6699.37	1363.35
6	जबलपुर	6002.33	4058.13	10060.46	4109.19	5951.27
		10661-27	11059-94	21721-21	12694-78	9026-43
<b>uxjikyfdk ifj"kn</b>						
7	अनूपपुर	18.91	6.40	25.31	8.41	16.90
8	हट्टा	41.20	20.64	61.84	27.05	34.79
9	मुल्ताई	25.62	27.08	52.7	27.84	24.86
10	राघोगढ़	126.63	138.00	264.63	137.67	126.96
11	पीथमपुर	154.74	368.25	522.99	500.03	22.96
12	धार	44.00	53.30	97.30	70.80	26.50
13	कोतमा	34.36	20.83	55.19	14.61	40.58
14	बड़वानी	30.04	39.08	69.12	38.59	30.53
15	सारनी	29.28	60.80	90.08	56.83	33.25
16	पोरसा	93.77	14.48	108.25	4.77	103.48
17	सिवनी मालवा	4.16	11.00	15.16	16.68	-1.52
18	सनावद	24.48	39.39	63.87	35.83	28.04
19	आमला	3.68	13.57	17.25	13.28	3.97
20	गोहद	105.09	8.21	113.30	3.15	110.15
21	सौसर	48.27	25.87	74.14	27.35	46.79
22	सिवनी	139.17	83.44	222.61	121.43	101.18
23	विदिशा	236.89	148.6	385.49	144.4	241.09
24	चौरई	46.27	9.49	55.76	11.32	44.44
25	दतिया	166.26	29.00	195.26	9.00	186.26
26	चन्देरी	34.65	16.15	50.8	16.9	33.9
27	गंजबासौदा	111.58	49.86	161.44	52.78	108.66
28	हरदा	28.44	65.8	94.24	65.19	29.05
29	महिदपुर	26.18	8.57	34.75	14.02	20.73
30	खाचरौद	17.56	17.69	35.25	24.87	10.38
31	आगर	10.71	16.35	27.06	19.79	7.27
32	अशोकनगर	19.41	35.5	54.91	35.17	19.74
33	सारंगपुर	9.64	12.01	21.65	9.76	11.89
34	रायसेन	81.23	24.12	105.35	17.3	88.05

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

I - Ø-	bdkbz dk uke	fi Nys o"kkk dk cdk; k	2013&14 ds nkj ku dh x; h ekx	; kx	ekpl 2013&14 rd dy ol ny fd; k x; k dj	31-3-2014 dks cdk; k dj dh jkf' k
35	नीमच	245.76	85.71	331.47	140.31	191.16
36	डबरा	149.09	33.5	182.59	44.53	138.06
	योग	2107.07	1482.69	3589.76	1709.66	1880.10
uxj ifj"kn						
37	नगरी	3.71	5.56	9.27	6.50	2.77
38	पथरिया	16.38	5.70	22.08	3.11	18.97
39	निवास	2.64	3.06	5.70	1.56	4.14
40	खनियाधाना	28.31	4.82	33.13	1.89	31.24
41	जयसिंहनगर	7.79	6.59	14.38	6.77	7.61
42	कोठी	4.12	2.83	6.95	1.80	5.15
43	राजपुर	7.86	7.06	14.92	10.74	4.18
44	पानसेमल	5.38	16.85	22.23	17.89	4.34
45	जावर	14.01	5.77	19.78	4.00	15.78
46	खातेगांव	11.07	10.13	21.20	14.59	6.61
47	डिकेन	1.96	7.36	9.32	4.90	4.42
48	उन्हेल	13.32	10.41	23.73	7.24	16.49
49	करैरा	9.11	13.50	22.61	9.28	13.33
50	जैतवारा	40.09	6.63	46.72	3.16	43.56
51	बाबई	30.35	12.44	42.79	8.14	34.65
52	हरई	15.78	5.62	21.40	4.22	17.18
53	बण्डा	43.56	24.95	68.51	20.38	48.13
54	ओबैदुल्लागंज	13.17	15.62	28.79	6.43	22.36
55	छनेरा	41.35	12.70	54.05	13.97	40.08
56	कैमोर	17.07	121.23	138.30	95.10	43.20
57	गोरमी	65.92	10.10	76.02	6.80	69.22
58	कोलारस	39.82	13.02	52.84	8.14	44.70
59	बदरवास	30.10	4.70	34.80	3.89	30.91
60	चाचौड़ा बीनागंज	47.90	5.79	53.69	19.15	34.54
61	कोठारी	12.55	10.20	22.75	4.24	18.51
62	रामपुरा	11.80	7.65	19.45	13.97	5.48
63	कुकडेश्वर	2.13	6.44	8.57	5.45	3.12
64	हातोद	8.18	5.44	13.62	7.45	6.17
65	धामनोद	3.32	3.76	7.08	4.51	2.57
66	आलोट	6.30	18.73	25.03	2.87	22.16
67	लांजी	6.77	11.80	18.57	3.83	14.74
68	चुरहट	31.83	10.65	42.48	13.21	29.27
69	हनुमना	30.89	11.48	42.37	7.66	34.71
70	नारायणगढ़	3.60	4.86	8.46	5.12	3.34
71	मल्हारगढ़	1.12	6.25	7.37	6.18	1.19
72	खजुराहो	24.82	25.87	50.69	31.65	19.04
73	गढीमल्हारा	31.67	3.75	35.42	2.83	32.59
74	कुक्षी	13.17	19.37	32.54	11.12	21.42
75	डही	6.98	3.62	10.60	2.08	8.52

I - Ø-	bdkbz dk uke	fi Nys o"kkā dk cdk; k	2013&14 ds nkjku dh x; h ekx	; kx	ekpZ 2013&14 rd dy ol ny fd; k x; k dj	31-3-2014 dks cdk; k dj dh jkf' k
76	कानड़	9.02	3.76	12.78	7.78	5.00
77	बड़ोद	12.86	9.47	22.33	9.74	12.59
		727-78	495-54	1223-32	419-34	803-98
		13496-12	13038-17	26534-29	14823-78	11710-51

ijf'k"V 4-5

(I nHk% dflMdk 4-10] i "B 4)

vl xfgf fdjk; k , oa i hfe; e dks n'kkus okyk foofj .k i =d

(₹ yk[k e)

I - Ø-	bdkbl dk uke	vkofVr n'pkuka dk cdk; k i hfe; e	vkofVr n'pkuka dk cdk; k fdjk; k	; kx %31-03-2014 dh fLFkr e%
<b>uxj kfyd fuxe</b>				
1	खण्डवा	114.86	33.84	148.70
2	रतलाम	0	50.53	50.53
3	देवास	2.15	6.87	9.02
4	भोपाल	428.18	6.22	434.40
5	जबलपुर	0	144.89	144.89
	; kx	545-19	242-35	787-54
<b>uxj kfydk i f"kn</b>				
6	हटा	20.91	0	20.91
7	मुल्ताई	0	9.96	9.96
8	बड़वानी	198.64	0	198.64
9	पोरसा	0	5.62	5.62
10	सिवनी मालवा	31.74	0	31.74
11	सौसर	4.18	0	4.18
12	विदिशा	0	3.76	3.76
13	चन्देरी	10.87	0	10.87
14	हरदा	91.48	12.06	103.54
15	महिदपुर	24.87	10.25	35.12
16	सारंगपुर	3.84	0	3.84
17	रायसेन	14.55	1.65	16.20
18	मंदसौर	48.72	42.42	91.14
	; kx	449-80	85-72	535-52
<b>uxj i f"kn</b>				
19	जयसिंहनगर	0	13.41	13.41
20	खातेगांव	0	0.84	0.84
21	डिकेन	0	0.11	0.11
22	उन्हेल	0	0.49	0.49
23	जैतवारा	1.22	0	1.22
24	हरई	7.30	7.08	14.38
25	बण्डा	5.58	6.97	12.55
26	छनेरा	0	29.96	29.96
27	बदरवास	0	0.04	0.04
28	चाचौड़ा बीनागंज	0	5.20	5.20
29	खजुराहो	2.94	2.46	5.40
30	पोलायकला	0	0.37	0.37
31	कुशी	28.16	28.57	56.73
32	कानड़	0	6.28	6.28
	; kx	45-20	101-78	146-98
	dy ; kx	1040-19	429-85	1470-04



## i f j f ' k " V 4-6

¼ n H k % d f M d k 4-10] i " B 47½

x] d j j k t L o % t y i H k k j ½ d h o l w y h u d j u s d k s n ' k k l u s o k y k f o o j . k i = d  
( ₹ y k / k e )

l - Ø-	b d k b z d k u k e	i d l o " k k a d k c d k ; k	2013 & 14 d s n k j k u d h x b z e k a x	; k x	d y i k l r j k t L o % e k p z 2014 d h f L F k f r e a z	31 e k p z 2014 d h f L F k f r e a d y v i k l r d j d h j k f ' k
u x j i k f y d f u x e						
1	खण्डवा	150.99	423.16	574.15	361.39	212.76
2	रतलाम	441.91	389.40	831.31	270.00	561.31
3	बुरहानपुर	262.15	87.92	350.07	61.78	288.29
4	देवास	294.57	459.00	753.57	341.60	411.97
5	भोपाल	2247.10	6475.27	8722.37	6708.19	2014.18
6	उज्जैन	974.76	1006.75	1981.51	563.22	1418.29
7	जबलपुर	9455.45	2094.00	11549.45	1131.25	10418.20
	; k x	13826-93	10935-50	24762-43	9437-43	15325-00
u x j i k f y d k i f j " k n						
8	अनूपपुर	8.71	11.85	20.56	9.05	11.51
9	हटा	7.50	20.44	27.94	17.59	10.35
10	मुल्ताई	23.29	24.57	47.86	28.47	19.39
11	राघोगढ	74.61	140.00	214.61	139.15	75.46
12	पीथमपुर	27.13	42.71	69.84	52.61	17.23
13	धार	4.00	6.50	10.50	6.76	3.74
14	कोतमा	5.31	34.83	40.14	23.08	17.06
15	बड़वानी	118.50	85.30	203.80	86.21	117.59
16	सारनी	0.45	1.65	2.10	1.72	0.38
17	पोरसा	60.57	16.53	77.10	19.28	57.82
18	सिवनी मालवा	19.49	25.55	45.04	24.30	20.74
19	सनावद	19.62	39.47	59.09	33.82	25.27
20	आमला	3.64	12.56	16.20	11.92	4.28
21	गोहद	26.21	17.54	43.75	13.88	29.87
22	सौंसर	30.01	20.84	50.85	21.76	29.09
23	सिवनी	128.73	94.98	223.71	134.99	88.72
24	विदिशा	418.71	132.21	550.92	103.56	447.36
25	चौरई	13.55	7.50	21.05	4.94	16.11
26	दतिया	274.76	69.00	343.76	33.70	310.06
27	चन्देरी	6.19	10.15	16.34	10.47	5.87
28	गंजबासौदा	73.27	36.55	109.82	27.83	81.99
29	हरदा	55.80	116.69	172.49	119.11	53.38
30	महिदपुर	22.35	31.45	53.80	37.92	15.88
31	खाचरौद	37.42	40.44	77.86	37.99	39.87
32	आगर	26.32	55.50	81.82	54.28	27.54
33	अशोकनगर	35.47	74.61	110.08	45.15	64.93
34	सारंगपुर	38.79	52.78	91.57	38.40	53.17
35	रायसेन	23.93	31.92	55.85	26.64	29.21
36	नीमच	191.78	72.77	264.55	62.48	202.07
37	डबरा	116.55	18.00	134.55	18.19	116.36
	; k x	1892-66	1344-89	3237-55	1245-25	1992-30

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

I-Ø	bdkbz dk uke	i dZ o"kkā dk cdk; k	2013&14 ds nkj ku dh xbz ekx	; kx	dy i klr jktLo %ekpl 2014 dh fLFkfr e%	31 ekpl 2014 dh fLFkfr es dy vi klr dj dh jkf' k
uxj i fj"kn						
38	नगरी	0.14	3.51	3.65	3.31	0.34
39	पथरिया	2.49	2.58	5.07	1.91	3.16
40	निवास	2.76	3.72	6.48	4.78	1.70
41	खनियाधाना	19.07	7.51	26.58	5.00	21.58
42	जयसिंहनगर	14.91	6.86	21.77	7.43	14.34
43	कोठी	1.16	5.10	6.26	4.89	1.37
44	राजपुर	13.80	18.10	31.90	20.51	11.39
45	पानसेमल	5.26	16.64	21.90	18.53	3.37
46	जावर	1.67	2.34	4.01	2.25	1.76
47	खातेगांव	8.26	22.95	31.21	20.80	10.41
48	डिकेन	0.34	3.43	3.77	2.74	1.03
49	उन्हेल	2.83	7.72	10.55	8.25	2.30
50	करैरा	20.67	16.17	36.84	15.19	21.65
51	जैतवारा	4.10	3.22	7.32	2.95	4.37
52	बाबई	17.89	6.81	24.70	3.60	21.10
53	हरई	8.74	5.46	14.20	2.53	11.67
54	बण्डा	12.89	19.76	32.65	18.73	13.92
55	ओबैदुल्लागंज	20.27	26.18	46.45	10.58	35.87
56	छनेरा	20.33	7.85	28.18	5.10	23.08
57	कैमोर	2.84	17.16	20.00	14.14	5.86
58	गोरमी	14.77	16.87	31.64	11.37	20.27
59	कोलारस	32.90	28.54	61.44	15.87	45.57
60	बदरवास	2.63	2.20	4.83	1.22	3.61
61	चाचौड़ा बीनागंज	30.22	25.47	55.69	5.27	50.42
62	कोठरी	2.76	1.33	4.09	0.32	3.77
63	रामपुरा	3.56	18.57	22.13	19.44	2.69
64	कुकडेश्वर	3.68	3.93	7.61	3.55	4.06
65	हातोद	7.92	7.15	15.07	12.12	2.95
66	धामनोद	1.97	2.40	4.37	2.92	1.45
67	आलोट	5.78	19.38	25.16	2.75	22.41
68	लांजी	7.79	64.19	71.98	61.41	10.57
69	चुरहट	15.18	3.17	18.35	3.99	14.36
70	हनुमना	1.14	3.44	4.58	1.97	2.61
71	नारायणगढ़	2.66	8.84	11.50	7.94	3.56
72	मल्हारगढ़	1.20	8.83	10.03	8.37	1.66
73	खजुराहो	14.87	11.33	26.20	14.63	11.57
74	गढीमल्हारा	10.33	5.92	16.25	5.14	11.11
75	कुशी	41.98	43.37	85.35	29.13	56.22
76	डही	7.05	3.87	10.92	2.34	8.58
77	कानड़	7.26	6.67	13.93	10.84	3.09
78	बड़ोद	7.19	9.68	16.87	9.03	7.84
	; kx	403-26	498-22	901-48	402-84	498-64
	dy ; kx	16122-85	12778-61	28901-46	11085-52	17815-94

## i jf'k"V 4-7

¼ anHk% dMdk 4-11] i "B 47½

vl ek; kf'tr vLFkkbZ vfxæka dk fooj . k

(₹ yk[k es)

I - Ø-	bdkbZ dk uke	fnuka 31-03-2014 rd vl ek; kf'tr vfxæ jkf'k
<b>uxjikfyd fuxe</b>		
1	खण्डवा	0.80
2	रतलाम	35.56
3	बुरहानपुर	0.64
4	देवास	11.97
5	भोपाल	20.78
6	उज्जैन	116.13
	; ksx	185-88
<b>uxjikfydk ifj"kn</b>		
7	अनुपपुर	0.72
8	धार	5.26
9	कोतमा	0.78
10	बड़वानी	4.93
11	सारनी	0.53
12	सौंसर	0.38
13	हरदा	36.48
14	महिदपुर	1.16
15	आगर	1.86
16	भिण्ड	5.44
17	गुना	3.47
18	डबरा	2.21
	; ksx	63-22
<b>uxj ifj"kn</b>		
19	नगरी	0.13
20	पथरिया	0.69
21	जयसिंहनगर	1.61
22	राजपुर	6.66
23	जावर	0.86
24	हरई	4.90
25	छनेरा	4.00
26	कैमोर	18.65
27	लांजी	0.06
28	चुरहट	0.36
29	हनुमना	0.04
30	सीतामउ	1.70
31	नाराणगढ़	1.66
32	गढ़ीमल्हरा	1.13
33	कुक्षी	3.82
34	नरवर	1.54
	; ksx	47-81
	dy ; ksx	296-91

(I nHk% dMdk 4-12-2] i "B 50)

uxjh; LFkkuh; fudk; ka dks 13oa foRr vk; ksx vuqku foyæ ls tkjh djus ls jkT; I jdkj }kjk ns C; kt dks n'kkus okyk fooj.k i =d

uxjh; iz kkl u , oa fodkl I pkyuky; }kjk uxjh; LFkkuh; fudk; ka dks 13oa foRr vk; ksx vuqku dk vkgj.k , oa forj.k

( ₹ yk[k es)

o"z	Hkkjr I jdkj }kjk tkjh jkf'k			uxjh; fodkl , oa i ; kbj.k foHkx }kjk vkgfjr jkf'k		uxjh; LFkkuh; fudk; ka dks gLrkafjr jkf'k		dy fnu foyæ ls tkjh	okLrfod foyæ vof/k 10 fnu ka dks NkMdj	9 ifr'kr'1 okf'kd dh nj ls C; kt
	fd'r	fnuad	jkf'k	fnuad	jkf'k	fnuad	jkf'k			
2015-16	सा.नि.अ. प्रथम	25.03.15	10759.09	19.04.15	10759.09	19.04.15	10759.09	24	14	37.14
2013-14	वि.क्षे.नि.अ. प्रथम	06.08.13	197.00	03.09.13	197.00	03.09.13	197.00	27	17	0.82
2015-16	वि.क्षे.नि.अ. प्रथम	31.03.15	187.18	19.04.15	187.18	19.04.15	187.18	18	8	0.36
		; ksx	11143-27		11143-27		11143-27			38-32
2010-11	सा.बे.अ. प्रथम	14.07.10	6955.00	23.08.10	6955.00	23.08.10	6955.00	39	29	49.73
2011-12	सा.बे.अ. प्रथम	06.07.11	8710.00	11.08.11	8710.00	11.08.11	8710.00	35	25	53.69
2015-16	सा.बे.अ. प्रथम	25.03.15	12488.29	19.04.15	12488.29	19.04.15	12488.29	24	14	43.11
		; ksx	28153-29		28153-29		28153-29			146-53
2010-11	वि.क्षे.बे.अ. प्रथम	15.07.10	197.10	23.08.10	197.10	23.08.10	197.10	38	28	1.36
	वि.क्षे.बे.अ. द्वितीय	29.03.11	157.00	20.04.11	157.10	20.04.11	157.10	21	11	0.43
2011-12	वि.क्षे.बे.अ. द्वितीय	03.09.12	197.00	27.09.12	197.00	27.09.12	197.00	23	13	0.63
2013-14	वि.क्षे.बे.अ. प्रथम	30.08.13	423.29	12.03.14	197.00	12.03.14	197.00	193	183	8.89
				27.03.14	197.00	27.03.14	197.00	208	198	9.62
				26.03.14	29.29	26.03.14	29.29	207	197	1.42
2014-15	वि.क्षे.बे.अ. प्रथम	25.03.15	167.71	19.04.15	167.71	19.04.15	167.71	24	14	0.57
		; ksx	1142-10		1142-20		1142-20			22-92
		dy ; ksx	40438-66		40438-76		40438-76			207-77

₹ 207-77 yk[k vFkkR ₹ 2-08 djkm+

(I kr% uxjh; iz kkl u , oa fodkl I pkyuky; }kjk mi yC/k dj; h x; h tkudkj h)

<sup>1</sup> लेखापरीक्षा द्वारा ब्याज की गणना राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा किये गये ब्याज गणना के दर के बराबर ही किया गया है।

## i f j f ' k " V 5-1

॥ अर्थकर्मिका 5-1-1 , oa 5-1-6] i "B 53 , oa 5A

uxjh; LFkkuh; fudk; ka ea fØ; kflor , dhdr vkokl , oa efyu cLrh fodkl dk; Øe I Ecl/kh i f j ; kst ukvka dk fooj .k

( ₹ yk[k e )

I - Ø-	fudk; @ i f j ; kst uk , a	Lohdr fnukad	Lohdr o"Kz	i f j ; kst uk dh i w k r k vof/k %ekg e	Lohdr i f j ; kst uk ykxr	, l -, y-, u-, - dks vkofVr fuf/k	0; ; (ekpl 2015)	vkokl h; bdkbZ ka					i f j ; kst uk dh v   ru fLFkr
								Lohdr	I efi r	fufe r	i xfrjr	vkofVr	
1	बरेला	02.02.2007	2006-07	24	225.47	205.95	120.64	120	40	80	0	0	अपूर्ण
2	cky/kkV	14-12-2006	2006&07	24	1297-95	480-85	0	966	966	0	0	0	समाप्त
3	बेरसिया	14.12.2006	2006-07	24	174.80	74.68	11.86	160	152	8	0	0	अपूर्ण
4	दमोह	14.12.2006	2006-07	24	229.83	144.18	105.86	104	67	32	5	20	अपूर्ण
5	देवास-I	14.12.2006	2006-07	24	1715.32	613.11	1434.61	1216	608	608	0	0	अपूर्ण
6	देवास-II	14.12.2006	2006-07		1932.57	688.93	237.63	1384	1196	128	60	0	अपूर्ण
7	देपालपुर	02.02.2007	2006-07	24	399.81	364.86	339.48	96	0	96	0	39	पूर्ण
8	गंजबासोदा	28.09.2006	2006-07	24	170.51	149.29	187.45	110	0	110	0	109	पूर्ण
9	ग्वालियर	29.12.2006	2006-07	24	5362.02	3646.44	4222.08	4576	1248	1385	1943	1291	अपूर्ण
10	कटनी	02.02.2007	2006-07	24	2918.14	2290.27	1971.48	2182	682	1000	500	271	अपूर्ण
11	खण्डवा-I	29.12.2006	2006-07	24	1738.39	1102.75	2345.55	1296	192	833	271	0	अपूर्ण
12	[k. Mok-II	29-12-2006	2006&07		1073-96	377-00	0	812	812	0	0	0	समाप्त
13	खुजनेर	02.02.2007	2006-07	24	241.25	215.59	213.70	100	0	100	0	20	पूर्ण
14	कुरवई	14.12.2006	2006-07	24	95.91	41.61	41.52	48	36	12	0	0	अपूर्ण
15	लटेरी	28.09.2006	2006-07	24	44.87	39.70	44.87	अधो.	0	0	0	0	पूर्ण
16	मझौली	02.02.2007	2006-07	24	215.31	143.50	136.90	140	50	90	0	0	अपूर्ण
17	नरसिंहपुर	02.02.2007	2006-07	24	839.88	670.60	1008.66	651	126	305	220	133	अपूर्ण
18	पानसेमल	02.02.2007	2006-07	24	293.87	236.18	337.41	128	0	128	0	128	पूर्ण
19	पाटन	02.02.2007	2006-07	24	227.52	101.25	28.88	120	97	13	10	0	अपूर्ण
20	शाहपुरा	02.02.2007	2006-07	24	153.89	66.65	42.26	104	49	49	6	0	अपूर्ण
21	सिरौंज	28.09.2006	2006-07	24	160.95	140.75	179.34	114	0	114	0	41	पूर्ण
22	सिरौंज	27.02.2007	2006-07		18.89	17.00	23.37	अधो.	0	0	0	0	पूर्ण
23	विदिशा	28.09.2006	2006-07	24	184.98	147.15	243.09	217	0	217	0	179	पूर्ण
24	बेटमा	18.05.2007	2007-08	18	313.94	258.01	414.03	96	0	96	0	50	पूर्ण
25	बुरहानपुर	27.12.2007	2007-08	18	1365.85	536.09	778.13	833	615	218	0	0	पूर्ण
26	गौतमपुरा	18.05.2007	2007-08	18	395.70	325.65	338.28	96	0	96	0	54	पूर्ण

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

I- Ø-	fudk; @ ifj; kst uk, a	Lohdr fnukad	Lohdr o"lz	ifj; kstuk dh i w k r k vof/k %ekg e#	Lohdr ifj; kstuk ykxr	, l -, y-, u-, - dks vkofVr fuf/k	0; ; (ekpl 2015)	vkokl h; bdkbz ka					ifj; kstuk dh v   ru fLFkr
								Lohdr	l efi r	fufeir	ixfrjr	vkofVr	
27	होशंगाबाद	19.10.2007	2007-08	12	517.55	416.97	560.00	297	1	296	0	168	पूर्ण
28	इटारसी	21.08.2007	2007-08	18	363.53	277.87	177.81	153	0	0	153	0	अपूर्ण
29	जावरा	27.12.2007	2007-08	12	247.73	149.36	217.15	167	67	100	0	95	अपूर्ण
30	कटंगी	18.05.2007	2007-08	18	249.98	111.06	130.90	160	54	22	84	0	अपूर्ण
31	e. Mhrhi	26-09-2007	2007&08	18	330-59	132-18	0	202	202	0	0	0	समर्पित
32	vkj Nk	19-10-2007	2007&08	12	344-73	142-98	0	274	274	0	0	0	समर्पित
33	पेटलावाद	18.05.2007	2007-08	18	342.33	304.26	388.23	240	46	194	0	110	पूर्ण
34	छिन्दवाडा	28.02.2009	2008-09	15	742.00	597.46	812.76	500	180	288	32	99	अपूर्ण
35	मोहगांव	28.02.2009	2008-09	18	616.38	253.31	298.66	267	130	137	0	0	अपूर्ण
36	सागर	28.02.2009	2008-09	15	777.07	617.41	796.23	480	40	360	80	0	अपूर्ण
37	सौंसर	28.02.2009	2008-09	15	712.52	546.23	575.53	461	191	250	20	79	अपूर्ण
38	pkUnkeVk	08-02-2010	2009&10	15	676-17	241-53	0	212	212	0	0	0	समर्पित
39	हरई	08.02.2010	2009-10	15	399.00	113.02	71.00	139	91	0	48	0	अपूर्ण
40	खरगोन	22.02.2010	2009-10	15	491.00	293.44	388.66	200	0	184	16	0	अपूर्ण
41	मंदसौर	22.02.2010	2009-10	15	1250.00	737.10	1255.00	500	0	104	396	104	अपूर्ण
42	रीवा	22.02.2010	2009-10	15	667.49	219.45	589.16	248	0	156	92	0	अपूर्ण
43	सतना	22.02.2010	2009-10	15	733.01	450.10	749.52	270	0	154	116	0	अपूर्ण
44	सिंगरौली	22.02.2010	2009-10	15	733.33	230.68	749.52	300	0	254	46	100	अपूर्ण
45	अमरवाडा	30.03.2011	2010-11	15	657.01	214.78	50.24	274	88	0	186	0	अपूर्ण
46	डीकेन	28.03.2011	2010-11	15	381.84	239.03	263.82	124	0	124	0	0	पूर्ण
47	जीरापुर	30.03.2011	2010-11	15	400.00	241.78	210.70	145	0	42	103	0	अपूर्ण
48	efgnij	28-03-2011	2010&11	15	838-40	333-62	0	441	441	0	0	0	समर्पित
49	सिंगौली	28.03.2011	2010-11	15	368.79	230.68	270.93	120	0	120	0	79	पूर्ण
50	चौरई	27.04.2011	2011-12	15	573.47	223.81	41.27	266	250	0	16	0	अपूर्ण
51	जीरन	10.06.2011	2011-12	15	377.20	234.07	308.56	126	0	78	48	0	अपूर्ण
52	मल्हारगढ	13.03.2012	2011-12	15	440.00	258.14	26.68	144	0	0	144	0	अपूर्ण
53	पाण्डुर्ना	27.04.2011	2011-12	15	300.04	210.58	295.52	140	0	87	53	58	अपूर्ण
54	पिपलियामण्डी	28.03.2012	2011-12	18	273.00	170.39	174.50	88	0	8	80	0	अपूर्ण
55	रतनगढ	10.06.2011	2011-12	15	417.78	274.00	290.95	135	0	90	45	0	अपूर्ण
56	तेन्दुखेडा	28.02.2012	2011-12	12	675.00	206.88	0	256	0	0	256	0	अपूर्ण
					37688-52	21750-21	24500-38	22998	9203	8766	5029	3227	

¼ kr : ueuk tkp fd, x, uxjh; LFkkuh; fudk; ½

i f j f ' k " V 5-2

¼ n h k k % d f M d k 5-1-6] i " B 56½

v i w k l v / k k s j p u k d k ; l d k s n ' k k k k f o o j . k i = d

( ₹ y k [ k e )

I - Ø	Ukxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	Lohd'r vkokl h; bdkbZ; ka *	lkw kZ vkokl h; bdkbZ; ka	vkofVr vkokl h; bdkbZ; ka	v/kkS j p u k d k ; l d k u k e	Lohd'r y k x r	fd ; k x ; k 0 ; ;
1	बुरहानपुर	218	218	0	डब्लू बी एम रोड	80.46	7.66
					सी सी रोड	204.14	0
					आर सी सी ड्रेन	125.10	0
					मल्टीपरपज हाल	30.06	0
					विद्युत पोल एवं स्ट्रीट लाइट	24.94	0
					सम्प वेल एवं जी आई पाइप लाइन	16.79	0
					ट्यूब वेल	23.62	0
2	देपालपुर	96	96	39	सी सी रोड एवं नाला	334.21	126.87
3	डीकेन	124	124	0	मेन हॉल, सेप्टिक टैंक एवं सीवर लाइन	17.84	17.12
					ओवर हेड टैंक	6.00	0
					जोगिंग पथ	2.88	0
					ओपन एरिया विकास	11.48	0
					आजीविका केन्द्र स्ट्रीट लाइट	12.48 6.33	0 0
4	खुजनेर	100	100	20	कम्युनिटी हॉल	6.53	6.00
5	मेहगांव	137	137	0	कन्टेनर/ डस्टबिन्स	0.65	0
					ओपन एरिया विकास	39.16	0
					ट्रांसफार्मर	6.00	0
					कम्युनिटी हॉल	54.26	0
					स्ट्रीट लाइट एवं पोल स्थापना	22.75	0
					आर सी सी कलवर्ट	21.13	0
					सेप्टिक टैंक	1.21	0
					सीवर लाइन	5.69	0
बोर वेल	5.37	0					
आजीविका केन्द्र	18.09	0					
6	पेटलावाद	194	194	110	बी टी रोड	35.46	32.37
7	सिंगौली	120	120	79	कम्युनिटी हॉल	41.83	15.00
					सीवर लाइन एवं सेप्टिक टैंक	17.18	20.95
					ओवर हेड टैंक	6.00	0
					ओपन एरिया विकास	9.98	0
					आजीविका केन्द्र	12.45	0
	; k s x	989	989	248		1200-07	225-97

¼ k r % u e u k t k p f d , x , u x j h ; L F k k u h ; f u d k ; ½

\* l e i z k d s c k n ] ; f n d k b z g k s

i jf'k"V 5-3

॥ अंक 5-1-7-2] i "B 57%

dlnh; I gk; rk de tkjh djus dk fooj.k i=d

(₹ yk[k में)

I - Ø-	uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	dlnh; vdknu ds tkjh gkus dh fLFkr		
		jkT; dks iklr vdknu	jkT; }kjk uxjh; LFkkuh; fudk; dks tkjh vdknu	de tkjh vdknu
1	बरेला	179.80	134.85	44.95
2	बैरसिया	67.52	30.53	36.99
3	देवास	622.22	278.23	343.99
4	हरई	99.13	49.57	49.56
5	कुरवई	36.50	27.23	9.27
6	पेटलावद	273.86	244.42	29.44
7	रतनगढ़	244.91	232.75	12.16
; ksx		1523-94	997-58	526-36

॥ ks : uxjh; izkkl u , oa fodkl foHkkx }kjk nh x;h tkudkjH



## i jf'k"V 5-4

॥ अक्षर क्रम 5-1-7-2] i "B 57½

jkT; kdk ds de tkjh djus dk foofj.k i = d

॥ यक/क ए॥

I- Ø-	uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	tkjh fd; s tkus ; kx; jkT; kdk					OkkLrfod foeDr jkT; kdk	de foeDr jkT; kdk
		vkohl h; i fj; kstuk ykr	ml dk 8 ifr'kr	v/kks jpkuk fodkl en	v/kks jpkuk fodkl en dk 10 ifr'kr	dy tkjh fd; s tkus ; kx; jkT; kdk		
1	अमरवाड़ा	453.74	36.30	203.27	20.33	56.63	23.87	32.76
2	बैरासिया	134.01	10.72	40.79	4.08	14.80	7.16	7.64
3	बुरहानपुर	826.13	66.09	539.72	53.97	120.06	53.64	66.42
4	चौरई	342.11	27.37	231.36	23.14	50.51	24.87	25.64
5	दमोह	94.64	7.57	135.19	13.52	21.09	17.16	3.93
6	देवास-I	1304.05	104.32	411.27	41.13	145.45	59.48	85.97
7	देवास-II	1484.22	118.74	448.35	44.83	163.57	66.71	96.86
8	डीकेन	210.80	16.86	171.04	17.10	33.96	26.60	7.36
9	ग्वालियर	4440.17	355.20	921.85	92.18	447.38	346.94	100.44
10	हरई	230.18	18.41	108.82	10.88	29.29	13.89	15.40
11	होशंगाबाद	286.11	22.89	231.44	23.14	46.03	42.54	3.49
12	इटारसी	140.15	11.21	223.38	22.34	33.55	28.92	4.63
13	कटंगी	121.60	9.73	128.38	12.84	22.57	11.50	11.07
14	कटनी	1795.16	143.61	1122.98	112.29	255.90	228.60	27.30
15	कुरवाई	39.36	3.15	56.55	5.65	8.80	5.11	3.69
16	जावरा	164.13	13.13	83.60	8.36	21.49	19.04	2.45
17	जीरन	214.20	17.14	163.00	16.30	33.44	26.00	7.44
18	जीरापुर	246.50	19.72	153.50	15.53	35.07	26.87	8.20
19	खंडवा-I	1390.74	111.26	347.65	34.76	146.02	105.94	40.08
20	खरगोन	324.00	25.92	167.00	16.70	42.62	36.84	5.78
21	मझोली	112.00	8.96	103.31	10.33	19.29	14.74	4.55
22	मल्हारगढ़	264.96	21.20	174.70	17.47	38.67	28.68	9.99
23	मन्दसौर	810.00	64.80	440.00	44.00	108.80	81.90	26.90
24	मेहगांव	320.13	25.61	296.25	29.63	55.23	28.35	26.88
25	नरसिंहपुर	499.40	39.95	340.48	34.05	74.00	67.32	6.68
26	पांडुर्ना	180.07	14.40	119.18	12.00	26.40	23.41	2.99
27	पाटन	91.20	7.30	136.32	13.63	20.93	10.67	10.26
28	रतनगढ़	229.50	18.36	188.28	18.83	37.19	29.09	8.10
29	रीवा	434.00	34.72	233.49	23.35	58.07	27.07	31.00
30	सतना	447.12	35.77	285.89	28.59	64.36	50.22	14.14
31	शाहपुरा	87.11	6.97	66.78	6.68	13.65	6.66	6.99
32	सिंगरौली	496.80	39.74	236.53	23.65	63.39	48.46	14.93
33	सिंगौली	204.00	16.32	164.79	16.48	32.80	25.63	7.17
34	सौंसर	499.26	39.94	213.26	21.33	61.27	61.05	0.22
35	तेंदुखेड़ा	471.04	37.68	203.68	20.37	58.05	23.00	35.05
	; ksx	19388.59	1551.06	9092.08	909.46	2460.33	1697.93	762.40

॥ क्र : uxjh; i'kk u , oa fodkl l pkyuky; }kjk nh x; h tkudkj½

ijf'k"V 5-5

॥ अर्थकर्मिका 5-1-7-4] i" B 59  
I efi r vkokl h; bdkbz; ka dk foj .k

(₹ yk/k e)

I-Ø	uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	Lohdr fnukad	ifj; kst uk ykxr	Lohdr vkokl h; bdkbz; ka	ifj; kst uk ykxr dk 90 ifr'kr	Hkkjr I jdkj }kjk fu/kkjr ifr vkokl h; bdkbz dh ykxr	uxjh; fudk; ka dks foer jkf'k	I efi r vkokl	jkf'k] tks oki l yuk gS
01	अमरवाड़ा	30.03.2011	657.01	274	591.31	0.90	214.78(36)	88	28.51
02	बरेला	02.02.2007	225.47	120	202.92	0.72	161.00(79)	40	22.75
03	बैरसिया	14.12.2006	174.80	160	157.32	0.72	67.52(43)	152	47.06
04	बुरहानपुर	2712.2007	1365.85	833	1229.26	0.72	482.45(39)	615	172.69
05	छिन्दवाड़ा	28.02.2009	742.00	500	667.80	0.90	597.46(89)	180	144.18
06	चौरई	27.04.2011	573.47	266	516.12	0.90	238.73(46)	250	103.50
07	दमोह	14.12.2006	229.83	104	206.85	0.72	141.18(69)	67	33.29
08	देवास-I	14.12.2006	1715.32	1216	1543.79	0.72	613.11(40)	608	175.10
09	देवास-II	14.12.2006	1932.57	1384	1739.31	0.72	316.53(18)	1196	155.00
10	ग्वालियर	29.12.2006	5362.02	4576	4825.82	0.72	3646.44(76)	1248	682.91
11	हरई	08.02.2010	399.00	139	359.10	0.90	61.52(17)	91	13.92
12	होशंगाबाद	19.10.2007	517.55	297	465.79	0.72	416.97(90)	1	0.65
13	जावरा	27.12.2007	247.73	167	222.96	0.72	152.97(69)	67	33.29
14	कटंगी	18.05.2007	249.98	160	224.98	0.72	124.99(56)	54	21.77
15	कटनी	02.02.2007	2918.14	2182	2626.33	0.72	2290.27(87)	682	427.20
16	खंडवा	29.12.2006	1738.39	1296	1564.55	0.72	1102.75(70)	192	96.76
17	कुरवई	14.12.2006	95.91	48	86.32	0.72	31.79(37)	36	9.59
18	मझोली	02.02.2007	215.31	140	193.78	0.72	143.50(74)	50	26.64
19	मोहगांव	28.02.2009	616.38	267	554.74	0.90	253.31(46)	130	53.82
20	नरसिंहपुर	02.02.2007	839.88	651	755.89	0.72	670.60(89)	126	80.74
21	पाटन	02.02.2007	227.52	120	204.77	0.72	101.25(49)	97	34.22
22	पेटलावाद	18.05.2007	342.33	240	308.10	0.72	273.86(89)	46	29.48
23	सागर	28.02.2009	777.07	480	699.36	0.90	549.61(79)	40	28.44
24	सौंसर	28.02.2009	712.52	461	641.27	0.90	549.23(86)	191	147.83
25	शाहपुरा	02.02.2007	153.89	104	138.50	0.72	66.65(48)	49	16.93
	; ks		23029-94	16185	20726-94		13268-47	6296	2586-27

॥ ks : uxjh; iz'kkk u , oa fodkl foHkkx }kjk nh x; h tkudkjHk

फरवरी 2009 से पूर्व प्रति आवासीय इकाई लागत ₹ 0.80 लाख एवं उसके उपरान्त ₹ 1.00 लाख मान्य की गयी थी जिसका 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाना था ।

i f j f ' k " V 5-6

1/1 nHk%dfMdk 5-1-13] i "B 64)

'kgjh xjhch fuf/k dk i ko/kku

(₹ yk[k e)

uxjh; fudk; dk uke	2011&12		2012&13		2013&14		2014&15	
	'kgjh xjhch fuf/k ds fy; s i ko/kku	i ko/kku ds fo#) 0; ;	'kgjh xjhch fuf/k ds fy; s i ko/kku	i ko/kku ds fo#) 0; ;	'kgjh xjhch fuf/k ds fy; s i ko/kku	i ko/kku ds fo#) 0; ;	'kgjh xjhch fuf/k ds fy; s i ko/kku	i ko/kku ds fo#) 0; ;
देपालपुर	46.16	उपलब्ध नहीं	43.69	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
डीकेन	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	115.99	उपलब्ध नहीं	154.99	उपलब्ध नहीं
पांडुर्ना	50.00	उपलब्ध नहीं	5.00	उपलब्ध नहीं	7.00	उपलब्ध नहीं	7.00	उपलब्ध नहीं

1/1 kr : 1 df/kr uxjh; LFkkuh; fudk; 1/2